लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक))
(May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 57—मंगलवार 11 मई, 1965/21 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1269	समाचारपत्रों का विमान भाड़ा	5521–22
1270	अनाज के लाने—ले जाने पर प्रतिबन्ध . . .	5522–24
1271	समुद्र में चलने वाले लाइनर जहाज़ों पर चलचित्रों का प्रदर्शन	5524
1272	ज्वार तथा चावल का समाहार	5525–28
1273	गेहूं के न्यूनतम तथा अधिकतम भाव	5528–32
1274	रक्षित भण्डार . .	5532–34
1275	एयर इंडिया की बम्बई-लन्दन सेवा	5535–36
1276	गेहूं के निर्यात मूल्य	5536–37
1277	राज्यों में खाद्य निगम .	5537–40
1278	उड़ीसा विधान-सभा के चुनाव	5540–41
1279	चावल की तीन फसलें पैदा करना	5541–43
1280	बिना बिकी खादी	5543–44

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
18	दिल्ली मिल्क स्कीम	5544–45
19	टिस्को के कर्मचारी	5548–53

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या		
1281	निर्जल गोदी का निर्माण	5553–54
1282	चीनी मिल, महिदपुर .	5554
1283	पी० एल० 480 के अन्तर्गत ज्वार	5554
1284	खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता .	5554–55
1285	सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों का समाहार	5555–56
1286	भारत-लंका विमान सेवा करार . . .	5556
1287	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के परिवारों के लिये चिकित्सा सुविधा	5557

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 57—*Tuesday, May 11, 1965/Vaisakha 21, 1887 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1269	Air Freight for Newspapers	5521—22
1270	Restrictions on movement of foodgrains	5522—24
1271	Film Show on Ocean-Going Liners	5524
1272	Procurement of Jowar and Rice	5525—28
1273	Maximum and Minimum Prices of Wheat	5528—32
1274	Buffer Stocks	5532—34
1275	Air India Bombay-London Service	5535—36
1276	Export Prices of Wheat	5536—37
1277	Food Corporations for States	5537—40
1278	Elections to Orissa Legislative Assembly	5540—41
1279	Triple Rice Cropping	5541—43
1280	Unsold Khadi Stocks	5543—44

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
1281	Construction of Dry Dock	5553—54
1282	Sugar Mill, Mehidpur	5554
1283	Jowar under P. L. 480	5554
1284	Self-sufficiency in Food	5554—55
1285	Procurement of Foodgrains by Co-operative Societies	5555—56
1286	Indo-Ceylon Air Services Agreement	5556
1287	Medical aid to Families of I.A.C. Employees	5557

Short Notice Questions		
18	Delhi Milk Scheme	5544—45
19	Workers of TISCO	5548—53

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3395	केरल में धान का नाश .	5557
3396	कृमिनाशकों का सम्भरण .	5557–58
3397	केरल में गरीबों को कानूनी मदद	5558
3398	धान की अधिप्राप्ति . . .	5558–59
3399	विदर्भ में आदिमजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	5559
3400	महाराष्ट्र में गहन कृषि कार्यक्रम	5559–60
3401	महाराष्ट्र को अनाज का सम्भरण . .	5560
3402	विदर्भ में आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	5561
3403	बहादुरगढ़ से बस सेवा . . .	5561
3404	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली	5561
3405	सफदरजंग हवाई अड्डा .	5561–62
3406	दस्तकारी की वस्तुओं पर शुल्क	5562
3408	कृषि ऋण सहायता अधिनियम	5562–63
3409	ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम . . .	5563
3410	दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रों से नकदी इकट्ठी करना	5564
3411	भारतीय बच्चों को गोद लेना . .	5564
3412	मलमूत्र तथा अन्य "वास अपशिष्ट" का उपयोग	5565
3413	मिट्टी सहसंबंध तथा मिट्टी संसाधन . . .	5565–66
3414	ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज़ के चेयरमैन की दिल्ली यात्रा .	5566
3415	दिल्ली के शहरी क्षेत्र के डेरी वाले . .	5566
3416	कारवाड़ पत्तन	5566
3417	उड़ीसा में मछली पालन उद्योग का विकास . .	5567
3418	बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना . .	5567–68
3419	उड़ीसा में चावल का उत्पादन	5568
3420	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमान से एक यात्री का निकाला जाना	5568
3421	अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान . .	5569–70
3422	पालम-कलकत्ता विमान सेवा . . .	5570
3423	उड़ीसा में डेरी फार्म	5570
3424	दस्तकारी सर्वेक्षण	5571
3425	भावनगर हवाई अड्डा	5571
3426	"सुपर टैंकर बर्थ" का निर्माण . . .	5572
3427	भूमि को कृषि योग्य बनाना . .	5572
3428	मूल्य वृद्धि विरोध आन्दोलन	5572
3429	परामर्शदाता इंजीनियर (सड़क विकास) . . .	5573
3430	दूध के कार्डों का नवीयन . . .	5573–74
3431	दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पाद . .	5574

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3395	Loss of Paddy in Kerala	5557
3396	Supply of Insecticides	5557—58
3397	Legal Aid to Poor in Kerala	5558
3398	Procurement of Paddy	5558—59
3399	Scholarships to Tribal Students in Vidarbha	5559
3400	Intensive Agricultural Programme in Maharashtra	5559—60
3401	Supply of Foodgrains to Maharashtra	5560
3402	Scholarships to Tribal Students in Vidarbha	5561
3403	Bus Service from Bahadurgarh	5561
3404	I.A.R.I., New Delhi	5561
3405	Safdarjang Aerodrome	5561—62
3406	Duty on Handicrafts	5562
3408	Agricultural Debt Relief Act	5562—63
3409	Rural Works Programme	5563
3410	Cash Collection from D.M.S. Depots	5564
3411	Adoption of Indian Children	5564
3412	Utilization of Sewage and other 'habitation wastes'	5565
3413	Soil Correlation and Soil Resources	5565—66
3414	Delhi Visit of Chairman of British European Airways	5566
3415	Dairymen of Urban Delhi	5566
3416	Karwar Port	5566
3417	Devlopment of Fisheries in Orissa	5567
3418	Reclamation of Waste land	5567—68
3419	Rice Production in Orissa	5568
3420	Ejection of a passenger from I.A.C. Viscount	5568
3421	Uplift of Scheduled Tribes	5569—70
3422	Palam-Calcutta Air Service	5570
3423	Dairy Farm in Orissa	5570
3424	Handicrafts Survey	5571
3425	Bhavnagar Aerodrome	5571
3426	Construction of Super-tanker Berth	5572
3427	Reclamation of Land	5572
3428	Price Rise Resistance Movement	5572
3429	Consulting Engineer (Road Development)	5573
3430	Renewal of Milk Cards	5573—74
3431	Products of Delhi Milk Scheme	5574

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3432	बेरोजगारी बीमा योजना . . .	5574
3433	राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का कोटा .	5574–75
3434	भारत का खाद्य निगम	5575

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--

(एक) लुधियाना के एक गांव में विमान से फेंके गये बम के कारण हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार--

श्री हुकम चन्द कछवाय 5576
श्री अ० म० थामस 5576

(दो) आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लाठीटीला-दुमाबाडी क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी--

श्री हेम बरुआ . 5582
श्री अ० म० थामस . 5582

(तीन) पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक ले जाने वाले पाकिस्तानी विमानों की भारतीय राज्य-क्षेत्र पर उड़ानों के समाचार--

श्री उ० मू० त्रिवेदी 5587
श्री अ० म० थामस . . 5587

(चार) पाकिस्तानी विमान द्वारा राजस्थान में भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के समाचार--

श्री हुकम चन्द कछवाय . 5588
श्री अ० म० थामस . 5588

विशेषाधिकार के प्रश्न 5591–94

सभा पटल पर रखे गये पत्र 5594–5600

संसदीय समितियां --

कार्यवाही-सारांश 5600–5601

राज्य-सभा से सन्देश 5601–02

प्राक्कलन समिति--

सत्तरवां प्रतिवेदन 5602

लोक-लेखा समिति--

चालीसवां प्रतिवेदन 5602

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन 5602–03

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred

Question Nos.	*Subject*	PAGES
3432	Unemployment Insurance Scheme	5574
3433	States Quota of Chemical Fertilizers	5574—75
3434	Foodgrains Corporation of India	5575

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

(i) Reported death of three persons in a Ludhiana village due to a bomb dropped from a plan—

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 5576

Shri A. M. Thomas 5576

(ii) Firing by Pakistani Troops on Indian posts in the Lathitilla-Dumabari Sector of Assam-East Pakistan border—

Shri Hem Barwa 5582

Shri A. M. Thomas 5582

(iii) Reported flights of Pakistani planes over Indian Territory carrying troops etc. from West Pakistan to East Pakistan—

Shri U. M. Trivedi 5587

Shri A. M. Thomas 5587

(iv) Reported intrusion by Pakistani Aircraft into Indian Territory in Rajasthan—

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 5588

Shri A. M. Thomas 5588

Questions of Privilege . . . . . 5591—94

Papers laid on the Table . . . . . 5594—5600

Parliamentary Committees—

Minutes . . . . . 5600—01

Message from Rajya Sabha . . . . . 5601—02

Estimates Committee—

Seventieth Report 5602

Public Accounts Committee—

Fortieth Report 5602

Committee on Public Undertakings—

Eleventh Report . . . . . 5602—03

विषय	पृष्ठ
ई० एम० ई० वर्कशाप में श्रमिकों की छंटनी के बारे में विवरण—	
श्री अ० म० थामस	5603
महाराष्ट्र के आदिवासियों के बारे में वक्तव्य—	
श्री अ० कु० सेन	5603
विधेयक पुरःस्थापित—	
(एक) इलायची विधेयक	5604–05
(दो) नाविक भविष्य निधि विधेयक . . .	5605
(तीन) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक . .	5605
रेलवे अभिसमय समिति के बारे मे संकल्प—स्वीकृत—	
श्री दी० चं० शर्मा	5606
श्री प्रभात कार	5606–07
श्री प्रिय गुप्त . .	5607–08
श्री मोहसिन	5608–09
श्री व० बा० गांधी	5609–10
श्री यशपाल सिंह	5610–11
श्री स० का० पाटिल . .	5611—13
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1965—	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री जगन्नाथ राव . .	5613—18
श्री श्रीनारायण दास .	5613–14
श्री वारियर . . .	5614–15
श्री च० का० भट्टाचार्य . . .	5615–16
श्री तुलशीदास जाधव . .	5616
श्री बड़े . . .	5616
श्री अ० ना० विद्यालंकार . .	5616–17
श्री राम सेवक यादव .	5617
श्री रा० स० तिवारी .	5617
श्री यशपाल सिंह	5617
श्री राधेलाल व्यास	5617
श्री सरजू पाण्डेय	5617–18
श्री कु० कृ० वर्मा	5618
श्री गौरी शंकर कक्कड़ .	5618
श्री अ० कु० सेन .	5618
खण्ड 2 तथा 1 —	
पारित करने का प्रस्ताव—	5619–20
श्री जगन्नाथ राव .	5619
श्री च० का० भट्टाचार्य .	5619
श्री अ० कु० सेन	5619–20

Subject	PAGES
Statement re : Retrenchment of workers in EME Workshops—	
Shri A. M. Thomas	5603
Statement re : Adivasis in Maharashtra—	
Shri A. K. Sen	5603
Bills introduced—	
(i) Cardamom Bill	5604-05
(ii) Seamen's Provident Fund Bill	5605
(iii) Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill	5605
Resolution re : Railway Convention Committee—*Adopted*—	
Shri D. C. Sharma	5606
Shri Prabhat Kar	5606-07
Shri Priya Gupta	5607-08
Shri Mohsin	5608-09
Shri V. B. Gandhi	5609-10
Shri Yashpal Singh	5610-11
Shri S. K. Patil	5611—13
Representation of the People (Amendment) Bill, 1965—	
Motion to consider	5613—18
Shri Jaganatha Rao	5613-14
Shri Shree Narayan Das	5614-15
Shri Warior	5615
Shri C. K. Bhattacharyya	5615-16
Shri Tulshidas Jadhav	5616
Shri Bade	5616
Shri A. N. Vidyalankar	5616-17
Shri Ram Sewak Yadav	5617
Shri R. S. Tiwary	5617
Shri Yashpal Singh	5617
Shri Radhelal Vyas	5617
Shri Sarjoo Pandey	5617-18
Shri K. K. Verma	5618
Shri Gauri Shankar Kakkar	5618
Shri A. K. Sen	5618
Clasues 2 and 1 —	
Motion to pass	5619-20
Shri Jaganatha Rao	5619
Shri C. K. Bhattacharyya	5619
Shri A. K. Sen	5619-20

751 (Ai) LS—2

विषय	पृष्ठ
बीज विधेयक —	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	5620–27
श्री शाहनवाज़ खां	5620-21
श्री पें० वेंकटासुब्बया	5621–22
श्री रंगा	5622–24
श्री क० ना० तिवारी	5624–25
श्री इकबाल सिंह	5625–26
श्री राधेलाल व्यास	5626-27
श्री बड़े	5627
कच्छ सिन्ध सीमा सम्बन्धी स्थिति तथा प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में वक्तव्य	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	5627
बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में आधे घंटे की चर्चा	5627
श्री नाथ पाई .	5631–35
श्री इन्द्रजीत गुप्त	5635–36
श्री संजीव रेड्डी	5636
प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में विवरण	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	5637–44
सभा का स्थगन	5645

Subject	PAGES
Seeds Bill—	
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	5620—27
Shri Shahnawaz Khan	5620—21
Shri P. Venkatasubbaiah	5621—22
Shri Ranga	5622—24
Shri K. N. Tiwary	5624—25
Shri Iqbal Singh	5625—26
Shri Radhelal Vyas	5626—27
Shri Bade	5627
Statement re : situation on Kutch-Sind border and Prime Minister's visit to the USSR	5627
Shri Lal Bahadur Shastri	5627
Half-an-Hour Discussion re Bokaro Steel Plant—	
Shri Nath Pai.	5631—35
Shri Indrajit Gupta.	5635—36
Shri Sanjiva Reddy	5636
Statement re : Prime Minister's visit to Nepal in April, 1965—	
Shri Lal Bahadur Shastri.	5637—44
Adjournment of the House	5645

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 11 मई, 1965/21 वैशाख, 1887 (शक)
Tuesday, May 11, 1965/Vaisakha 21, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समाचारपत्रों का विमान भाड़ा

*1269. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों को विमान द्वारा जाने वाले समाचारपत्रों के भार में कमी कर दी है ; और

(ख) क्या समाचार पत्रों के विमान भाड़े में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, नहीं ।

(ख) अभी हाल ही तक समाचारपत्रों को, प्रत्येक पत्र के लिए एक निर्धारित कोटा तक 25 प्रतिशत का रिबेट दिया जाता था। इस से अधिक के लिए पूरा प्रभार लिया जाता था । अब समाचारपत्रों के पूरे भार पर रिबेट देने का निर्णय किया गया है, लेकिन निर्धारित कोटा से अधिक भार धारिता के उपलब्ध होने के आधार पर स्वीकार किया जाता है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या विभाग को समाचारपत्रों के बारे में विचार करने अथवा समाचार-पत्रों को ले जाने के लिये अतिरिक्त भाड़ा लेने के संबंध में निर्णय करते समय सलाह देने के लिए मंत्रालय में कोई समिति है; और यदि हां, तो क्या इस समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व है ?

श्री कानूनगो : मंत्रालय में एक सलाहकार समिति है किन्तु उस में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व नहीं है ।

श्री शिंकरे : तीन वर्ष से, गोवा को मुक्ति के बाद से, गोवा और बम्बई के बीच इंडियन एयर-लाइन्स की विमान सेवा चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाचारपत्रों के विमान भाड़े में दी जाने वाली रियायत बम्बई और गोवा के बीच विमान द्वारा भेजे जाने वाले समाचारपत्रों को भी देने का विचार है ?

श्री कानूनगो : यह रियायत सभी को दी जाती है । यह समाचारपत्रों का इस सुविधा से लाभ उठाने का प्रश्न है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कुछ समाचारपत्रों ने अभ्यावेदन दिया था कि यह 25 प्रतिशत की रियायत न केवल निर्धारित कोटे तक ही अपितु विमान द्वारा भेजे जाने वाले सभी समाचारपत्रों पर दी जानी चाहिए ।

श्री कानूनगो : मैं ने भी यही बताया कि क्षमता होने पर यह रियायत समाचार पत्रों के पूरे भार पर दी जाती है ।

अनाज के लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध

*1270. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य तथा जिलों के कलैक्टर भारत रक्षा नियमो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनाज, विशेषत: मोटे अनाज व दालों,के, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ज़िले से दूसरे ज़िले को लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाने में मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत रक्षा नियमों में संशोधन करने का है ताकि अनाज के लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हो जाये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) भारत सुरक्षा नियमों के उपबन्धों के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों की ओर से कुछ असमन्वित कार्य-वाही हुई है ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, यदि आवश्यकता पड़े तो भारत सुरक्षा नियमों में संशोधन कर किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, यह विचाराधीन है ।

श्री दे० जी० नायक : क्या राज्यों तथा जिलों की असमन्वित कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक कठिनाई हो रही है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वहां पर कठिनाई हो रही है ।

श्री दे० जी० नायक : उपभोक्ताओं को अनाज प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं मूल प्रश्न के भाग (ख) में इसका उत्तर दे चुका हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav: Prices of wheat have gone down in Punjab but these prices are high in Maharashtra and wheat is not available there. May I know the reasons for lack of coordination between the surplus and the deficit States so that surplus States may supply wheat to deficit States and farmers get fair prices?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या यह सच है कि कुछ विशेष प्रकार के मोटे अनजों पर एक राज्य द्वारा बार-बार प्रतिबन्ध लगाने के कारण ही दूसरी राज्य सरकारें भी उसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाती हैं; और यदि हां, तो सरकार का इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राज्य सरकारों को बिना दूसरी राज्य सरकारों की सहमति के एकतरफा कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं । इसीलिए हम भारत सुरक्षा नियमों में संशोधन करने का विचार कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether there is no co-ordination between the State Governments and the Centre? People are arrested by the State Governments under D.I.R. and then they are honourably released on the orders of the collector. May I know whether it is not covered by D.I.R.?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्ततोगत्वा राज्य सरकारों पर कुछ उत्तरदायित्व हैं और उन्हें निभाने के लिये राज्य सरकारों को भारत सुरक्षा नियमों के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है । किन्तु दुर्भाग्य से यह कार्य पूरे देश में सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है । इसीलिये हम समन्वित कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि ऐसे कार्यों के लिए भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग करने से, विशेष रूप से पंजाब में, भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है और यदि हां, तो सरकार का इस प्रकार के मामलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं ।

Shri Yudhvir Singh: The hon. Minister has stated that the question of inter-State trade does not arise out of the main question. May I know whether Government are in a position to ascertain from the State Governments whether a standard can be maintained in order to supply foodgrains to deficit States from the surplus States so that farmers may get fair price?

अध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें सुझाव मात्र हैं ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government are aware that dual system of Government is functioning in Uttar Pradesh under which powers of Collector and the State Government are different and whether the Central Government have looked into it?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह राज्य सरकार का मामला है । यदि वहां ऐसी स्थिति है तो यह प्रश्न विधान सभा में उठाया जाना चाहिये । इसका उत्तर राज्य सरकार देगी ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या केन्द्रीय सरकार की निश्चित तथा ठोस हिदायतें न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई अथवा राज्य सरकार ने उनकी अवहेलना की ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम खाद्य नीतियों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार कर के उन पर एक मत हो कर निर्णय करते हैं। किन्तु कुछ राज्य सरकारें मनमानी कार्यवाही करती हैं जो इस निर्णय के अनुरूप नहीं होती हैं। इसीलिये यह मामला इस समय विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चूंकि दिल्ली को प्राय: आयात किये गये गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये क्या सरकार का विचार किसी भी रूप में कोई राशनिंग व्यवस्था लागू करने का है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दिल्ली में आयात किए गए गेहूं का अनौपचारिक राशनिंग चालू करने का प्रस्ताव है ।

समुद्र में चलने वाले लाइनर जहाजों पर चलचित्रों का प्रदर्शन

*1271. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में चलने वाले लाइनर जहाजों पर चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये कोई प्रबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार के चलचित्रों का प्रदर्शन होता है ; और

(ग) क्या यह प्रबन्ध सभी लाइनर जहाजों पर (सरकारी व गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में) किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जहां तक भारतीय जहाजों का सम्बन्ध है भारत के सरकारी क्षेत्र नौचालन निगम के यात्री जहाजों पर और गैर-सरकारी क्षेत्र के 8 माल ढोने वाले जहाजों पर वृत्तचित्र और रूपक फिल्म दिखलाने के प्रबन्ध हैं।

श्री सुबोध हंसदा : इस समय कितने सरकारी एकक हैं और उन पर कितना खर्च किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक जहाजरानी निगम के जहाजों का सम्बन्ध है हम प्राय: हिन्दी और अंग्रेजी की फिल्में दिखाते हैं । हम यथासंभव अच्छी फिल्मों का चयन करते हैं। व्यय के सम्बध में मैं जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस मनोरंजन के लिए यात्रियों से अधिक किराया लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : जी, नहीं । यह एक प्रकार की सुविधा है ।

Procurement of Jawar and Rice

*1272. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any authentic reports of the failure of Government to procure jawar in Maharashtra and rice in Bihar have been received by him;

(b) whether any efforts to procure Kharif crops were made in other States also;

(c) if so, the result thereof; and

(d) whether Government would decide their policy on procurement of Rabi crops keeping these results in view?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने ज्वार की पर्याप्त मात्रा खरीदी है । बिहार सरकार की चावल की खरीदारी भी वहां की परिस्थितियों पर विचार करते हुए असन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस वर्ष सरकारी खाते में खरीदारी गत वर्षों की इसी अवधि में खरीदी गयी मात्रा से पर्याप्त अधिक रही है ।

(घ) सरकार ने पहले ही गेहूं की खरीदारी करने का निर्णय किया है ।

Shri Kishen Pattnayak: Is it a fact that only 18 to 20 lakh tonnes of jawar was procured in Maharashtra against the target of 65 tonnes and; if so, does it not mean that Government have failed in the matter of procurement of foodgrains and the foodgrains are being sold in the blackmarket as a result of which prices are likely to increase further?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह गलत है । महाराष्ट्र में समाहार-कार्य दिसम्बर में आरम्भ किया गया था तथा दिसम्बर में 4.9 हजार टन, जनवरी में 20.6 हजार टन, फरवरी में 42.3 हजार टन, मार्च में 68.9 हजार टन और अप्रैल में 61 हजार टन खाद्यान्नों का समाहार किया गया, इस प्रकार कुल 197.7 हजार टन खाद्यान्नों का समाहार किया गया । इस से यह स्पष्ट है कि समाहार का कार्य तेजी से हो रहा है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये 65 लाख टन के आंकड़े गलत हैं । 65 लाख टन का समाहार करने का कोई कार्यक्रम नहीं था ।

Shri Madhu Limaye: My question is that Maharashtra Government could procure only 18 to 25 lakh tonnes against the target of 65 lakh tonnes fixed by them. Does it not show the vast gap between the target fixed and the actual quantity procured?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निश्चय ही माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है । 65 लाख टन ज्वार तो सारे देश में पैदा भी नहीं हो सकता । विक्रय के लिये लगभग केवल 20,000 से 25,000 टन तक उपलब्ध हो सकता है ।

श्री दे० जी० नायक : महाराष्ट्र में ज्वार किस भाव पर खरीदा गया तथा क्या वह उचित भाव था अथवा नहीं?

श्री दा० रा० चव्हाण : किस्म के अनुसार 43 रुपये से 45 रुपये तक ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या मंत्री महोदय एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिस में ज्वार और चावल का राज्यवार समाहार करने का कार्यक्रम दिखाया गया हो और क्या वह बतायेंगे कि देश में इन खाद्यान्नों को गोदामों में संग्रह करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ज्वार के समाहार के बारे में हमारी अखिल भारतीय नीति नहीं है । इस सम्बन्ध में राज्य स्वयं निर्णय करते हैं और केवल महाराष्ट्र सरकार ही एकाधितत्य रूप से ज्वार का समाहार कर रही है । जहां तक चावल का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार को 90.5 लाख टन चावल खरीदना है जिस में से वह 11.5 लाख टन खरीद चुकी है । राज्य सरकारों को लगभग 10 लाख टन चावल खरीदना था जिस में से वे 8–9 लाख टन खरीद चुकी हैं । अतः कार्यक्रम के अनुसार समाहार किया जा रहा है ।

Shri D. S. Patil: May I know the names of States which have gone in for monopoly procurement and the prices paid by those States and whether the Maharashtra Government have fixed the prices with the consent of the Central Government?

श्री दा० रा० चव्हाण : एकाधिपत्य रूप से खरीद और समाहार केवल महाराष्ट्र में किया जा रहा है । मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी समाहार किया जा रहा है किन्तु एकाधिकारी आधार पर नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : किस भाव पर और क्या उसकी अनुमति दी गई है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अनुमति दी गई है ।

श्री रंगा : जिन राज्यों में एकाधिकार समाहार प्रणाली लागू है––जैसे कि महाराष्ट्र––क्या उन में ज्वार अथवा अन्य अनाजों के भाव प्रति वर्ष पहले वर्ष की तुलना में उसी अनुपात से बढ़ाये जाते हैं । जिस अनुपात से अन्य राज्यों में उसी प्रकार के अनाजों के भाव में वृद्धि की जाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारे देश के लिए ज्वार का भाव 38 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । महाराष्ट्र सरकार 43 रुपये से 45 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रही है । यह भाव गत वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या बाजार से चावल खरीदने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही गलत नीति के कारण चावल के भाव, विशेष रूप से उत्तर बिहार में, बहुत अधिक बढ़ गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बिहार में चावल का समाहार केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है । बिहार सरकार अपने कार्यक्रम के अनुसार चावल खरीद रही है उसने केवल 20,000 टन चावल खरीदा है जिसका बाजार भाव पर निश्चय ही कोई प्रभाव नहीं हो सकता ।

Shri Bade: Keeping in view the fact that Madhya Pradesh and Maharashtra are adjoining States, may I know the quantity of jowar permitted by the Central Government to be supplied from Madhya Pradesh to Maharashtra?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मोटे अनाजों के लिये भी पृथक् जोन हैं। राज्य सरकारों तथा विनियमित आधार पर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को ज्वार भेजा जाता है । अब तक मध्य प्रदेश से लगभग 20,000 टन ज्वार महाराष्ट्र को भेजा गया है ।

Shri Y. P. Mandal: Keeping in view the procurement condition as stated by the hon. Minister that it is not unsatisfactory in Bihar, do Government propose to increase the distribution of wheat there?

Mr. Speaker: "Not unsatisfactory" means it is not bad.

श्री शशि रंजन : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि पिछले कुछ महीनों में गेहूं के मूल्य—विशेष रूप से बिहार में बहुत अधिक बढ़ गये हैं और मूल्य बढ़ने का एक कारण समाहार भी है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर प्रदेश तथा बिहार दो राज्यों में घोषित स्तर के अनुसार मूल्य कम नहीं हुए । हम मूल्य कम करने के लिये कोई योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जहां तक समाहार का प्रश्न है, मैं बता चुका हूं कि केवल 20,000 टन चावल खरीदे गये ।

श्री रंगा : यदि स्थानीय जनता मूल्य कम नहीं करना चाहती तो उन्हें कम करने की क्या आवश्यकता है ? क्या स्थानीय किसानों को अधिक मूल्य नहीं मिलना चाहिए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें उपभोक्ताओं का हित भी देखना पड़ता है । किसी स्तर पर मूल्य रहना ठीक है, किन्तु जब वे उस स्तर को पार कर जाते हैं उन्हें एक उचित स्तर तक लाने के लिए कार्यवाही करनी पड़ती है । इसीलिए हम सोच रहे हैं कि क्या कार्यवाही की जाये ।

श्री जसवन्त मेहता : वर्तमान क्षेत्रीय वितरण व्यवस्था के अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य से अनाज खरीदता है । क्या सरकार को पता लगा है कि आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्य कमी वाले राज्यों से अधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ? क्या सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है तथा इस शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खुले बाजार में अनाज खरीदने की अपेक्षा एक राज्य सरकार द्वारा दूसरी राज्य सरकार से खरीदने में अनाज बहुत सस्ता मिलता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Has it come to the notice of the government that procurement has not proved successful in States like Bihar because the farmers are given chits instead of cash price for their foodgrains and they have to go to S.D.O's. office several times to get the payment against those chits. Keeping in view the questions asked by M.P.'s in the past have the State Governments been authorised to make cash payment instead of issuing chits?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आशा है कि निकट भविष्य में इन राज्यों में खाद्य निगम की शाखायें खोली जायेंगी जिस से ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या सरकार को पता है कि अच्छी फसल होने के बावजूद तथा समाहार मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी इन्दौर, उज्जैन तथा अन्य गेहूं का उत्पादन करने वाले स्थानों में गेहूं मंडियों में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मंडियों में गेहूं न आने के कारणों की जांच की है तथा गेहूं की यह कमी किस प्रकार दूर की जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे पत्र द्वारा बताया था कि वहां पर अपेक्षित मात्रा में गेहूं मंडियों में नहीं आ रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार ने अधिकतम भाव वास्तविक आधार पर निर्धारित नहीं किये हैं । इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल को देखते हुए हम ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि उसे अधिकतम भाव निर्धारित न करके बाजार भावों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित होने देना चाहिए । पंजाब में यही नीति अपनाने से वहां मूल्य बढ़ने के बजाय घट रहे हैं । अतः मुझे आशा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार कर के केन्द्रीय सरकार की सलाह मान लेगी ।

गेहूं के न्यूनतम तथा अधिकतम भाव

*1273. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने आगामी फसल के लिए गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज के न्यूनतम और अधिकतम भाव क्या निश्चित किए हैं; और

(ख) इस फसल के लिए सरकार ने क्या मूल्य नीति निर्धारित की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 1964–65 की फसल के लिये विभिन्न खाद्यान्नों के जो उत्पादक भाव घोषित किये गये हैं, उन के बारे में एक विवरण (अनुबन्ध 1) सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4422/65]** । एक अन्य विवरण (अनुबन्ध 2) जिस में विभिन्न राज्यों में 1964–65 की फसल के लिये कुछ खाद्यान्नों के लिए निर्धारित सांविधिक अधिकतम भाव

दिये गये हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4422/65]**

(ख) सरकार की खाद्यान्न मूल्य नीति उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने की है और यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को उसकी आवश्यकताएं उचित मूल्य पर मिलें ।

Shri Yashpal Singh: The Central Government deputed one of their Secretaries to Punjab immediately after the prices of wheat began to fall down. I want to know about the report submitted by him.

श्री दा० रा० चव्हाण : यह बताया जा चुका है कि हम पंजाब में काफी मात्रा में गेहूं खरीद रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister had given assurance last time to lift control and discontinue zonal system. If the zonal system is discontinued the farmers of Punjab will get reasonable price and the people of Uttar Pradesh will get sufficient wheat. I want to know why the government do not want to discontinue this system?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): इस पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और हम सभी इस बात पर साधारणत: सहमत हो गये थे कि गेहूं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रणाली जारी रखी जाये । हम इस में इस समय वर्ष के मध्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Just now the hon. Minister has said that the prices of wheat have fallen down in Punjab. He himself had given an assurance that prices of wheat would not be allowed to fall down but now the traders are persistantly trying to bring them down. The Punjab Government had also assured and promised to purchase the wheat but wheat is being purchased from the farmers in rural areas at half rate. The wheat will be sold at double the rates after some time. May I know whether government propose to protect the farmers from being exploited?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकार उस आश्वासन पर अब भी कायम है । इसीलिए सरकार, हस्तक्षेप करके, अब वहां पर गेहूं खरीद रही है । मूल्य, प्रोत्साहन मूल्य से 2 रुपये अधिक बढ़ गये हैं । यही सरकार की नीति है । हम मूल्यों को प्रोत्साहन मूल्य से नीचे नहीं गिरने देंगे ।

Shri Yudhvir Singh: The price of Punjab wheat has continuously declined by Rs. 10 to Rs. 15 during the last 10 or 15 days. It has been a subject matter of strong criticism. The question, the notice of which was given by me related to Punjab wheat only but it is quite a different thing that it was clubed with other question. Keeping in view the assurance given by the government that farmers would be paid the full price of wheat, the Punjab Government began to procure it. But in spite of procurement of wheat by

State Government itself, may I know whether this fact has come to their notice that the farmers are not still being paid reasonable prices on the basis of enhanced price? In view of these facts may I know whether the policy declared by the government, that the farmers will be paid remunerative price and that nobody would be allowed to purchase wheat at lower price, will be strictly adhered to?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : फसल काटने से पहले गेहूं का भाव 65 रुपये से 70 रुपये प्रति क्विंटल था जो बहुत अधिक था । फसल काटने के बाद अधिक भाव न रहना स्वाभाविक है। इसीलिये हम फसल कटने के बाद किसानों को लाभप्रद मूल्य देना चाहते हैं और हम ने गेहूं का भाव 53 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया । अब हम 53 रुपये प्रति क्विंटल या इस से कुछ अधिक भाव पर गेहूं खरीद रहे हैं । अतः इस स्तर से कुछ अधिक भाव चलता रहेगा । हमें फसल काटने से पहले के भावों के साथ फसल काटने के बाद के भावों की तुलना नहीं करनी चाहिये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य प्रोत्साहन नीति अनाजों के न्यूनतम मूल्य नियत करने पर आधारित है, जिस में बाजार भाव निर्बाध रूप से चलते हैं और उस स्तर से मूल्य किसी भी सीमा तक बढ़ सकते हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार को इस नीति के विपरीत कार्य करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उसने केन्द्रीय सरकार के न्यूनतम भाव निर्धारित करने के सुझाव के विरुद्ध गेहूं, ज्वार तथा चावल के अधिकतम भाव निर्धारित किये और वे भी बाजार भाव का एक चौथाई ? यदि हां, तो भारत सरकार ने इसको अनुमति क्यों दी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य के आंकड़े सही नहीं हैं । वास्तव में महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों में निर्धारित किये गये भाव से अधिक भाव निर्धारित किये हैं । सरकार किसानों को, प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने के लिए, लाभप्रद मूल्य देना चाहती है । इस में सरकार काफी सफल रही है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अवसर की प्रतीक्षा करें।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने बताया है कि चूंकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों की राय से एक नीति निर्धारित की गई थी इसलिये वह उसमें इस समय वर्ष के मध्य में परिवर्तन नहीं करना चाहते। किन्तु सरकार की आशा के विपरीत अच्छी फसल होने के कारण भाव बहुत गिर गये हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश और पंजाब के पड़ौसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में पुनर्विचार करेगी ताकि दो राज्यों के बीच निर्बाध व्यापार चलता रहे और पंजाब में गेहूं के भाव न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे न गिरने पायें अन्यथा इस से केवल व्यापारियों को ही एक ओर तो गेहूं का संग्रह कर के और दूसरी ओर उपभोक्ताओं से मुनाफा लेकर, लाभ होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हम ने यह बात स्वीकार की थी कि इस वर्ष पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच क्षेत्रीय प्रतिबन्ध न हटाये जायें । उत्तर प्रदेश में भी अच्छी फसल हुई है और उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए ।

अतः हमें कुछ समय और स्थिति का निरीक्षण करना चाहिये। हाल में ही फसल कट रही है और उत्तर प्रदेश में भी भाव गिरने की प्रवृति जारी है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा क्या सरकार द्वारा नियुक्त कृषि-मूल्य आयोग ने गेहूं के मूल्यों की समस्या की ओर ध्यान दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। आयोग नियुक्त करने से बहुत पहले ही यह घोषित किया गया है कि आयोग गेहूं के न्यूनतम भाव निर्धारित नहीं कर सकता। किन्तु उसने यह सिफारिश की थी कि चूंकि प्रोत्साहन मूल्य घोषित किया गया है अतः अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। भावों में बाजार की स्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव होने दिया जाये। यह सिफारिश राज्य सरकारों से की गई थी किन्तु केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस सिफारिश को नहीं माना और उन्होंने अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिये।

श्रीमती विमला देवी : फसल की कटाई के समय व्यापारी बहुत सस्ते भाव पर अनाज खरीदते हैं और बाद में वे स्टाक जमा कर के भाव बढ़ा देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे जो भाव चाहें निर्धारित कर सकते हैं। क्या सरकार को पता है कि इससे न तो उत्पादकों को लाभ होता है और न ही उपभोक्ताओं को और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये हम ने निम्नतम प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित किया है जिस से कम मूल्य पर कोई व्यापारी गेहूं नहीं खरीद सके। पंजाब में कुछ दिनों के लिए ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और इसीलिए हम हस्तक्षेप कर के न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर खरीद रहे हैं। हम पंजाब को न्यूनतम प्रोत्साहन मूल्य देने का आश्वासन दे रहे हैं।

चावल प्रायः आन्ध्र प्रदेश से आता है। इसलिए स्वभावतः इसका सम्बन्ध आन्ध्र के चावल से है। हम ने चावल के अधिकतम भाव निर्धारित किये हैं और उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता है। यह अभी तक आन्ध्र के चावल के सम्बन्ध में किया गया है।

श्री इकबाल सिंह : पंजाब के शहरों की कुछ मंडियों में, जिन में नया गेहूं आ रहा है, सरकारी निरीक्षकों तथा व्यापारियों के अनुचित दबाव के कारण भाव निम्नतम स्तर तक गिर गये हैं। क्या सरकार उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये इस प्रकार के दबाव को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये हम ने खाद्य विभाग के सचिव को पंजाब सरकार को यह बताने के लिए पंजाब भेजा था कि न्यूनतम भाव निर्धारित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि गेहूं उसी भाव पर बिके। गेहूं के भाव निम्नतम भाव से थोड़े अधिक

हों तो कोई हर्ज नहीं है । पिछले दो दिन में भाव कुछ बढ़े हैं ।

Shri Lahri Singh: Punjab is a border State and its difficulties are increasing but government are not prepared to discontinue zonal system. May I know whether government will give any assurance that all the wheat coming to the market will be sold at fixed prices?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, पंजाब को आश्वासन दिया गया है और इसे कार्य रूप में भी दिया जायेगा । हम वह सभी गेहूं निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिये तैयार हैं। जो बेचने के लिये मंडी में आयें । यदि किसान को इस से अधिक मूल्य मिले तो हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

Shri Sheo Narain: May I know whether it is a fact that a resolution passed by fifty thousand traders has been submitted to the government to the effect that government are not at all in a position to control the wheat coming to the market, hence zonal system should be abolished? May I know the objections the government have in this regard?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन मामलों में मैं व्यापारियों को अपना मार्ग दर्शक नहीं मानता हूं । मैं ऐसा निर्णय करूंगा जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक हो ।

Buffer Stocks

+

*1274. { **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Brij Basi Lal:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Governments have turned down the request made by the Central Government that foodgrains for Central buffer stocks be purchased by the States;

(b) if so, the names of such States, as also reasons for turning down the said request; and

(c) the reaction of Government thereto?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Vishwa Nath Pandey: Government have decided to build a buffer stock of foodgrains. I want to know the quantity required to be procured for this buffer stock and the action being taken by the Government thereto?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : रक्षित भंडार देश में खरीदे गये तथा आयात किये गये अनाज दोनों ही से बनाना होगा । 1965–66 के लिये हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि जून, 1966 तक हम कम से कम 25 लाख टन गेहूं और कम

से कम 10 लाख टन चावल एकत्रित करना चाहते हैं । हम देश में अनाज खरीदकर तथा आयात किये गये अनाज से यह भण्डार बनाया जायेगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether Government will procure foodgrains from States; if so, the names of the States and the foodgrains to be procured?

श्री दा० रा० चव्हाण : हम पहले बार-बार बता चुके हैं कि हम आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पंजाब से समाहार कर रहे हैं। चावल के समाहार के लिये 19.5 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जाने वाला रक्षित भण्डार केवल पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये गेहूं से तैयार किया जायेगा अथवा राज्य सरकारों द्वारा देश में पैदा किये गये गेहूं से और क्या हाल की घटनाओं और अमरीका के पाकिस्तान की ओर झुकाव को ध्यान में रख कर सरकार कुछ कदम भी उठायेगी ताकि हमें अपना रक्षित भण्डार बनाने के लिए पी० एल० 480 पर निर्भर न रहना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक हमारा संबंध है हमें अब भी आयात किये गये गेहूं पर निर्भर रहना है चाहे वह पी० एल० 480 के अन्तर्गत हो अथवा आस्ट्रेलिया या कनाडा से वाणिज्यिक खरीद हो । हम अन्य देशों से भी खरीद सकते हैं । जितना हम उत्पन्न करते हैं वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है और यही कारण है कि हमें आयात किये हुए गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता है । रक्षित भण्डार आयात किये गये गेहूं से बनाना होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : रक्षित भंडार तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार किन राज्यों में समाहार कर रही है तथा कौन से राज्य स्वयं समाहार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में उत्पन्न चावल के समाहार करने के मामले में लोगों की वास्तविक आवश्यकता निर्धारित करने की सावधानी बरती गई है ? उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश, जहां समाहार किया जा रहा है, साधारण उपभोक्ता को चावल नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा हैं तो वह कितनी निर्धारित की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आन्ध्र प्रदेश के लिए 8 लाख टन निश्चित की गई थी और आन्ध्र प्रदेश कह रहा था कि वे केवल 7.5 लाख टन का समाहार कर सकेंगे । इस प्रकार केवल 0.5 लाख टन का अन्तर हैं। आन्ध्र प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा तथा माननीय सदस्य को वहां कृत्रिम अभाव पैदा नहीं करना चाहिये ।

Shri K. N. Tiwary: May I know the targets for buffer stocks fixed for each State and the quantity procured in each State so far?

श्री दा० रा० चव्हाण : कुल लगभग 11.12 लाख टन का समाहार किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में 8 लाख टन का लक्ष्य है और 3.33 लाख टन का समाहार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 4 लाख टन का लक्ष्य है और 3.73 लाख टन का समाहार किया जा चुका है, उड़ीसा में 3 लाख टन में से 1.32 लाख टन और पंजाब में 2.5 लाख टन में से 2.56 लाख टन का समाहार हो चुका है।

Shri Achal Singh: May I know whether Government will give an undertaking that wheat will be sold at reasonable and uniform rates throughout the country?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : समान मूल्य नहीं हो सकता। हमें उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता के पास तक ले जाने के परिव्यय व्यय को ध्यान में रखना होगा।

Shri Onkar Lal Berwa: The hon. Minister just now stated that there has been a bumper crop at all places. I want to know whether on account of this factor the quantity of wheat being imported under PL 480 will be reduced?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम एक रक्षित भंडार बनाना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether the buffer stock in Madhya Pradesh will be built up with imported wheat or with the wheat produced in the State?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अकेले मध्य प्रदेश के लिए कोई अलग रक्षित भंडार कार्यक्रम नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey: I note from the list given just now by the hon. Minister that the procurement is falling short of the targets laid down? I want to know the action being taken by the Government to achieve the targets?

श्री दा० रा० चव्हाण : हम विभिन्न राज्यों में समाहार कर रहे हैं और समाहार का कार्यक्रम चल रहा है।

श्री मानसिंह पु० पटेल : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त करने की सरकार की नीति है। कुछ राज्य अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न कर देते हैं और सरकार द्वारा बताये गये ढंग से समाहार-नीति भी आरम्भ नहीं करते। इस मामले में मंत्रालय का क्या दृष्टिकोण होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें राज्य सरकारों को समझाना है कि वे उचित अनुमान लगायें तथा समाहार-नीति को चलाने में भी सहयोग दें।

Shrimati Jayaben Shah: I want to know the quantity to be allocated for the deficit States and the quantity to be stored in the buffer stock from current procurement and whether zonal system will continue or go?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक चावल का सम्बन्ध है, जिसमें आयात किया गया चावल शामिल है, सरकार को लगभग 28 लाख टन चावल मिलेगा जिसमें से हम लगभग 20 लाख टन कमी वाले विभिन्न राज्यों को देंगे।

एयर इंडिया की बम्बई-लन्दन सेवा

\+

*1275. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान में बम होने के सन्देह के कारण 18 अप्रैल, 1965 को एयर इंडिया का बम्बई से लन्दन जाने वाला विमान साढ़े तीन घण्टे से अधिक देर से उड़ा ; और

(ख) क्या इस मामल की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। 18 अप्रैल, 1965 को बम्बई से न्यूयार्क को जाने वाले एयर इंडिया के विमान ए आई-101 पर एक बम के रखे जाने के बा रे में एक सूचना के परिणामस्वरूप विमान की पूरी तरह तलाशी ली गई, और फलस्वरूप छूट-उड़ान 3 घण्टे 45 मिनट देर से की गई।

(ख) इस सूचना के स्रोत के बारे में एयर इंडिया द्वारा जांच की जा रही है ।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether Government have tried to ascertain the basis of this communication about a bomb being placed there, from that very point where they were informed about it and what is the reaction of the Government thereto?

Mr. Speaker: They have already stated that investigations are being made in regard to the source of information.

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether the passengers seated there and those who had to go to their destinations protested that they had been detained for nothing?

श्री कानूनगो : स्वाभाविक तौर पर यात्रियों को इससे कुछ असुविधा हुई ?

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि इस मामले की एयर इंडिया द्वारा जांच की जा रही है। क्या एयर इंडिया के पास कोई अपना निजी जांच-अभिकरण है जो कि मामले की सही-सही तौर पर छ न-बीन कर सके अथवा वह मामले की जांच करने के लिए, केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग, विशेष पुलिस संस्थान और रक्षा पुलिस तथा अन्य अभिकरणों की सहायता ले रहा है ?

श्री कानूनगो : सूचना का स्रोत लन्दन में था और इस लिये एयर इंडिया का लन्दन कार्यालय लन्दन पुलिस से सम्पर्क बनाये हुए है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह घटना अवैध सोना तथा हीरों के तस्कर-व्यापार की दृष्टि से आयोजित की गई थी ?

श्री कानूनगो : मैं नहीं कह सकता।

Shri Joachim Alva: May I know whether it is a fact that one incident helps Shri Walcott escape and the other one comes up with a bomb being placed on the plane; if so, the measures being taken by the Ministry of Civil Aviation to check such incidents? May I know the reasons for not taking steps to check such activities whereas the luggage of Members of Parliament is thoroughly searched?

श्री रघुनाथ सिंह : मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिये ।

Mr. Speaker: Has the hon. Minister any reply to this question?

Shri Kanungo: No, Sir. I have no reply to give.

गेहूं के निर्यात मूल्य

*1276. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों और चालू महीने में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के निर्यात मूल्यों का क्या रुख रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बार विश्व में गेहूं का जो उत्पादन हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले गेहूं का कोटा नियत किया गया था; और

(घ) क्या परिषद् ने गेहूं के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों की कोई सीमा निर्धारित की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में गेहूं के निर्यात भावों में सामान्यत: जनवरी से मार्च, 1965 में गिरावट का रुख आया । अप्रैल, 1965 में भावों में मामूली बढ़ोतरी रही है ।

(ख) गत वर्षों की तुलना में गत फसल वर्ष में गेहूं की उपज में बढ़ोतरी हुई है ।

(ग) पहला भाग—हां ।

दूसरा भाग—नहीं ।

(घ) नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार, 1862 के अन्तर्गत अधिकतम और न्यूनतम भाव निर्धारित किये गये थे ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या विश्व में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों में कमी के कोई संकेत मिले हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं, इस करार में कोई संशोधन नहीं हुआ है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस करार की अवधि को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और इसे किस अवधि तक के लिये बढ़ाया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसे 31 जुलाई, 1966 तक के लिए बढ़ाया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : जब अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो जनवरी के उत्तरार्ध में मूल्य-वृद्धि कैसे हुई है ? क्या भारतीय बाजार में इसका प्रभाव पड़ेगा और गेहूं के निर्यात के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमने आस्ट्रेलिया से केवल थोड़ी मात्रा में और कुछ मात्रा में कनाडा से गेहूं खरीदे हैं । आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप हमें इस वर्ष के आयात के लिए गेहूं अनुकूल मूल्यों पर उपलब्ध हुए हैं । हमें आस्ट्रेलिया से 200,000 टन गेहूं की खरीद करने पर 50,000 टन गेहूं उपहार के रूप में प्राप्त हुआ । इसलिये मूल्य का हम पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास उपहार आदि के रूप में प्राप्त हुए गेहूं का काफी भंडार है, क्या आयात किये गये गेहूं, जिसकी पर्याप्त मात्रा में मांग है, की कीमत कम की जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी. नहीं । इसका उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । कीमत नहीं घटाई जायेगी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मुझे आश्चर्य है कि हमारी सरकार की गेहूं सम्बन्धी अपूर्णता होते हुए भी उसके द्वारा गेहूं के मूल्यों में कमी करने के सोचे-समझे प्रयत्न की सहानुभूति में अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं के मूल्य सचमुच गिर गये हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी ऐसी स्थिति है ।

डा० सरोजिनी महिषी : देश में सप्लीकरण भण्डार बनाने के लिए चौथी योजना के दौरान लगभग कितना गेहूं आयात किया जायेगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मामला अभी विचाराधीन है हम किसी निश्चित आंकड़े पर नहीं पहुंचे हैं ।

राज्यों में खाद्य निगम

\+

*1277. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

का **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रधान ने प्रत्येक राज्य में एक खाद्य निगम बनाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the poor States like Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan will be conferred upon some rights of self-existence or the fate of all these States will be decided at Madras?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): यह मद्रास खाद्य निगम नहीं है। यह भारतीय खाद्य निगम है जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में है। ऐसी बात नहीं है कि केवल उत्तर-भारत में ही इसकी स्थापना किये जाने पर यह अखिल भारतीय हो जायेगा।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the chairman has been directed to make statements daily—he is not to chalk out the policy; he has to implement it?

श्री दा० रा० चव्हांण : वास्तव में माननीय सदस्य कुछ गलतफहमी में हैं। वास्तव में भारत का खाद्य निगम अधिनियम के उपबन्धों के अधीन . . . .

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने प्रधान के वक्तव्यों के बारे में पूछा है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं उसी बात के बारे में बताने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमंत्री सीधा उत्तर क्यों नहीं दे देते ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में प्रधान ने यह कहा कि वे इस समय खाद्य निगम के संगठन कार्य में व्यस्त हैं और वे अभी इस पर विचार नहीं कर रहें हैं।

श्री रंगा : श्रीमान्, उन्होंने एक सुझाव दिया है; प्रश्न के उत्तर में उन्होंने "हां" या "नहीं" कहने का तो शिष्टाचार निभाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने भी कहा।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय की इस बात से सहमत होते हुए कि यदि कोई वस्तु उत्तर भारत में नहीं है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह भारत में ही नहीं है ; क्या यह सच नहीं है कि, हम भी उसी प्रकार विश्वास करते हुये, किसी एक ही राज्य के मंत्रियों तथा पदाधिकारियों को काफी संख्या में देख कर खुश रहते आये हैं और माननीय मंत्री महोदय ने एक साधारण प्रश्न पूछा जाने पर ऐसा उग्र उत्तर क्यों दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रश्न पूछना यहां पर प्रासंगिक नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान्, मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान्, श्री यशपाल सिंह जी ने एक साधारण प्रश्न पूछा। उसके उत्तर में मंत्री महोदय उत्तर तथा दक्षिण का प्रश्न ले आये। वह इस प्रश्न को बीच में क्यों ले आये (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नाथ पाई : भारतीय खाद्य पिगम की क्रमशः बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्षेत्रीय खाद्य संचालकों पर छोड़ दिये गये कार्यों का, यदि कोई हो, क्या होगा ? यदि उन्हें सरकारी तौर पर कोई काम दिया जाना है, तो क्या क्षेत्रीय निदेशालयों में काफी संख्या में काम कर रहे कर्मचारियों को खपाने के लिए मंत्री महोदय के पास क्या योजनायें हैं क्योंकि इन कर्मचारियों को अपने भविष्य के बारे में गम्भीर चिन्ता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि उन्हें यथासंभव खाद्य निगम में खपा लिया जायेगा और जो कर्मचारी बच जायेंगे उन्हें अन्यत्र नौकरी दी जायेगी ।

श्री इकबाल सिंह : क्या पंजाब सरकार ने राज्य खाद्य निगम बनाने के लिए कहा है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । इस मामले पर भारतीय खाद्य निगम तथा पंजाब सरकार के बीच बातचीत चल रही है ।

श्री प्रिय गुप्त : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि खाद्य निदेशालय के खाद्य निगम में अन्तरित किये जाने पर, कर्मचारियों को खाद्य निगम में अथवा अन्यत्र खपा लिया जायेगा, क्या खाद्य निगम में इन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृन्ति वेतन स्थायीकरण, वरिष्ठता तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में सेवा के निबन्धन और शर्तों में स्पष्ट रूप से संरक्षण दिया जायेगा यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है और क्या मंत्री महोदय राज्य तथा केन्द्र की सेवाओं को खाद्य निगम के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थान नियतन करने के बारे में लिखेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य निगम में जो सेवा की शर्तें हैं वे सरकारी कर्मचारियों को बता दी जायेंगी । यदि वे खाद्य निगम की सेवाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हों तो उन्हें खाद्य निगम के अधीन लिया जायेगा, यदि उन्हें मंजूर न हों, तो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम तथा प्रक्रियाएं उन पर भी लागू होंगी ।

श्री प्रिय गुप्त : उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य निगम में जाने पर क्या उनकी सेवा की शर्तें बदल जायेंगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : थोड़ा परिवर्तन तो अवश्य ही होगा । इसीलिये कर्मचारियों को दोनों में से किसी एक को वरण करने की छूट दी जा रही है ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या खाद्य निगम इस समय भी नये लोगों की भर्ती करके उन्हें उनके पदों पर नियुक्त कर रहा है, यदि हां, तो क्या उक्त निगम का यह कार्य इन छंटनी किये गये कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में नहीं डालेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के लिए भर्ती की जा रही है । इसका उन संगठनों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है जो पहले से खाद्यान्नों के आयात अथवा उनके वितरण सम्बन्धी कार्य में लगे हुए हैं । जहां तक इन कर्मचारियों का सम्बन्ध है,

नये कर्मचारियों की भर्ती करने से पूर्व वे पहले काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में विचार करेंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : खाद्य निगम की उपार्जन सम्बन्धी कार्य तथा अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त क्या उन्होंने खाद्यान्नों की वृद्धि करने के लिए, जो कि इस निगम के मुख्य कार्यों में से एक है, कृषकों को ऋण तथा अन्य सुख-सुविधायें उपलब्ध करने की दिशा में कोई प्रगति की है, यदि हां, तो उन्होंने किस सीमा तक प्रगति की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, अभी नहीं ।

उड़ीसा विधान-सभा के चुनाव

+

*1278 **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा विधान-सभा के आगामी चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये चुनाव कब होंगे ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री धुलेश्वर मीना : उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं की सलाह से केन्द्रीय सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वे प्रस्ताव कौन से हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री धुलेश्वर मीना : जैसा कि मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि केन्द्रीय सरकार ने इन चुनावों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस पर कब तक निर्णय कर लेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : यथोचित समय में ।

श्री त्रिदब कुमार चौधरी : क्या इससे हम यह समझें कि उड़ीसा विधान सभा के चुनाव 5 वर्षों की अवधि के पश्चात कराये जायेंगे जैसाकि नियम है अथवा क्या इन्हें मुल्तवी किया जायेगा ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : चुनाव अवश्य कराये जायेंगे । संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के अन्तर्गत इनको मुल्तवी करने का अधिकार केवल संसद को ही है ।

Shri Prakash Vir Shastri: I want to know whether the decision to go on putting off the elections to the Legislative Assembly has

been taken after taking a lesson from Kerala or are there any other legal difficulties in the way of the Government?

Shri A. K. Sen: No decision has so far been taken.

डा० रानेन सेन : उड़ीसा विधान सभा के चुनाव बहुत जल्दी होने चाहियें। इनको मुल्तवी करने के लिये सरकार को किसने प्रेरित किया हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : मुल्तवी करने का तो यहां कोई प्रश्न ही नहीं है। 5 वर्ष तो कहीं अगस्त 1966 में पूरे होंगे ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार का ध्यान उत्कल विश्वविद्यालय में एक समारोह में उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह 1966 में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और वह 1967 तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जगन्नाथ राव : उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का विवरण मैंने देखा है। संसद द्वारा इसके विपरीत बनाये गये किसी कानून के अभाव में संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन चुनाव 5 वर्षों के पश्चात होने चाहियें।

चावल की तीन फसलें पैदा करना

*1279. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक धान की तीन फसलें एक वर्ष में पैदा की जा सकती हैं क्या उन क्षेत्रों के किसानों को तीन फसलें पैदा करने का तरीका सिखाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने जापानिका इंडिका चावल संकरण योजना की अधिक प्रकार की किस्में तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने अधिक पानी में तथा अधिक ऊंचे स्थानों पर धान की खेती सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उपकेन्द्र खोलने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नये क्षेत्रों में धान की तीन फसलें पैदा करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये परीक्षण अभी जारी हैं। इन परीक्षणों के परिणामों को दृष्टि में रख कर ही शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

(ख) इस समय तक इण्डिका-जापानिका की अच्छी किस्मों के संकरण द्वारा केवल मद्रास राज्य में ही बीज वर्धन का कार्य शुरू किया गया है। .

(ग) अधिक पानी में तथा अधिक ऊंचे स्थानों पर धान की खेती सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उपकेन्द्र खोलने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने कोई उपयुक्त संगठन स्थापित किया है जिससे अनुसंधानों के परिणामों को खेतों में किसान तक पहुंचाया जा सके और उनसे पूर्ण लाभ उठाया जा सके ?

श्री शाहनवाज खां : जी, हां, सभी विकास खण्डों में विस्तार सेवा की पर्याप्त व्यवस्था है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह कैसे है कि इण्डिका-जापानिका योजना के चालू होने के 10 वर्षों के पश्चात भी हमारा औसत उत्पादन जापान में उत्पादन की तुलना में उसक एक तिहाई से भी कम है और क्या सरकार इस प्रश्न के इस पहलू का पुनः अध्ययन करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : एक किस्म का विकास करने के लिये एक लम्बी विधि है। केवल हाल में ही मद्रास में इण्डिका जापानिका किस्म का विकास किया गया है जिसका न्यूनतम उत्पादन 4,000 पौंड है तथा अधिकतम 5,000 से 6,000 पौंड तक है । इस किस्म का अब अन्य स्थानों पर भी उत्पादन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हमने एक समन्वित चावल अनुसन्धान कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें अन्य सभी प्रदेशों के लिये उपयुक्त किस्मों का विकास किया जायेगा ।

श्री रंगा : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में एक वर्ष में चावल अथवा धान की तीन फसलें पैदा की जाती हैं और हमारे किसान ऐसा पिछले 100 वर्षों से करते आ रहे हैं ? क्या वहां पर पैदा की जाने वाली किस्मों का अध्ययन किया गया है और क्या उनमें कोई सुधार किया जा सकता है जिससे उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जा सके और तदोपरांत इन्हें अन्य स्थानों पर भी पैदा किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ; वास्तव में, अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर कुछ अधिक उत्पादन होता है, परन्य विद्यमान किस्मों के बारे में कठिनाई यह है कि अधिक उर्वरीकरण से इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप कम उत्पादन होता है। जितना उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है उस अनुपात से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और कुछ मामलों में कम उत्पादन भी होता है। इसीलिये हम ऐसी किस्मों का विकास कर रहे से जिससे अधिक उर्वरक डालने से विपरीत प्रभाव न पड़े ।

Shri Vishram Prasad: The hon. Minister just now said that. Indica-Japanica has been evolved. I want to know what would be the duration of its growth?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें लगभग 7 वर्ष लगेंगे ।

Shri Brij Raj Singh: I want to know whether Government simply want to give information to farmers or do Government propose to provide the material required for its production?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल जानकारी देने मात्र से ही उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। आवश्यक सामान की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

Shri Brij Raj Singh: My question is whether you are making arrangements for providing the requisite material or you simply want to give us the technical information? I called some people of the Central Rice Research Institute, Cuttack to my form. They tried to have one coal outlet, but our U.P. Government could not arrange the outlet. I want to know whether the Government will arrange to provide these things or by simply equipping us with the technical know-how, they want to put us to disrepute that the farmer does not know anything? Will you go on doing like this?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य के खेत से सम्बंधित समस्याओं के बारे में उत्तर नहीं दे सकता। यदि ठीक प्रकार से अभ्यावेदन किया जायेगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

श्री पु० र० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई जांच की गई है कि जिलों के विस्तार सेवा अधिकारी तथा कृषि अधिकारी कृषि अनुसंधान के बारे में कुछ जानते हैं और यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा कहां तक अनुसंधान किया गया है और इससे किसानों को कहां तक अवगत किया गया है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारी विस्तार सेवा बिल्कुल संतोषजनक है। वास्तव में चौथी योजना पर तैयार किये गये पत्र में इस बात पर विचार किया गया है और हम अपने ग्राम सेवक तथा विस्तार अधिकारी के कार्य को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बिना बिकी खादी

+

*1280. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं में करोड़ों रुपये की खादी बिना बिकी पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जमा हुई खादी का कुल मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इसे बेचने के लिये क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : 1964–65 के वित्तीय वर्ष के लिये बचे हुए माल की जांच की जा रही है और पूरा व्यौरा आयोग को छ महीनों में प्राप्त हो जाएगा। अभी तक ऐसी कोई भी बात नजर में नहीं आयी जिससे कि माल के जमा होने का पता लगता हो।

Shri Raghunath Singh: I want to know whether the cost of production of khadi is going on increasing or decreasing? Is it not a fact that the sale of khadi has gone down because it is costly?

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत नहीं हूं ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने खादी के टिकाऊपन तथा किस्म का कभी कोई अध्ययन किया है जिसका स्तर अम्बर चर्खा तथा अन्य चीजों के चालू किये जाने से गिर गया है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ।

Shri Bade: The hon. Minister has stated that khadi stocks are not accumulating. I want to know whether unsold khadi would be

utilised for uniforms of Railway conductors and guards as uniforms prepared of khadi are being forced on messengers?

श्री जगन्नाथ राव : यह प्रश्न का दूसरा पहलू है जिस पर विचार होना है ।

श्री तिरुमल राव : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि खादी जमा नहीं हुई है । परन्तु जब हम धोतियां और अन्य चीजें खरीदते हैं तो वह बहुत पुरानी होती हैं और 4 से 6 मास में ही फट जाती हैं और गुणावस्था में भी सामान्य ह्रास हुआ है । क्या वह इससे अवगत हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : हो सकता है कि यह स्टाक दुकान म पड़ा खराब हो गया हो ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Delhi Milk Scheme

\+

S.N.Q. No. 18. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Nath Pai:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Daji:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to convert the Delhi Milk Scheme into a Public Limited Company with effect from the 1st June, 1965;

(b) whether it is also a fact that some employees of the scheme are being retrenched;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether all concessions given to the employees by Government so far will continue to be given to them even after its conversion into a Public Limited Company?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) It has been decided to convert the Delhi Milk Scheme into a Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956, but the date on which the Company will come into being has not yet been decided.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The rights and privileges of the existing employees of the Delhi Milk Scheme will not be adversely affected by the conversion of the Scheme into a Company.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that Government is fed up with the working of this Scheme and to save its skin it is going to convert it into a Public Limited Company? Will it be possible to stop malpractices which were there in the past? Will the Government Guarantee protection of service to the employees?

Shri Shahnawaz Khan: As the hon. Member knows an Expert Committee was set up in July, 1964 to suggest improvements in the Scheme. The name of Committee was Kurian Committee. This Committee has recommended that this should be made a Public Company. Accordingly it is being done. I want to assure the hon. Members that our intention is to introduce improvements and not that we want to get rid of this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that notices to employees asking them to say whether they want to continue in Company's service or not are ready to be issued. Or the employees are being asked to quit service. Is it also a fact that employees with 15, 20 and 25 years' service are still temporary and they have not been made permanent; if so, what are the reasons therefor?

Mr. Speaker: For 20, 25 years.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Yes, Sir.

Shri Shahnawaz Khan: When it is converted into a Limited Company, every employee will be given a choice to remain under the existing terms of service or the rules of the Limited Company. They will have to give their option for the same.

Shri Vishram Prasad: Such Complaints like rotting of butter, adulteration of milk, fly in milk and blotting paper in curd are there, when the Scheme is under Government control. Do Government believe that these complaints will end when this Scheme is converted into a Public Limited Company?

Shri Kapur Singh: These things will increase.

Shri Shahnawaz Khan: We hope so and are working for that.

Shri Yudhvir Singh: I appreciate the welfare of employees. If you are going to convert it into a Public Limited Company, it means you are not satisfied with the working of present set up which means you want to get rid of it and are taking these steps. Have the Government thought over this and do they hope that the Delhi citizens will get dairy products easily and regularly?

Mr. Speaker: The hon. Minister has answered regarding these things in last two questions.

Shri Bade: Will the assurances given by the hon. Minister Shri Subramaniam, to the former Chairman of the recognised union, be honoured even after it is converted into a Public Limited Company? This was in the meeting held on the 16th December.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उन को कायम रखा जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri: Is it a fact that there has been great loss in working of the scheme keeping in view the investment made in it and that is why Government has decided to convert it into a Public Limited Company? If so, I want to know the amount of loss sustained so far?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें दो बातें हैं । एक यह है दूध कम दामों पर बेचना होता है और दूसरा यह कि जब हम क्रय करते हैं तो अधिक भाव पर लेना पड़ता है । जब मूल्यों में थोड़ी वृद्धि करते हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं कि यह न की जाये । यदि इस योजना को व्यापारिक ढंग से कार्य करना है तो इसे दूध को क्रय मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर विक्रय करना होगा । इसलिये में सरकारी सहायता देनी पड़ती है और हानि हो रही है ।

Shri Prakash Vir Shastri: What is the amount of loss so far?

अध्यक्ष महोदय : कितनी हानि हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद हैं मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । पहले एक बार हमने आंकड़े दिये थे ।

Shri Onkarlal Berwa: Is it a fact that during 1961-62 a machine worth rupees seven lakhs was imported and it is lying idle? If so, what are the reasons for that?

श्री चि० सुब्रण्यम : यदि माननीय सदस्य मशीन का ब्यौरा दें तो मैं पता चलाऊंगा ।

Shri Onkar lal Berwa: It is for preparing Ghee and butter and it was bought in 1961-62.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दिल्ली के नागरिकों के लिये और अधिक दूध उपलब्ध कराने के संसाधन जुटायेगी ताकि दूध की वर्तमान कमी न रहे ? यदि हां तो वे संसाधन क्या होंगे ? क्या वे बम्बई की ओर दुग्ध योजना की भांति होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : हम नये क्षेत्रों को ले रहे हैं । हाल ही में हमने दिल्ली के समीप मेरठ, गुड़गांव, पानीपत, करनाल के क्षेत्रों से दूध लेना आरंभ किया है । दूध सप्लाई में वृद्धि करने के लिये हम राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में जा रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस समय तक तो दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य के लिये सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है । क्या सरकार को मालूम है कि पिछले महीनों में न केवल मूल्यों के बारे में शिकायत थी बल्कि दूध के अनियमित रूप से मिलने आदि की भी शिकायतें थी ? कल की बड़ी शर्म की बात है कि जो दही दी गई थी उसमें सोख्ता निकला था। क्या माननीय मंत्री इस कार्य को इस तरह चलाने के लिये शर्म महसूस कर रहे हैं ? क्या उन्होंने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्य-वाही की जिन्होंने यहां बैठे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान न करते हुए यह किया है (**अन्तर्बाधाएं**) ? यह बड़ी शर्म की बात है । उन्हें ऐसा महसूस करना चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह हमारी जानकारी में लाया गया है । अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे । इस मामले की जांच हो रही है । अतः मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहता (**अन्तर्बाधायें**)

श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न यह है कि सोख्ता दही में पाया गया था या नहीं । निस्संदेह यह था (**अन्तर्बाधायें**) ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हें इसके लिये शर्म आनी चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : क्योंकि दही में सोख्ता मिला है इसलिये माननीय मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे । माननीय मंत्री उसी समय वहां गये, जब यह पता चला कि सोख्ता जैसी कोई चीज़ दही में मिली है । उन्होंने कहा कि इस की जांच करायी जा रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप भी वहां गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी गया था । सदस्यों ने मुझे सूचना देने की कृपा की थी, अतः मैं तुरन्त वहां गया । मंत्री महोदय भी गये थे । हम दोनों वहीं थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ लोगों ने शायद इसे खा लिया हो ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बहुतों ने खाया है ।

अध्यक्ष महोदय : उस दही के पास ही एक और भी पड़ा था । हमने उसे कपड़े के एक टुकड़े से लिया और उसे देखा परन्तु उसमें कुछ नहीं मिला । हां एक में निश्चय ही सोख्ता था । हमने भी देखा था । इसमें कोई संदेह की बात नहीं है परन्तु मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह जांच करा रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने सोख्ते दही के साथ खाये जा चुके हैं ? **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस मामले के बारे में पिछले कई महीनों से पता है । यह विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी । वह जानते हैं कि इस संगठन का काम बहुत निन्दाजनक है और यह ऐसे ही चल रहा है । अब इस में सोख्ता मिला है । हम इस घटना से इतने सम्बंधित नहीं । यह निन्दाजनक काम पिछले छः या आठ महीनों से चल रहा है और इसी कारण यह विशेषज्ञ समिति बनायी गई थी । इन आठ महीनों में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने पूरी प्रबन्ध व्यवस्था परिवर्तित कर दी है और नई प्रबन्ध व्यवस्था को कार्यभार दे दिया गया है । वे इस कठिन कार्य में सुधार की कोशिश कर रहे हैं । जब एक विषय में भूल हो जाती ह तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है और उसे तुरन्त ठीक नहीं किया जा सकता । अतः हम धीरे धीरे इसे ठीक करने का प्रयत्न कर र हैं । इस स्थिति का एक कारण यह है कि इस योजना को विभागीय संस्था के रूप में चलाया जा रहा है । सरकार को इस प्रकार की संस्था नहीं चलानी चाहिये । इसीलिये ही तो विशेषज्ञ समिति की मंत्रणा पर हम इसे पब्लिक लिमिटड कम्पनी में परिवर्तित कर रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कुछ भी नहीं होगा । आप सारे देश में नियंत्रण चाहते हैं और इस प्रकार के एक उपक्रम पर भी आप नियंत्रण नहीं रख सकते ?

टिस्को के कर्मचारी

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 19

डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्रभात कार :
श्री दाजी :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री वारियर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री मधु लिमये :
श्री कपूर सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है जिस में जमशेदपुर स्थित टिस्को के 400 पदच्युत कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन की प्रार्थना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने संसद भवन के सामने भूख हड़ताल की थी ; और

(घ) क्या उनको गिरफ्तार किया गया था ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) : (क) और (ख) यह मामला राज्य सरकार के **क्षेत्राधिकार** में आता है । श्रम मंत्रालय में प्राप्त सूचना के आधार पर इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4429/65**]**

(ग) और (घ) जी हां ।

डा० उ० मिश्र : विवरण में यह कहा गया है कि सरकार ने यथासम्भव उन कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाने में सहायता की है, जिन पर हिंसा तथा घोर अनुशासनहीनता के आरोप नहीं लगे हैं । यह बहुत भ्रामक है और आंशिक तथ्य है । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि किसी न्यायालय ने अवैध हड़ताल में भाग लेने के अतिरिक्त किसी श्रमिक को हिंसा तथा घोर अनुशासनहीनता का दोषी नहीं ठहराया है ? इस सम्बन्ध में मैं सरकार को उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में यह बताना चाहता हूं कि किसी भी श्रमिक को केवल अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण ही नौकरी से नहीं निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री र० कि० मालवीय : यह मामला बिहार विधान सभा में कई बार उठाया गया है और सरकार ने कई बार स्थिति स्पष्ट की है । इसके अतिरिक्त श्रमिकों ने निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की और वे वहां भी हार गये ।

डा० उ० मिश्र : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । श्रमिक उच्च-न्यायालय में किसी अनुशासन-हीनता के प्रश्न के विरुद्ध नहीं गये थे ।

अध्यक्ष महोदय उन्होंने उत्तर दे दिया है । अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा०उ० मिश्र : क्या उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि मामला मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंपा जाये या औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपबंधित कोई अन्य न्यूनतम दण्ड दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार के लिए है या केन्द्रीय सरकार के लिए ?

डा० उ० मिश्र : यह मध्यवर्ती सूची का विषय है ।

श्री र० कि० मालवीय : हम साधारणतया उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते जो राज्यों द्वारा निपटाये जाते हैं । क्षेत्राधिकार राज्यों का है । इन मामलों की पूरी जांच राज्य सरकारों द्वारा की गई थी । प्रत्येक मामले की पृथक पृथक जांच की गई है और लगभग 266 श्रमिकों को पुन: काम पर लगा लिया गया है । राज्य सरकार ने शेष 338 श्रमिकों को पुन: काम पर लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझा है ।

श्री स० मो० बनर्जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हे । डा० मिश्र का प्रश्न अलग है । हम जानते हैं कि यह काम राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं । वह कहते हैं कि यह राज्य का विषय है परन्तु यह वास्तव में मध्यवर्ती सूची का विषय है । इसके अतिरिक्त केन्द्र ने 10 करोड़ रुपये दिये हैं परन्तु उसे अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हो सकी है । वह इस्पात उद्योग की सहायता कर रही है परन्तु जब इस विशेष सार्थ के नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद का प्रश्न है तो माननीय मंत्री का इस प्रकार उत्तर देना उचित नहीं है । उन्होंने सारा बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया है । परन्तु उनका अपना निर्णय क्या है ? यह केन्द्र के अधीन आता है । मैं इस मामले में आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में आपका मार्ग दर्शन नहीं कर सकता ।

डा० रानन सेन : पिछले कुछ वर्षों में संसद के समक्ष भूख हड़तालें तथा प्रदर्शन होते रहे हैं और जहां तक मैं जानता हूं भूख हड़ताल करने पर किसी व्यक्ति अथवा किसी टोली को गिरफ्तार नहीं किया गया है । जब श्रमिकों की इस विशेष टोली ने भूख हड़ताल की तो उन्हें क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया ? क्या यह सरकार पर टाटा ग्रुप के सार्थों जैसे निहित स्वार्थों के दबाब के कारण किया गया है ?

श्री र० कि० मालवीय : जी नहीं । कहीं से कोई दबाब नहीं डाला गया है । हमें उन श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है जिन्होंने इस सदन के सामने भूख हड़ताल की थी और हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. . . . . .

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया ?

श्री र० कि० मालवीय : यह कार्यवाही पुलिस ने की ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये हैंपरन्तु उन्हें इसकी जांच करनी चाहिये क्योंकि इस समय वह यह जानते नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, डा० रानेन सेन का प्रश्न यह है कि संसद भवन के बाहर इन भूख हड़तालियों को क्यों गिरफ्तार किया गया जबकि जब तक किसी अन्य व्यक्ति को संसद भवन के सामने भूख हड़जताल करने पर गिरफ्तार नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : उनको यहां गिरफ्तार किया गया । स्वाभाविक ही इस बात के लिए अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होगा कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया ।

श्री र० कि० मालवीय : हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है । हमारे पास केवल यही सूचना है कि उन्हें 3 मई को गिरफ्तार किया गया और 5 मई को छोड़ दिया गया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, यह विचित्र बात है । वे लोग भूख हड़ताल आरम्भ करने से पहले कई मंत्रियों को मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया था और अन्त में उन्होंने भूख हड़ताल आरम्भ की थी । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कारण है कि सरकार ने न तो श्रमिकों को मध्यस्थ निर्णय की सुविधायें दी हैं, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार अपना प्रभाव डाल सकती थी, न ही उसने श्रमिकों की इस अनुचित गिरफ्तारी को रोका जबकि कई लोगों ने संसद भवन के सामने भूख हड़ताल की है और वे गिरफ्तार नहीं किये गये हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक मध्यस्थ निर्णय के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह श्रमिकों का काम है कि राज्य सरकार को इसके लिए कहें । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, उन्होंने राज्य सरकार को इस बात के लिए कहा है और उसने इस मामले की पूरी जांच की है और उसने मामले को न्यायनिर्णयन के लिए भेजना ठीक नहीं समझा है । जहां तक मध्यस्थ निर्णय का सम्बन्ध है यह नियोजकों की सहमति से किया जा सकता है । केवल नियोजकों की सहमति से ही मध्यस्थ निर्णय कराया जा सकता है ।

श्री प्रिय गुप्त : जैसा कि मंत्री जी ने बताया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ प्रतिशत लोगों को पुनः काम पर लगा दिया गया । उन को पदच्युत करने के क्या कारण थे और उन पर लगाये गये आरोप तथा निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय गैर-कानूनी हड़ताल पर आधारित थे या वहां पर उपद्रवों आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अन्य आरोपों पर आधारित थे । यदि यह राज्य सरकार के कथनानुसार अवैध हड़ताल थी तो मैं श्रम मंत्रालय को उच्चतम न्यालय के उनको सेवा में वापिस लेने सम्बन्धी निर्णय को लागू करने के लिए प्रार्थना करूंगा, विशेषतया वर्तमान आपातकाल में देश के हित के लिए (टिसको) टाटा कम्पनी जैसे सार्थों में नियोजकों तथा कर्मचारियों में सम्बन्ध अच्छे होने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग एक सुझाव है । प्रथम भाग का उत्तर दिया जाये ।

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक मैं इस प्रश्न को समझा हूं, मैं इसका उत्तर दूंगा । जिन आरोपों के लिए इन श्रमिकों पर अभियोग लाया गया वे यह हैं : हिंसा, तोड़फोड़, आग लगाना तथा.....

श्रीमती रेणु चक्रवती : यह आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं ।

डा० उ० मिश्र : असत्य बातों से सभा को भ्रम में डाला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री र० कि० मालवीय : न्यायालय की उपपत्ति यह है कि यह एक राजनैतिक हड़ताल थी और इस्पात कारखाने को ठप्प करने का आपराधिक षडयंत्र था। आरोप यह थे और निम्न न्यायालय ने निर्णय दे दिया था। श्रमिक पटना उच्च न्यायालय में गये और वहां भी..... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। आरोपों सम्बन्धी निम्न न्यायालय की उपपत्ति क्या थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वे सिद्ध नहीं हुये हैं।

श्री र० कि० मालवीय : न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यह राजनैतिक हड़ताल थी और इस्पात कारखाने में आपराधिक षडयंत्र था।

श्री प्रिय गुप्त : मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तथा संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। कृपया बैठ जाईये।

श्री प्र० कु० घोष: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि कर्मचारी पिछले सात वर्षों से बेकार हैं और उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है, क्या सरकार इसे उचित दण्ड समझेगी और सम्बंधित कम्पनी को उन लोगों से कुछ आश्वासन लेकर उन्हें पुनः काम पर लगाने के लिए कहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री प्रभात कार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन सभी लोगों के मामले न्यायालय को निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, बिहार सरकार का वक्तव्य ठीक सिद्ध नहीं होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या केन्द्रीय सरकार इस पहलू पर ध्यान देगी या वह अपने वक्तव्य के उसी भाग पर बल देगी जिसमें कहा गया है कि कम्पनी मामले पर पुनः विचार करने को तैयार नहीं है और इसलिए सरकार भी इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए तैयार नहीं है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : यह प्रश्न कम्पनी द्वारा मामले पर पुनः विचार करने का नहीं है। राज्य सरकार को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया है कि न्यायनिर्णयन के लिए यह मामला निर्दिष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है।

डा० उ मिश्र : इस का आधार क्या है ?

श्री प्रिय गुप्त : श्रीमान, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज० ब० सिंह।

Shri J. B. Singh: I want to know the authority ordering the arrest of Hunger Strikers. Whether the order was given by Central Government or the Tatas or whether Delhi Police themselves took action?

श्री संजीवय्या : जब भूख हड़ताल यहां हुई है तो कार्यवाही भी दिल्ली पुलिस को ही करनी थी।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से लगता है कि बिहार के श्रम आयुक्त ने भी इन मामलों की जांच की थी। क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिहार सरकार के श्रम सचिव श्री पांडे 1958 में जब हड़ताल हुई, थी टाटा इस्पात कारखाने में सेवा कर रहे थे और उन्हें वहां निदेशक बना कर

इसीलिये रखा गया था कि वह देखें कि बिहार सरकार टाटा प्रशासन के विरुद्ध कोई निर्णय न ले। इसी कारण कोई भी श्रम आयुक्त अथवा श्रम विभाग इस मामले में न्याय नहीं कर सका। क्या श्री पांडे अभी तक वहां हैं और क्या मंत्री महोदय ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के किसी अधिकारी को मामले के पुनरीक्षण तथा निर्णय के लिये किसी मध्यस्थ को सौंपने के लिए नियुक्त किया है ?

श्री संजीवय्या : पहली बात तो यह है कि किसी राज्य का श्रम आयुक्त इन मामलों में निर्णय नहीं लेता। निर्णय राज्य का श्रम मंत्री अथवा मुख्य मंत्री लेता है। श्री पांडे किन परिस्थितियों में टाटा कारखाने में लिए गए थे, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है।

श्री त० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सीधा प्रश्न किया था कि क्या यह श्री पांडे के प्रभाव के कारण हुआ.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

श्री मुहम्मद इलियास : पता नहीं सरकार क्यों यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय करवाने से इतना डरती है जबकि यह हर कार्मिक का अधिकार है। क्या केन्द्रीय सरकार इन कार्मिकों को, जो बहुत ही प्रवीण कार्मिक हैं, सरकारी क्षेत्र के कारखानों में रोज़गार देगी ?

श्री संजीवय्या : किसी भी इच्छुक कर्मचारी को जिसके प्रति अधिकारियों को उसके अनुशासनाधीन तथा स्वामीभक्त होने का विश्वास हो, सरकारी कारखानों में अवश्य ही रोजगार दिया जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते समय इस प्रकार अपना मत अथवा लांछन लगा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अकारण ही ऐसे लांछन नहीं लगाए जाने चाहिये।

Shri Madhu Limaye: It has been said that this matter comes under the States and not the Centre but I have to say that since the arrests were made in Delhi therefore it is Home Ministry's concern. It also comes under the Minister of Steel in the Central Government as it concerns the production of Steel and since Labour comes both in the Centre and the States, therefore it concerns the Central Government also. I, therefore, want to know whether the Government would try to find a solution to such a major dispute by referring it to an independent tribunal or the Labour Court under the Industrial Disputes Act?

श्री संजीवय्या : जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय क्षेत्र के मामलों में केन्द्रीय सरकार यह जांच करती है कि प्रत्यक्ष रूप से न्याय निर्णयन के लिये मामला उपयुक्त है भी अथवा नहीं। वर्तमान मामले में यह राज्य सरकार का संबंध है। उन्होंने मामले की जांच की है और उनके विचार में न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए यह मामला उपयुक्त नहीं है।

Shri Madhu Limaye: Sir, I think steel production is the concern of the Central Government.

Shri Kishen Pattnayak: Whether the Central Government by virtue of their experience during the last seventeen years have found

that Labour Laws are violated to the maximum in the Tata and Birla concerns and that Labour Unions are also disbanded successfully? If so, whether the Government are taking such steps which might help to implement anti-management and pro-labour policies?

श्री संजीवय्या : मैं सदस्य महोदय से सहमत नहीं हूं कि टाटा और बिड़ला के उद्योगों में कानून के उल्लंघन हुए हैं क्योंकि हाल ही में टाटा के इस्पात कारखाने में जब तालाबन्दी हुई थी तो बिहार सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियमों का प्रयोग कर के मालिकों को तालाबन्दी उठाने पर बाध्य कर दिया था ।

Shri Priya Gupta: The hon. Minister has stated that that was a political strike. I would like to have a clarification on this point. Political strike means political action against Government. How, then, a strike in a private company be called political? Can TISCO be identified with Government?

अध्यक्ष महोदय : कहा यह गया था कि उच्च न्यायालय का मत है कि यह राजनैतिक हड़ताल थी । माननीय सदस्य शायद इसका अर्थ जानना चाहते हैं।

श्री र० कि० मालवीय : न्यायालय का मत था कि वह एक राजनैतिक हड़ताल थी और वहां आपराधिक षड़यंत्र हुआ था ।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय सरकार ने वहां सेना भेज कर हड़ताल को राजनैतिक मामला बना दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हमें बताया जाए कि यह मत किस न्यायालय का था ?

श्री र० कि० मालवीय : निम्न न्यायालय को ने । फिर यह मामला पटना के उच्च न्यायालय के पास गया था ।

अध्यक्ष महोदय : उच्च न्यायालय के यहां जाने से पहले किस न्यायालय ने इस मामले की जांच की थी ?

श्री र० कि० मालवीय : दण्ड न्यायालय ने ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निर्जल गोदी का निर्माण

*1281. **श्री कोया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक निर्जल गोदी बनाने का कोई निर्णय कर लिया गया है और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : द्वितीय शिपयार्ड परियोजना के अंग के रूप में कोचीन पत्तन पर ड्राई डाक की सुविधाओं की व्यवस्था

करने का विचार है । इस संबंध में ब्यौरा मित्सुविसी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिडेड द्वारा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही ज्ञात होगा ।

Sugar Mill, Mehidpur

*1282. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Yashpal Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Vishram Prasad:
Shri Narendra Singh Mahida:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sugar Mill of Mehidpur, Ujjain has stopped crushing sugarcane?

(b) whether it is also a fact that due to this stoppage 4,60,000 quintal sugarcane is lying in the farms;

(c) if so, the action taken by Government to avoid this loss of Sugarcane; and

(d) the estimated amount of loss due to that?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

पी० एल० 480 के अन्तर्गत ज्वार

*1283. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को 100,000 टन ज्वार देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां । यह आयात माइलो (ज्वार) के सम्बन्ध में है ।

(ख) भारतीय सप्लाई मिशन वाशिंगटन को खरीद और लदान के बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं और लदान इस महीने में होने की आशा है ।

Self-Sufficiency in Food

*1284. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether he made a statement in Australia that within the next five years India will attain self-sufficiency in cereals; and

(b) if so, the action being taken by Government to see that the hope expressed by him is realized?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) In my statement in Australia, I said that my attempt was to see that self-sufficiency in cereals is attained within the next five years. I am assured by the Scientists that this is a possibility and it could be achieved provided we proceed in the right way.

(b) As for the broad approach to be adopted under the Fourth Five Year Plan it has been laid down that agricultural programmes will be formulated in terms of (i) a systematic effort to extend the application of science and technology, (ii) creation of a more favourable economic environment, (iii) strengthening of the machinery for extension and community mobilisation for agriculture, (iv) assuring adequate supplies and resources, and (v) intensifying agricultural programmes to the maximum extent possible in areas with irrigation and assured rainfall, where there are fair prospects of achieving rapid increase in production.

In a longer perspective the programmes of agricultural development are proposed to be given very high priority. The main ideas with regard to reorientation of agricultural development programmes are contained in the document "Agricultural Development—Problems and Perspective".

सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों का समाहार

*1285. **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज की वसूली में भारत के खाद्य निगम को सहायता प्रदान करने के लिये देश में सहकारी विपणन समितियों को अधिक सक्रिय बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) खाद्यान्नों के सहकारी विपणन में वृद्धि करने हेतु सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं, ताकि वे इस कार्य को बड़े पैमाने पर कर सकें।

(ख) (1) कृषि उपज, जिस में खाद्यान्न भी शामिल हैं, की सीधी खरीद करने के लिये चुनी गई सहकारी विपणन समितियों को राज्य सरकार से उनकी अंश पूंजी के लिये 25,000 रुपए प्रति समिति के हिसाब से अतिरिक्त अंशदान मिलेगा । अंश पूंजी के अतिरिक्त अंशदान का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जा जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी चावल मिलों की स्थापना के लिये आवश्यक शत प्रतिशत राशि अपनी संचित निधि में से राज्य सरकारों को उनकी योजना की उच्चतम सीमा के बाहर देता है ।

(ग) (1) आशा है कि सीधी खरीद की योजना के अन्तर्गत 200 से अधिक समितियों को अंशदान पूंजी के लिये अतिरिक्त अंशदान मिल चुका होगा ।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अप्रैल, 1965 तक 214 चावल मिलों की स्थापना के लिये सहायता मंजूर की है ।

(3) अनेक राज्यों में सहकारी समितियों को केन्द्रीय / राज्य सरकारों की ओर से खाद्यान्नों की खरीदारी करने का विशेष काम सौंपा गया है । उदाहरणार्थ, असम में सहकारी समितियों को राज्य सरकार की ओर से धान की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है । महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य सरकार की ओर से राज्य में समस्त विक्रेय फालतू ज्वार की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है । इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों को निर्यात करने के लिए ज्वार की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है ।

भारत-लंका विमान सेवा करार

*1286. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री भारत-लंका विमान सेवा करार के बारे में 15 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच थल संचालन करार (ग्राउंड हैंडलिंग एग्रीमेंट) को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

(ग) क्या तकनीकी सहयोग के प्रश्न पर भी विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

असैनिक उडयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) इस करार के अन्तर्गत एयर सीलोन ने भारत के लिए अपनी उड़ानों के संचालन से सम्बद्ध कुछ स्थल सुविधाओं और सेवाओं को एयर सीलोन को प्रदान करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अपना एजेण्ट नियुक्त किया है । यह करार भारत में परिचालन करने वाले, एरियान अफगान एयरलाइन्स, कुवैत एयरवेज जैसी कुछ विदेशी एयरलाइनों के साथ किये गये करारों के आधार पर है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के कर्मचारियों के परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा

*1287. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) क्या इसी प्रकार के संविहित निगमों में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के कर्मचारियों को यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। फिर भी, कार्पोरेशन (कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत न आने वाले) कर्मचारियों के परिवारों को सीमित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की एक योजना पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) एयर इंडिया के कर्मचारियों के परिवार चिकित्सा सहायता पाने के हकदार नहीं हैं। दूसरे सांविधिक कार्पोरेशनों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में धान का नाश

3395. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के मुल्लुरकारा त्रिचुर में पानी के अभाव के कारण हज़ारों एकड़ धान की खेती नष्ट हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि "पीचो जल सप्लाई" योजना इस क्षेत्र के बिल्कुल निकट है तथा किसान जल उपकर दे रहे हैं हालांकि वे जल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार "मुल्लुरकारा क्याल योजना" को शीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृमिनाशकों का सम्भरण

3396. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में विभिन्न राज्यों को कृमिनाशकों की कितनी मात्रा दी गई थी तथा वे कितनी मात्रा काम में लाये ;

(ख) कृमिनाशक किस आधार पर दिये जाते हैं ;

(ग) इन कृमिनाशकों के प्रयोग से अनुमानतः कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) क्या कोई समाचार मिला है कि कुछ क्षेत्रों में कृमिनाशक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) 1963 में पौद रक्षा कार्य के लिए विभिन्न फर्मों द्वारा लगभग 45000 टन विविध कीटनाशक औषधियां सप्लाई की गई। 1963 में प्रयोग में लाई गई कीटनाशक औषधियों के मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसानों में पौद रक्षा उपायों की उपयोगिता सम्बन्धी ज्ञान अधिक बढ़ जाने के कारण विभिन्न कीटनाशक औषधियों की मांग बढ़ गई इस कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि फर्मों ने जितनी मात्रा में कीटनाशक औषधियां सप्लाई कीं वह सब प्रयोग में लाई गई हैं।

(ख) समस्त राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कीटनाशक औषधियां सीधे बाज़ार से खरीद लेते हैं। फिर भी पौद रक्षा, संगरोध तथा संचयन निदेशालय जो इस मंत्रालय के साथ संलग्न है भी आवश्यकता होने पर कीटनाशक औषधियों को दिलाने में राज्यों की सहायता करता है।

(ग) पौद रक्षा के फलस्वरूप खाद्यान्न फसलों तथा कैश फसलों में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत बचत की प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

केरल में गरीबों को कानूनी मदद

3397. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकोट्टु :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गरीबों को कानूनी मदद नियम' के अन्तर्गत 1964-65 में कितने व्यक्तियों को कानूनी मदद दी गई ;

(ख) उक्त वर्ष में कितनी राशि दी गई ; और

(ग) 1965-66 के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). केरल सरकार से आवश्यक जानकारी संग्रहीत की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

धान की अधिप्राप्ति

3398. **श्री बे० तेवर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य सरकारें और धान की अधिप्राप्ति करने वाली सहकारी एजेन्सियां सरकार द्वारा निर्धारित सहायता-मूल्य (सपोर्ट प्राइस) से कम पर धान खरीद रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बेशी वाले क्षेत्र में अनाज के सहायता-मूल्य के स्थिरीकरण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदर्भ में आदिमजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

3399. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ के अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिमजाति के विद्यार्थियों को बिना किसी साधन अथवा योग्यता परीक्षा के मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में आदिमजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्ति देने के लिये अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्र में कोई विभेद नहीं किया जाता ।

तथापि, विदर्भ क्षेत्र से बाहर रहने वाली आदिम जातियों को अभी अनुसूचित आदिम जातियां घोषित नहीं किया गया । अतः इन जातियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्ति देने के लिये आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के रूप में समझा जाता है । इन आदिमजातियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों के लिये विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती हैं।

महाराष्ट्र में गहन कृषि कार्यक्रम

3400. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) महाराष्ट्र के किन जिलों में गहन कृषि कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को क्या मुख्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) वृहत बम्बई के सिवाये महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्य क्रम शुरू कर दिये गये हैं ।

(ख) किसानों को सामान्यतया जो सुविधायें दी जा रही हैं उनको बढ़ाने के लिये सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको निम्नलिखित विशेष सहायता दी जा रही है :—

(1) ज़िला तथा खण्ड स्तरों पर किसानों को सुदृढ़ स्टाफ द्वारा सघन तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें उन्नत पद्धतियों के पैकेज को अपनाने में शिक्षा तथा सहायता दी जा सके ।

(2) स्टाफ की गतिशीलता में सुधार करना ताकि वे क्षेत्र के अधिकाधिक किसानों को मिल सकें, जिले में जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनमें वृद्धि करने के लिए एक और जीप का प्रबन्ध कर दिया गया है । इसी प्रकार उत्पादन सप्लाई की गति को सरल

बनाने के लिए प्रत्येक सघन कृषि ज़िला को एक ट्रक का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(3) कृषि के विशेष विकास कार्यक्रमों (क्रैश कार्यक्रम) के अन्तर्गत 1964–65 के दौरान सघन कृषि क्षेत्र में गोदामों के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गई । इसी प्रकार की सहायता 1965–66 में भी की जा रही हैं । इन गोदामों के बन जाने से बीज, उर्वरक, औज़ार, कीटनाशक औषधियों आदि का स्टाक रखा जा सकेगा जिससे किसानों को प्राप्त करने में आसानी होगी ।

(4) एक कार्यक्रम का अभिरूप तैयार करना है जिसके अनुसार प्रत्येक फसल के मौसम में किसानों के खेतों पर समन्वित रूप से बड़ी संख्या में प्रदर्शन किये जायेंगे । "पैकेज आफ प्रैक्टिसिज़" को अपनाने के फलस्वरूप उपज पर जो संचयी प्रभाव पड़ते हैं उनको दिखाना इन प्रदर्शनों का उद्देश्य होगा ।

विशेष सहायता के अतिरिक्त ऋणों तथा उन्नत बीजों, उर्वरकों, उन्नत कृषि औज़ारों, पौद संरक्षण आदि के लिए आर्थिक सहायताओं के रूप में सरकार की सामान्य सहायता सघन कृषि क्षेत्रों में जारी रहेगी । यह निम्न प्रकार से है :—

(क) खाद्यान्नों तथा दालों के उन्नत बीजों पर 2 रुपये प्रति मन का एक प्रीमियम दिया जाता है ।

(ख) फास्फेटिक उर्वरक पर 25 प्रतिशत उपदान किसानो के लिए उपलब्ध है ।

(ग) कीटनाशक औषधियों, डस्टरों, स्प्रेयर्स आदि की बिक्री पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त पावर से चलने वाली मशीनों और पौद रक्षा उपकरण के लिए 100 प्रतिशत ऋण भी स्वीकार्य है ।

(घ) कृषकों द्वारा खरीदे गये उन्नत कृषि औज़ारों की लागत पर 25 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है ।

महाराष्ट्र को अनाज का संभरण

3401. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में महाराष्ट्र राज्य की अनाज की कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र में अनाज निर्बाध रूप से मिल सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1965 के लिये केन्द्रीय स्टाक से 5 लाख मीट्रिक टन चावल और 13 लाख मीट्रिक टन से कुछ अधिक गेहूं की सप्लाई करने को कहा था ।

(ख) किसी भी राज्य को किसी भी अवधि विशेष में खाद्यान्नों की सप्लाई, केन्द्र के पास खाद्यान्नों की समस्त प्राप्यता और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, की जाती है ।

विदर्भ में आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

3402. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 और 1964–65 में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रकोत्तर अध्ययन के लिये कितनी केन्द्रीय छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) कितने आवेदन-पत्रों पर उपरोक्त छात्रवृत्तियां दी गईं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :(क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र इसे सभा-पटल पर रखा जायगा ।

Bus Service from Bahadurgarh

3403. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1380 on the 23rd March, 1965 regarding the starting of a direct bus service from Bahadurgarh to the Central Secretariat New Delhi, and state the progress since made in this matter?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): The matter is still under consideration of the State Transport Authority, Delhi.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली

3404. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के एक संस्पर्शी ब्लाक का कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या संस्था क्षेत्र में आम रास्ते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संस्था को आम जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए राजधानी के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से बाहर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय क्या कार्रवाई की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) 1078.76 एकड़ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

सफदरजंग हवाई अड्डा

3405. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के एक संस्पर्शी ब्लाक का कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे के क्षेत्र में आम रास्ते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आम जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये इस हवाई अड्डे को राजधानी के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से बाहर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय क्या कार्रवाई की जा रही है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भूमि निर्धारण समिति (लैण्ड एसेसमेंट कमेटी) की रिपोर्ट के अनुसार सफदरजंग विमानक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 184.53 एकड़ है ।

(ख) इस क्षेत्र में आम रास्ते नहीं है क्योंकि इससे विमानक्षेत्र की सुरक्षा में बाधा पड़ती है ।

(ग) विमानक्षेत्र को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसका वर्तमान स्थान, फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों और सहायक वायुसेना के भी क्रिया कलापों के लिए भी उपयोगी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Duty on Handicrafts

3406. Shri Yudhvir Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that none of the developed countries have given any reduction of custom duties on the import of Indian handicrafts inspite of the decision taken to this effect at Geneva last summer; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this connection?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao): (a) Yes, Sir.

(b) It is hoped that the advanced countries will take the opportunity presented by the Kennedy Round of Tariff Negotiations for making substantial reductions in tariffs on products of cottage and handicrafts industries. We have also circulated to all countries participating in the Kennedy Round Negotiations a list containing among other things the cottage industries and handicrafts products in respect of which India is keen to obtain tariff concessions in the overseas markets.

कृषि ऋण सहायता अधिनियम

3408. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक संगठन के प्रधान ने सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बकों के लिये किसानों को धन देना आसान बनाने के लिये कृषि ऋण सहायता अधिनियम में कुछ उपयुक्त संशोधन किये जायें ;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिनियम में संशोधन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) बताते हैं कि भारतीय बैंक संगठन के उप-प्रधान ने गत मास हुई संगठन की अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक में अपने भाषण में यह सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिये कृषिहेतु धन देना आसान बनाने के लिये, कृषि ऋण सहायता अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं और देय को लगान के बकाया की भांति वसूल करने की सुविधा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाए जैसी कि सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध है। पता चला है कि इस सुझाव पर संगठन की कार्यकारिणी समिति विचार कर रही है।

(ख) व (ग). प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि सरकार को कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

3409. **श्री मलाइछामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिए कितना धन रखा गया;

(ख) प्रशासनिक मद तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम पर पृथक् पृथक् कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) क्या यह व्यय कार्य में हुई प्रगति के अनुरूप है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय सीमाओं में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये कोई विशिष्ट राशि नियत नहीं की गई थी। निधि का नियतन उपलब्धता तथा व्यय में हुई प्रगति के आधार पर हर वर्ष किया जाना था। 1965-66 के बजट में धन राशि की जो व्यवस्था की गई है उसके समेत, तीसरी योजना के अन्त तक कुल 16.06 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(ख) व (ग). यह सुझाव दिया गया है कि साधारणत: योजनाओं की लागत का कम से कम 60 प्रतिशत भाग मजदूरी का होना चाहिये। विभिन्न राज्यों में 1964-65 तक हुए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि कार्यक्रम के मुख्य अंग पर किया गया व्यय अथवा मजदूरी कुल व्यय के 58 से 94 प्रतिशत के बीच हुई। शेष व्यय सामग्री, औज़ार तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर हुआ। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष रोज़गार में बढ़ोत्तरी हो रही है। अनुमान है कि 1964-65 में 100 रुपये के व्यय पर 50 श्रम दिनों तक की रोज़गार की उपलब्धि हुई जबकि 1963-64 में 42 श्रम दिनों की उपलब्धि हुई थी।

Cash Collection from D. M. S. Depots

3410. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Yudhvir Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 12th April, 1965 a scooter driver snatched away Rs. 4,500 by assaulting the cash clerk who used to collect cash from the Delhi Milk Scheme depots located near Kingsway Camp and that the cash clerk is still lying in a hospital;

(b) whether it is also a fact that the cash clerks who collect cash from other Delhi Milk Scheme depots, travel on cycles with thousands of rupees in cash;

(c) if so, the reason for not making any arrangement so far for the protection of their lives even though the arrangements for the security of cash collection are also needed; and

(d) the scheme being chalked out to collect cash sale proceeds in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) An incident involving injuries to a cash clerk and loss of some cash by him did occur on the 12th April, 1965. The matter is being investigated by the police.

(b) Cash clerks of the Delhi Milk Scheme travel by cycles or by other modes of conveyance that may be convenient to them. Their day's collections range between Rs. 800 and Rs. 1200 except after holidays when they may have to carry two days' collections. Once a month they also carry the salaries of the depot staff for disbursement to them.

(c) The amount involved being small, no special protection for the cash clerks is considered necessary. Cash collections of the Scheme are covered by a collective insurance policy from the milk depots to the Reserve Bank of India where they are deposited.

(d) The system in vogue in the Greater Bombay Milk Scheme is being studied for possible adoption by the Delhi Milk Scheme.

भारतीय बच्चों को गोद लेना

3411. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज कार्य सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय बच्चों को गोद लेने को कानूनी रूप देने के लिये सम्मेलन द्वारा तैयार किये गये विधेयक को केन्द्रीय विधान के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसी कोई प्रार्थना विशेष रूप से नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मलमूत्र तथा अन्य "वास अपशिष्ट" का उपयोग

3412. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों तथा बिजली के उत्पादन के लिए भारतीय नगरों तथा कस्बों में मलमूत्र तथा अन्य "वास अपशिष्ट" का उपयोग करने के लिए कोई परियोजना चल रही है अथवा विचाराधीन ह ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में इसके संभाव्य धन का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4424/65]**

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

मिट्टी सहसंबंध तथा मिट्टी संसाधन

3413. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अप्रैल, 1965 में पूसा-इंस्टीट्यूट में हुई मिट्टी सहसंबंध तथा मिट्टी-संसाधन सम्बन्धी ग्यारह दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ;

(ग) किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) ऐसे कौन से विषय तथा निष्कर्ष हैं जिनका भारत की मिट्टी की समस्याओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). विचार विमर्श तकनीकी किस्म के थे, भूमि सर्वेक्षण की तकनीक सम्बन्धी विचारों का विनिमय हुआ, मिट्टी तथा उसकी नामावली के वर्गीकरण के लिए भारत में जो स्तर अपनाए गये उन पर भी विचार विमर्श हुआ । इस अवसर के लिए तैयार किया गया भारत की भूमि का अस्थायी नक्शा और उसमें अंकित विभिन्न भूमि ग्रुपों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार हुआ और उष्ण देशों के अन्य मिट्टी के साथ उनमें से कुछ का सहसम्बन्ध स्थापित किया ताकि उनका नाम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुकूल हो सके ।

(घ) भारतीय मिट्टी के वर्गीकरणात्मक समूहन को श्रेणीबद्ध करने में और विश्व भूमि मानचित्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यूनेसको परियोजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रेट सायल ग्रुप जैसे वर्गीकरण की उच्चतर कैटेगरी में उनको जोड़ने में ये विचार-विमर्श बहुत फलदायक सिद्ध हुए। विचार-

विमर्श तथा क्षेत्र-निरीक्षण के दौरान विचार विनिमय से भारत में और अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण अमरीका जैसे उष्ण देशों की मिट्टी के बारे में बेहतर ज्ञान परिणत हुआ ।

ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज के चेयरमैन की दिल्ली यात्रा

3414. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज के चेयरमैन भारतीय असैनिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिये हाल ही में दिल्ली आए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन की यात्रा का उद्देश्य क्या था और उसका क्या परिणाम निकला ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के शहरी क्षेत्र के डेरी वाले

3415. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 16 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शहरी क्षेत्र में ऐसे डेरी वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है जो अधिक से अधिक दूध निकालने के उद्देश्य से गायों तथा भैंसों के शरीर में पिट्यूइट्रिन का टीका लगाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली के शहरी क्षेत्र के डेरी वाले गायों तथा भैंसों के शरीर में पिट्यूइट्रिन का टीका कितनी मात्रा में लगाते हैं यह ज्ञात नहीं है । साथ ही वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग पशुओं के शरीरावयव पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, अतः इन डेरी वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कारवाड़ पत्तन

3416. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य में कारवाड को सब मौसमों में खुले रहने वाले पत्तन के रूप में विकसित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैसूर की सरकार ने अभी हाल ही में कारवार पत्तन को सब ऋतुओं में काम में आने वाले पत्तन के रूप में विकसित करने के लिये लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना भेजी है । प्रस्ताव अभी परीक्षणाधीन है ।

उड़ीसा में मछली पालन उद्योग का विकास

3417. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा को मछली पालन उद्योग के विकास के कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा पूरी राशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य ने मछली पालन उद्योग के विकास में कितनी प्रगति की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) 1962-63 में राज्य सरकार को पशु-पालन, डेरी उद्योग और मात्स्यकी के विकास के लिये "ऋण" के अन्तर्गत 2.58 लाख रुपये और "अनुदान" के अन्तर्गत 5.77 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी थी। 1963-64 की अवधि में राज्य सरकार को केवल मात्स्यकी विकास के लिये "ऋण" के अन्तर्गत 4.80 लाख रुपये और "अनुदान" के अधीन 15.37 लाख रुपये की कुल राशि दी गयी थी।

(ख) राज्य सरकारें खर्च कर चुकने के बाद ही केन्द्रीय वित्तीय सहायता की हकदार होती हैं।

(ग) तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में ताजे जलों में कुल 17,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। समुद्रों में इसी अवधि में लगभग 23,000 मीट्रिक टन मछलियां पकड़ी गयीं। मार्च, 1964 तक मछली पालन योजनाओं के सम्बन्ध में 1,344 ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी गयी। अण्डे (स्पान) एकत्रित करने के लिए 14 अस्थायी यूनिटों के अलावा, 8 और संग्रहण यूनिट गठित किए गए हैं और 4,000 स्पान के कपस एकत्रित किए गए हैं जबकि लक्ष्य 3,500 कपों का था। दो संयुक्त डिम-पीना (फिश सीड) केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और तीसरे केन्द्र की स्थापना का काम प्रगति पर है। अब तक एकत्रित मछलियों (फिगंरलिंगज) की कुल संख्या 74 लाख है।

बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना

3418. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में अब तक उड़ीसा को बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुल कितना धन दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की उस संशोधित योजना के अन्तर्गत, जिसे कि 1958-59 में शुरु किया

गया था, विभिन्न राज्य सरकारों को दी जा सकने वाली केन्द्रीय सहायता "कृषि उत्पादन" के शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए एकराशि के रुप में दी जाती हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि उड़ीसा सरकार को बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अलग से कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

उड़ीसा में चावल का उत्पादन

3419. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के किसी दल ने उड़ीसा राज्य में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अध्ययन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या क्या सिफारिशें कीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के वाइकाउन्ट विमान से एक यात्री का निकाला जाना

3420. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अप्रैल, 1965 को शान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर हैदराबाद जाने वाले एक यात्री को इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के वाइकाउन्ट विमान से निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) एक यात्री, जो कि निर्धारित समय पर नहीं आया था, विमान के चलने के समय से कुछ मिनट पहले, जबर्दस्ती विमान के अन्दर घुस गया, उसने अपने को ट्रवायलट में बन्द कर दिया और बाहर आने से इन्कार कर दिया।

(ग) आई० ए० सी० ने पुलिस बुलाई, और अनधिकृत यात्री को विमान से बाहर निकलवाया । उसे बाद में पूछताछ के लिए एक पुलिस चौकी पर ले जाया गया।

अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान

3421. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये केन्द्रीय सरकारी निधि से प्रति व्यक्ति खर्च बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना अवधि के पिछले वर्षों में और उसकी शेष अवधि में यदि कोई असमानता है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों के समान अंश प्राप्त करने के उद्देश्य से भावी योजनाओं में केन्द्रीय निधि के बंटवारे की पद्धति का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). तीसरी योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा बनाए गये कार्यक्रम में यह मुख्य योजनायें हैं : (1) आदिम जाति विकास खण्ड; (2) सहकारिता जिसमें वन श्रम सहकारी समितियां और विपणन-एवं-उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं ; (3) अनुसन्धान और प्रशिक्षण और (4) मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में देश की कुल अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या का 7 प्रतिशत भाग है । (1) सहकारिता और (2) अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की योजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य को तीसरी योजना में दी गई कुल राशि का 11.4 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक का भाग दिया गया है । अन्य राज्यों की तुलना में यह राशि काफी अधिक है ।

जहां तक मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने का सम्बन्ध है, भारत सरकार बिना किसी परीक्षा के लिये योग्य अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक--उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के लिये बाध्य है ।

जहां तक आदिम जाति विकास खण्डों का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में आदिम जाति विकास खण्ड आरम्भ करने के लिये यह कसौटी निश्चित की गई है कि 150–200 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई 25,000 जनसंख्या में से कम से कम 66 2/3 प्रतिशत आदिम जातियों की संख्या होनी चाहिये । पश्चिम बंगाल इस कसौटी को पूरा करने वाले किसी आदिम जाति विकास खण्ड का परिसीमन नहीं कर सकता । बावजूद इसके कि राज्य में आदिम जाति संख्या बहुत अधिक है । इसी कारण तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल में इस योजना के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

(ग) चौथी योजना में, उन आदिम जातियों के विकास के लिये, जो आदिम जाति विकास खण्डों की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आती । तदर्थ सहायता देने के लिये एक योजना

पर विचार किया जा रहा है । पश्चिम बंगाल राज्य, जिसमें आदिम जाति काफी संख्या में हैं, को इससे बहुत लाभ होगा ।

पालम-कलकत्ता विमान सेवा

3422. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1965 को जिस विमान ने कलकत्ता के लिए प्रातः पालम से रवाना होना था वह शाम को पांच बजे रवाना हुआ ;

(ख) इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं जिस से यात्रियों को, जिस में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, बहुत असुविधा हुई ;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री काननगो) : (क) हां ।

(ख) बम्बई से पालम की पिछली उड़ान पर पायलट ने यह रिपोर्ट दी थी कि हाइड्रालिक सिस्टम ठीक तरह काम नहीं कर रहा है । खराबी को ठीक करने के कारण विमान सेवा चलाने में देर हो गई । कारवेल विमान, जिसे कि सेवा पर चलाया जाना था, तैयार नहीं किया जा सका, इस लिये यह सेवा, श्रीनगर की सेवा पर चल कर वापस आये वाइकाउण्ट विमान से चलायी गई ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मामले की विस्तृत जांच के दौरान यह पता लगा कि प्रेशर रेगुलेटर हाइड्रालिक सिस्टम ठीक तरह का नहीं कर रहा है । खराब रेगुलेटर निकाल दिया गया और उसकी जगह ठीक काम देने वाला रेगुलेटर लगा दिया गया ।

उड़ीसा में डेरी फार्म

3423. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में अब तक उड़ीसा को डेरी फार्म स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सारी राशि काम में ले ली है; और

(ग) यदि हां, तो ये डेरी फार्म किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं तथा उनको कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दस्तकारी सर्वेक्षण

3424. डा० महादेव प्रसाद : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 की जनगणना के सहायक के रूप में कुल शिल्पकलाओं का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो शिल्पकलाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) भारत के महा-पंजीयक द्वारा जारी किये गये "1961 की जनगणना प्रकाशन कार्यक्रम की निर्देशिका" के पृष्ठ 127–135 पर परिशिष्ठ दो और पृष्ठ 88 पर सर्वेक्षण किये जाने वाली शिल्पकलाओं की सूची दी है और इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक शिल्पकला के सर्वेक्षण का परिणाम पृथक रूप से प्रकाशित किया जाता है। शिल्पकला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां, जो अब तक प्रकाशित हो चुकी है, लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भावनगर हवाई अड्डा

3425. श्री जसवंत मेहता : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर हवाई अड्डे की इमारत बनाने की मंजूरी कब दी गई थी ;

(ख) यह कार्य कब पूरा हुआ तथा इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) नई इमारत का अब तक उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भावनगर विमानक्षेत्र में नयी टरमीनल इमारत का निर्माण अप्रैल, 1956 में स्वीकृत हुआ था।

(ख) नियंत्रण बुर्ज को छोड़ कर बाकी टरमीनल इमारत का निर्माण कार्य मार्च, 1965 में पूरा हो गया था। नियंत्रण बुर्ज के भी जल्दी ही पूरा तैयार हो जाने की आशा है। मार्च, 1965 तक खर्च की गई रकम 1,78,092 रुपया है।

(ग) नियंत्रण बुर्ज और पहुंच-मार्ग के तैयार न होने के कारण इमारत इस्तेमाल नहीं की जा सकी। इमारत के जल्दी ही इस्तेमाल में लाये जाने की आशा है।

"सुपर टैंकर बर्थ" का निर्माण

3426. **श्री कोया :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक "सुपर टैंकर बर्थ" के निर्माण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। कोचीन पर सुपर-टैंकर बर्थ निर्माण करने का प्रस्ताव इस पत्तन की चौथी पंचवर्षीय आयोजना जो इस समय विचाराधीन है, के अंग के रूप में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि को कृषि योग्य बनाना

3427. **श्री ह० च० सोय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न खानों द्वारा खनन-कार्य बन्द करने के पश्चात् छोड़ी गई भूमि के आकार का पता लगाने तथा यह भी पता लगाने के लिए कि इस बंजर भूमि में से कितनी भूमि कृषि योग्य तथा जंगल लगाने योग्य बनाई जा सकती है, कोई अध्ययन किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों के खेती या बनारोपण के उपयोग के लिए अच्छी सम्भावनायें मौजूद नहीं होतीं।

मूल्य वृद्धि विरोध आन्दोलन

3428. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गये मूल्यांकन के अनुसार मूल्य वृद्धि विरोध आन्दोलन वस्तुतः समाप्त हो गया है ;

(ख) क्या देश भर में उपभोक्ता स्टोर खोलने में इस आन्दोलन को सफलता मिली है; और

(ग) इस आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली में छः भण्डार खोले गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परामर्शदाता इंजीनियर (सड़क विकास)

3429. **श्री राम सेवक :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान परामर्शदाता इंजीनियर (सड़क विकास) अपने पद पर आठ साल से अधिक समय से काम कर रहा है जो कि मूल नियमों (फंडामेंटल रूल्स) के विरुद्ध है क्योंकि उनमें यह उपबन्ध है कि कोई व्यक्ति ऐसे पदों पर लगातार पांच साल से अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता ;

(ख) क्या उसकी सेवावधि 60 साल के भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह ठीक है कि उल्लिखित अधिकारी अपने पद पर आठ साल से अधिक समय से काम कर रहा है। सुदक्षज्ञान और योजना के अनुभव तथा सड़क विकास आयोजनों के निष्पादन के उच्च श्रेणी के इंजीनियर बहुत कम हैं। अपने विशाल और प्रगाढ अनुभवों सहित यह अधिकारी अपना कार्य और कर्त्तव्य सुयोग्यता और विश्वसनीय ढंग से करते रहे हैं।

फण्डामेण्टल नियमों के अधीन, भारत सरकार के सलाहकार इंजीनियर के पद पर कार्य करने वाला अधिकारी नौकरी में 58 वर्ष की आयु तक रखा जा सकता है (नवम्बर 1962 तक यह सीमा 55 वर्ष थी) और उस पद पर 5 वर्षों से अधिक समय तक काम नहीं कर सकता है, किन्तु उस जगह पर पुनर्नियुक्ति बहुधा, किन्तु प्रत्येक मामले में 5 वर्षों से अधिक समय के लिये नहीं, जैसा सरकार निर्णय करे, की जा सकती है, किन्तु पुनर्नियुक्ति की अवधियां उस तारीख से आगे नहीं जा सकती हैं जिस दिन अधिकारी 58 वर्ष का हो जाता है। सरकार ने निश्चय किया है कि कार्य में योग्य और उपयुक्त होने के अधीन, विज्ञानविद् और विशेषकर तकनीकी कर्मचारी को, जनहित में, अधिवर्ष प्राप्त करने की अवस्था के आगे भी सेवा काल में विस्तार दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपात के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शुरू किये गये सड़क विकास के जरूरी और भारी कार्यक्रम के संदर्भ में इस अधिकारी की सेवायें अपरिहार्य समझी गई और जनहित में उन्हें 60 वर्ष तक अर्थात् 2 जनवरी, 1966 तक, सेवा काल में विस्तार दिया गया है।

(ख) और (ग). 60 वर्ष के आगे इन्हें रखने के प्रश्न पर अवसर आने पर उस समय की परिस्थितियों के प्रकाश में विचार किया जायेगा।

दूध के कार्डों का नवीयन

3430. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूध के उन कार्डों के नवीयन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो दिल्ली दुग्ध योजना ने अन्य डिपों से स्थानान्तरित कर दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खा) : (क) और (ख). जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन पर शीघ्र ही विचार किया गया था।

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पाद

3431. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों पर भारतीय मानक संस्था (आई० एस० आई०) अथवा कृषि विपणन (एगमार्क) का चिह्न होता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादों का मानकीकरण कब किया जा सकेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). दिल्ली दुग्ध योजना में गुण नियन्त्रण का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसके उत्पादों पर आई० एस० आई० या एगमार्क सीलों का होना आवश्यक नहीं समझा गया है।

बेरोजगारी बीमा योजना

3432. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की परेशानी को दूर करने के लिये बेरोजगार व्यक्ति को बीमे द्वारा सहायता देने की कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी नहीं, योजना का प्रारूप अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का कोटा

3433. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के कोटे नियत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये नियत किये गये कोटे क्या हैं; और

(ग) इन कोटों के संभरण के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). विभिन्न राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के कोटे सामान्यतया त्रिमासिक आधार पर ही अलाट किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों को अब तक जो कोटे अलाट किये गये हैं वे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4425/65]** ।

(ग) देश में उत्पादन होने से तथा उन आयातों से जिनके लिए विदेशी सम्भरणकर्ताओं के साथ ठेके किये गये हैं सप्लाई बेहतर हो जायेगी ।

भारत का खाद्य निगम

3434. { **श्री कोल्ला वैंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी : }

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम ने मार्च, 1965 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में कितनी मात्रा में विभिन्न किस्म के खाद्यान्न खरीदे;

(ख) विभिन्न किस्म के खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में संग्रह किया गया ; और

(ग) विभिन्न राज्षों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न भेजे गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) से (ग). भारत के खाद्य निगम का उद्घाटन 14 जनवरी, 1965 को हुआ था और यह सौंपे गये कार्यों को करने के लिये एक उपयुक्त संगठन की स्थापना करने में लगा रहा है । खाद्य निगम ने दक्षिणी राज्यों में अधि-प्राप्ति इतर कार्य केवल अप्रैल, 1965 से शुरू किया था अतः मार्च, 1965 के अन्त तक खाद्य निगम द्वारा कोई खरीदारी नहीं की गयी है और न ही निगम द्वारा कोई स्टाक रखा गया या विभिन्न राज्यों को सप्लाई किया गया है ।

अविलम्वनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लुधियाना क एक गांव में विमान से फेंके गये बम के कारण हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य लुधियाना के पास जगरांव गांव में एक विमान से बम गिराने के कारण तीन व्यक्तियों की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह, श्री गुलशन, श्री हुकम चन्द कछवाय और श्री कपूर सिंह द्वारा रखी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में देता हूं । यह दुर्घटना 2 जनवरी, 1965को 12 बज कर 15 मिनट पर हुई। सभा को याद होगा कि इस दुर्घटना के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर में 22 फरवरी, 1965 को मैंने बताया था कि तीन व्यक्ति अर्थात् (1) श्री रणधीर सिंह (2) श्री तेजा सिंह और (3) श्री सुरजीत सिंह, जगरांव से लगभग 5 मील की दूरी पर जगरांव-फिरोजपुर सड़क पर मारे गये थे जबकि जालंधर के पास सिधवान खास रेंज पर भारतीय वायुसेना द्वारा आसामान से पृथ्वी पर निशानाबाज़ी का प्रयास किया जा रहा था ।

2. वायु सेना नियमों के अनुसार, दुर्घटना की जांच करने के लिये तुरन्त ही एक जांच अदालत नियुक्त कर दी गई थी । जांच अदालत की उपपत्तियां तथा सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । जांच अदालत के प्रतिवदन के मिलने पर ही दुर्घटना के पूरे ब्यौरों का पता चलेगा । मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने के प्रश्न पर भी जांच अदालत के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा ।

30 इस अवसर पर यह भी बताते हुए मुझे दुख होता है कि जंगपुरा गांव के पास 20 अप्रैल, 1965 को दोपहर के लगभग पौने दो बजे एक बम फट जाने के परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति सर्वश्री, रणजीतसिंह, परमजीत सिंह, और सौदागार सिंह मारे गये थे और श्री नचिम सिंह घायल हो गये थे। दुर्घटना की जांच के लिये 22 अप्रैल, 1965 को एक जांच अदालत के लिये आदेश दिया गया था। जांच अदालत के प्रतिवेदन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जांच अदालत के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर ही इस दुर्घटना के पूरे ब्यौरों का पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : श्रीमन्, मेरा नाम पहले आता है।

अध्यक्ष महोदय : कल वह उपस्थित नहीं थे।

श्री बूटा सिंह : मुझे बताया गया था कि ध्यान दिलाने वाले सूचना की आज्ञा नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस पर अभ्यावेदन दिया गया था, इसलिये मैंने इसकी आज्ञा दे दी थी।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने मन्त्री महोदय को हिदायत दी थी कि वह तैयार होकर आयें और तीनों दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें जिसमें सबसे हाल की इस दुर्घटना को भी शामिल किया जाये जो सिधवान बेट में हुई थी। वहां पर कुछ दिन पहले एक बग द्वारा, जो कि काफी समय के पश्चात् फटा, चार व्यक्ति मारे गये थे। मन्त्री महोदय ने इसका बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया है। क्या इस पर भी वह वक्तव्य देंगे ?

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य ने कल कहा कि कुछ दिन हुए सिधवान बेट गांव के पास गिराये गये एक बम के देर से फट जाने से चार सिख एक साथ मर गये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब उसी घटना का ज़िक्र कर रहे हैं। उस कथित दुर्घटना के सम्बन्ध में वायु सेना मुख्यालय ने हमें सूचना दी है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): The hon. Minister has mentioned in his statement that they had gone there for practice. Was any enquiry held to find out as to why the firing practice was undertaken when people were present there and why immediate relief was not given to their families of the deceased personnel?

श्री अ० म० थामस : श्रीमान्, सामान्यतः जहां पर यह अभ्यास किया जाता है, हम यह देख लेते हैं कि वहां पर मनुष्यों की कोई बस्ती तो नहीं है। यही कारण है कि जांच अदालत का गठन किया गया है। हमें अभी उनका प्रतिवेदन नहीं मिला है। उनके प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही सारे तथ्यों का पता लग सकता है।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, वह मजे से कह रहे हैं कि वहां पर कोई बस्ती नहीं है। उस स्थान के बारे में मुझे पता है, यह जगह भारत के सबसे अधिक गहरी आबादी वाले इलाकों में से एक है। भारतीय सेना अधिनियम तथा पंजाब भूमि नियम पुस्तिका में ऐसे नियम हैं कि ऐसा कोई अभ्यास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राजपत्र में पहले ही अधिसूचना प्रकाशित न हो जाये; और एक विशेष दूरी तक प्रत्येक प्राणी को सूचित न कर दिया जाये कि वहां अभ्यास किया जाने वाला है। यहां आकर मन्त्री महोदय हमें बताते हैं कि सामान्यतः अभ्यास ऐसे स्थान पर किये जाते हैं जहां कोई

बस्ती नहीं होती। क्या मन्त्रिषों द्वारा जो, इतने कठोर हैं हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जायेगा ? सेना द्वारा लोगों की हत्याएं की जा रही हैं; और उस सेना द्वारा जिसे कि नागरिकों की रक्षा के लिये रखा गया है, न कि उनकी हत्या करने के लिये . . . (अन्तर्बाधा) । यह अकेली घटना नहीं है। आये दिन लुधियाना में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और हमेशा ही 16 और 22 वर्ष की आयु के बीच के नौजवान सिख,जो हमारी कच्छ की सीमा की रक्षा कर सकते थे, मारे दिये जाते हैं जब कि वे खेतों में काम कर रहे होते हैं अथवा अपना सामान्य काम कर रहे होते हैं ।

श्री अ० म० थामस : यह दर असल दुर्भाग्य की बात है कि यह घटना हो गई है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : एक ही नहीं, अपितु अनेक ।

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह मुझे भी है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके अनुसार अब लगातार तीन दुर्घटनाएं हुई हैं ।

श्री अ० म० थामस : केवल पहली घटना इस अभ्यास के दौरान हुई है । दूसरी घटना अभ्यास के दौरान नहीं हुई है । एक बम का विस्फोट हुआ है। हम नहीं जानते कि बम कहां से आया, वह वायु सेना का था, सेना का था अथवा किसी व्यक्ति ने वहां पर रखा था जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है इसका किसी अभ्यास से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तीसरी के बारे में क्या स्थिति है ।?

श्री अ० म० थामस : तीसरी के सम्बन्ध में मैंने बताया कि वायु सेना मुख्यालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : दूसरी घटना के सम्बन्ध में जो जंगपुरा में हुई थी माननीय मन्त्री सभा के प्रति उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं । तीन व्यक्तियों को जबकि वे फसल काट रहे थे मार दिया गया था । कुछ सैनिक अधिकारी पुलिस के पास गये और उनको बताया कि ये व्यक्ति एक अवैध बम बना रहे थे। ये तो बाद में, जब इन तीन मृत व्यक्तियों का एक भाई, जो सेना में एक मेजर है गांव में आया और बम के टुकड़ों से यह बात सिद्ध की कि यह सेना का बम था, तब कहीं जाकर मृत व्यक्तियों के आश्रितों को छुटकारा मिला । अब वह हमें एक कहानी सुना रहे हैं जिसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उनको संसद् के साथ ऐसा अवहेलना का व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह एक गम्भीर वक्तव्य है और हम इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई ने मुझ से यह प्रश्न पूछा है परन्तु मैं तो केवल प्रश्न पूछने और उत्तर देने की अनुमति दे सकता हूं । मैं तो सरकार से जांच करने और सभी ब्यौरों के बारे में सभा को सूचना देने के लिये ही कह सकता हूं । और फिर सभा इस पर और विचार कर सकती है और सरकार से पूछ सकती है कि क्या कोई पूर्वोपाय किये गये थे, क्या उनको मुआवजा दिया गया था, क्या सभी कदम उठाये गये थे और फिर पूछ सकती है यह लापरवाही क्यों की गई. . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री कपूर सिंह : आप उन्हें कह सकते हैं कि जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करें ।

अध्यक्ष महोदय : इस उत्तेजना के साथ नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Our brother is fighting at the border and the other is killed here.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इस सभा के सामने यदि कोई वक्तव्य दिया जाता है तो जो कुछ उनके अधिकारी बताते हैं मन्त्रियों को वही कुछ यहां आकर नहीं पढ़ देना चाहिये; गम्भीर आरोप पर केन्द्रीय सरकार को उचित जांच के पश्चात् ही वक्तव्य देना चाहिये । हम देखते हैं कि हमारे मन्त्री वही उत्तर देते हैं जो उनके अधिकारी उन्हें बताते हैं ।

श्री अ० म० थामस : क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होता है . . .

श्री रंगा : तीसरी घटना के बारे में मन्त्री महोदय ने केवल यही कहा है कि वायु सेना मख्यालय को इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । क्या यह उत्तर काफी है ? क्या यह कहना उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वे इसकी जांच करेंगे ? विशेषकर जबकि एक जिम्मेवार सदस्य इस सभा के सामने बहुत ही गम्भीरेता से ऐसी जानकारी देता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा हैं कि हम जांच कर रहे हैं ।

श्री रंगा : तीसरी घटना के बारे में ?

श्री कपूर सिंह : बारह वफादार, देशभक्त, नौजवान सिखों को, जो शायद कच्छ की सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते, दिन दहाड़े मार दिया गया है, और वह कहते हैं कि सेना के पास कोई जानकारी नहीं हैं । क्या हमारी सरकार को इतना गैर जिम्मेदार होना चाहिये ?

श्री अ० म० थामस : मुझे खेद है कि बेकार हो जानें गई हैं और हमें इस पर चिंता हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो जांच अदालतें नियुक्त कर दी गई हैं, एक पहली घटना के संबंध में और दूसरी दूसरी घटना के संबंध में । जहां तक तीसरी घटना का संबंध है, हम ने वायु सेना मुख्यालय से पूछ ताछ की है और उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है । हम आगे जांच कर रहे हैं। यही कुछ किया जा सकता था । प्रतिवेदन देना जांच अदालत का काम हैं । माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में मैं कैसे कुछ कह सकता हूं ?

Shri Ram Sewak Yadav: It is a case of negligence.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मैं केवल एक ही स्पष्टीकरण चाहता हूं, अर्थात् क्या वे इस तथ्य को मानते हैं ? वे जांच कराएं वह अलग बात है परन्तु क्या उनके पास इस घटना के संबंध में जानकारी नहीं है जो पांच दिन पहल हुई ? वह कहते हैं कि कोई जानकारी नहीं है । जांच उनका अपना मामला है, परन्तु इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो यही कहा हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह बहुत आश्चर्य की बात है ।

Shri Bagri (Hissar): Not once or twice, but thrice it has happened.

श्री बूटा सिंह : उस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और प्रतिरक्षा मंत्री ने इस बात की कभी परवाह ही नहीं की कि वह स्वयं जा कर देखें। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या यह सच है गालिब, जंगपुर और सिधवान बेर, तीनों स्थानों में, जहां कि ये बम फेंके गये थे, लोगों को कभी कोई सूचना नहीं दी गई थी जैसा कि पंजाब भूमि नियम पुस्तिका और सेना नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है; यदि हां, तो मंत्री महोदय का उन हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अ० म० थामस : जैसाकि मैंने बताया जहां तक पहली घटना का संबंध है यह 2 जनवरी, 1965 को हुई थी ।

श्री रंगा : और अभी तक प्रतिवेदन नहीं आया हैं ।

श्री अ० म० थामस : इस पर एक तारांकित प्रश्न भी था ; इस सभा में प्रश्न पूछे गये थे और उनके उत्तर दिये गये थे । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या इसकी अधिसूचना दी गई थी अथवा नहीं, इन सब बातों की पड़ताल तो जांच अदालत करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार को पता होना चाहिये . . . (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष: पहले हमें उत्तर सुनना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसकी अधिसूचना दी गई थी अथवा नहीं ?

Shri Bagri: He should speak after careful thought. Accidents are happening one after the other and they do not know, what is this?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This is no answer at all.

श्री अ० म० थामस : जांच समिति की उपपत्तियों के बारे में मैं पहले से ही कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं और मैं कहता हूं कि इस मामले में यथासंभव शीघ्र सम्पूर्ण जांच होनी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : किस के द्वारा?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अलबत्ता, जो भी जांच प्राधिकार हैं । एक जांच अदालत तो नियुक्त कर ही दी है । इसलिये उस जांच को आगे बढ़ना हैं, परन्तु भविष्य में हम निश्चय ही जो भी आवश्यक होगा करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों।

Shri Bagri: First, then the second and now the third incident has happened.

Mr. Speaker: He should sit down and listen.

क्या इसकी कोई जानकारी है कि इस क्षेत्र के विषय में अधिसूचना निकाली गई थी जैसा कि विधि तथा नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है?

श्री अ० म० थामस: इस संबंध में मैं पता लगाऊंगा ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): इस मामले में मुझे आपसे पथ-प्रदर्शन चाहिये । यह घटना जनवरी में हुई थी ।

श्री कपूर सिंह: एक जनवरी में, एक अप्रैल में और एक मई में हुई थी ।

श्री हो० ना० मुकर्जी: घटना काफी समय पहले हुई थी और अब मंत्री महोदय यह बताने के लिये आये हैं कि एक जांच अदालत नियुक्त कर दी गई है और वह उसी बात पर अड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री ने कुछ नम्र शब्दों द्वारा स्थिति को शांत करने का प्रयत्न किया है जिसके लिये हम धन्यवाद करते हैं । परन्तु बात यह है कि सरकार के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या उस स्थान के लोगों को अधिसूचित किया गया था अथवा नहीं और परिणाम यह निकला है कि अनेक लोग मर गये हैं--नौजवान लोग जिन्होंने इन गतिविधियों में देश के लिये अपनी जानें दे दीं होतीं । क्या एक मंत्री के लिये यहां आकर ऐसे उत्तर देना ठीक बात है जिनका प्रश्नों से कोई संबंध नहीं हैं । इस प्रश्न पर श्री कपूर सिंह ने कई दिनों से मेहनत की है । इस मामले के सम्बन्ध में मुझे कुछ सामग्री दी गई है । इसके महत्व के संबंध में मुझे बताया गया था । मैंने इस प्रश्न पर हस्ताक्षर किये थे परन्तु मैं प्रश्न नहीं पूछ सका । यह ऐसा प्रश्न है जो सभा के दोनों ओर के सदस्यों में हलचल पैदा कर रहा है, और मंत्री महोदय एक रूखा सा उत्तर देते हैं जिसमें स्थिति के मानवीय पहलू का कोई ध्यान नहीं रखा गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं प्रो० मुकर्जी की इस बात से सहमत हूं कि यह प्रश्न प्रत्येक माननीय सदस्यों के दिमाग में हलचल पैदा कर रहा है। हम सभी मंत्री से एक स्पष्ट और निश्चित उत्तर चाहते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह नौजवानों की हत्या है । मैं समझता हूं कि वे नौजवान सेना में सेवा कर सकते थे--उन लोगों में से अधिकांश सेना में जाते हैं--और मैं कहना चाहता हुं कि जब जांच की जाये तो वह साधारण तरीके की नहीं होनी चाहिये। एक विशेष प्रकार की जांचहोनी चाहिये और जांच में दो बातों का ख्याल रखा जाना चाहिये अर्थात्, क्या इन लोगों की हत्या जान बूझ कर की गई थी और क्या इसको रोका जा सकता था।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मेरा अपना विचार है कि माननीय मंत्री श्री थॉमस को इस सभा के सामने बिना तैयारी के और रूखे से तरीके से उत्तर देने की अजीब सी आदत हो गई हैं और परिणाम यह है कि श्रीमन्, आपको मुझे मुअत्तल करना पड़ा

था । मैं यह नहीं चाहता कि प्रधान मंत्री बीच नदी में अपने घोड़े बदलें, परन्तु मैं तो प्रधान मंत्री से केवल इतना ही कहूंगा कि इन घोड़ों में से कुछ को अपने नियंत्रण में रखें । मंत्री इस तरीके से क्यों आते हैं जब कि उनके पास जवाब देने के लिये कुछ भी नहीं होता .....

अध्यक्ष महोदय : अब, शांति । माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं वास्तव में मैं भी वैसे ही अनुभव कर रहा हूं । यह अजीब सा लगता है कि यद्यपि यह घटना जनवरी में हुई थी और अभी तक निष्कर्षों का पता नहीं लगा है । फिर, मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रश्न भी पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था । जब कि प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर दिया गया था, तब तो उसी समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये था और अब तक कुछ परिणाम प्राप्त किये जा सकते थे । मैं नहीं समझता कि इतना अधिक समय लग जाने के कोई कारण हों । परन्तु आज जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनको ध्यान में रख कर मुझे विश्वास है सरकार विशेष ध्यान रखेगी और मामले की जांच के लिये कोई विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी । हम नहीं कह सकते कि किन्हीं लोगों को मारने का उनका कोई इरादा था । परन्तु यह भी सदोष है कि बिना सूचगा के बम गिराये जायें .....

श्री कपूर सिंह : यह सदोष मानव बध है ।

अध्यक्ष महोदय : और परिणाम यह निकले । मैं इससे सहमत हूं कि यह क्षेत्र, सारा लुधियाना, बहुत गुंजान आबाद है और इसमें ऐसी कोई जगह नही होगी जहां लोग न रहते हों और खाली हो । सारी सभा की ओर से मैंने यह सुझाव दिया है । अब हम अगली ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेते हैं । श्री हेम बरुआ :

श्री कपूर सिंह : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पुछना चाहता हूं । मैंने केवल कुछ टिप्पणियां की थीं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इससे अवगत है कि जब सरकारी अधिकारियों को इन मामलों की रिपोर्ट दी गई तो उन्होंने इन सभी मामलों में कानूनी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया और जख्मों पर नमक छिड़कने के लिये जिद्द की कि मृत व्यक्तियों के उत्तरजीवी ही उनके शरीरों के टुकड़ों को इकठ्ठा करें और शव परीक्षा के लिये अपने खर्च पर ही उनको ले जायं और यदि हा, तो यह सरकार अपने नागरिकों से क्या वफ़ादारी और निष्ठा की आशा करती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक वक्तव्य दिया है । मैं नहीं कह सकता यह सही है या गलत है ।

श्री कपूर सिंह : आप पता लगाइये ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पता लगाऊंगा । यदि यह सच है तो निश्चय ही यह एक बहुत बुरी बात है और एक बहुत ही आपत्तिजनक व्यवहार है । ऐसा मैं अवश्य कहूंगा । परन्तु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं यहां पर नहीं था ; मैं दूसरी सभा में थी ; और मैं निश्चितरूप

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

से नहीं जानता कि यहां क्या सवाल जबाब हुए--यह एक अधिसूचित क्षेत्र है । जब भी वे निशानावाज़ी का अभ्यास करते हैं उसके बारे में किसी न किसी तरीके से सूचित किया जाता है ।

श्री कपूर सिंह : कानून के अन्तर्गत ऐसा करना ज़रूरी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, हां । परन्तु इस अवसर पर यह विशिष्ट सावधानी बरती गई थी या नहीं इसका पता तो जांच के पश्चात ही लगेगा इसके बारे में मैं अपनी राय नहीं दे सकता । जैसा कि मैंने कहा जांच अदालत नियुक्त की जा रही है और वे इसकी जांच कर रही हैं । जैसा कि प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया, मैं सभा को अश्वासन देता हूं कि हम निश्चय ही इस मामले में एक विशेष जांच करेंगे और मैं सारे तथ्य इस सभा के सामने रख दूंगा ।

Shri Gulshan (Bhatinda): Is it a fact that when the militarymen put to death by a bomb three Sikh youngmen in Jungpur, the militarymen said to the police that it was possible that the deceased were manufacturing some bomb? The relatives of those Sikhs would have been sent to Jail, had one Army Officer not found out evidence from the pieces of the bomb. Will Government take strict action against these bloody people? Here it was a matter only of three persons, but it is just possible that the whole of the village or city can be destroyed if a bomb is thrown in this manner.

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस घटना का निशानेवाज़ी के अभ्यासों से कोई संबंध नहीं है । यह बम किस प्रकार का था, वायुसेना का था स्थल सेना का था, या घरेलू बम था इन सब बातों का पता जांच अदालत के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात ही चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंगे । श्री हेम बरुआ ।

(दो) आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लाठीटीला-दुमाबाड़ी क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :--

(दो) आसाम--पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लाठीटीला दुमाबाड़ी क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा निरन्तर गोलाबारी ।

श्री अ०म० थामस : जैसा कि सभा को विदित ही है पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से दोनों, पूर्व एवं पश्चिम में, भारत-पाकिस्तान सीमा के कई स्थानों पर समय-समय पर गोलाबारी कर रहा है । पूर्व में ऐसा एक स्थान आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर लाठीटीला-दुमाबाड़ी है ।

इस स्थान पर इस वर्ष फरवरी और मार्च में कई बार गोलाबारी हुई तथा 29 मार्च, 1965 को युद्ध-विराम हो गया । एक महीना चुप रहने के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स् ने हमारी चौकियों के इस स्थान पर 29 अप्रैल, 1965 को फिर गोलाबारी आरम्भ कर दी जो दो दिन अर्थात्

30 अप्रैल और 1 मई को छोड़कर हर रोज होती रही । 4 मई से गोलाबारी तेजी से हो रही है ।

हमारी सीमा सुरक्षा टुकड़ियां इस गोलाबारी का कड़ा उत्तर दे रही हैं । चार पाकिस्तानी "बंकरों" को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और पाकिस्तानी सेना के 15 से अधिक व्यक्ति हताहत हुए हैं ।

श्री हेम बरुआ : ऐसा प्रतीत होता है कि कच्छ की खाड़ी से लेकर आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा तक पाकिस्तान ने न केवल राजनय में ही बल्कि युद्धनीति में भी हमें पराजित कर दिया है और हमारी सरकार ने बारबार कहने की यह आदत बना रखी है कि हमारी सेना मुंह-तोड़ जवाब दे रही है। इस संदर्भ में मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार इस सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि वह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा देगी ताकि वह भविष्य में ऐसी चाल न चल सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चाहे मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने किया है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन सब घटनाओ का मुंह-तोड़ जवाब दिया गया है । हमारे मन में कोई सन्देह नहीं है । चाहे कैसी भी स्थिति हो अन्त में हम ही जीतेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना संपूर्ण असम-त्रिपुरा सीमा पर इकठ्ठी हो रही हैं तथा उन्होंने कराची तथा जैसौर से सेबर जैट-विमान मंगवाना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो सरकार पूर्वी सीमा की, विशेषकर इन क्षेत्रों की, वैसे ही रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है जैसे उन्होंने कच्छ क्षेत्र की रक्षा की थी ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, सभा को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि पाकिस्तान ने पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर सीमा टुकड़ियों में वृद्धि कर दी है तथा अन्य सैनिक गतिविधियों में वृद्धि हो गई है । इसके अतिरिक्त पाश्चिम पाकिस्तान से सेना को कम करके पूर्वी पाकिस्तान में वृद्धि कर दी गई है । मुझे आशा है कि सभा मेरे से यह आशा नहीं रखेगी कि मैं उन्हें पाकिस्तानी सेना की शक्ति तथा उसके जमाव के बारे में कुछ बताऊं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनके पास सैबरे जैट-विमान हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान इस प्रकार धोख धड़ी की बातें रच रहा है ताकि हमारा ध्यान काश्मीर तथा कच्छ की खाई से दूसरी ओर चला जाये, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि न केवल बदला ही लिया जाये बल्कि पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ दिया जाये ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक इस स्थान का संबंध है, माननीय प्रधान मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि उनके कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है ।

Shri Madhu Limaye: May I know whether India has agreed to the suggestion made by Pakistan that the forces of the two countries should be removed from the disputed area and whether they have also agreed to the suggestion made by Great Britain which has

[Shri Madhu Limaye]

thus raised the spirit of Pakistan high? In this context, may I know whether Government have resolved to make a policy to protect the borders?

श्री ग्र० म० थामस : इस मामले का सम्बन्ध कच्छ सीमा पर युद्ध-विराम प्रस्ताव से है । इस बारे में प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी ।

Mr. Speaker: They want to know whether Government is framing a policy to guard the frontier.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले भी ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में कह चुका हूं कि राजस्थान तथा कच्छ की सीमाओं पर गोलाबारी हुई है । इसलिये हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में उनकी मंशा क्या है । परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमारी नीति सुदृढ़ है । मैं सदस्यों से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे जोश में न आया करें । मैं इस की भावना को अवश्य ही समझता हूं । हमारी नीति सुदृढ़ है, इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye: I wanted to know whether Pakistan's spirits were raised to commit aggression at other borders because we have accepted their suggestion regarding removing the forces from the disputed areas?

Mr. Speaker: That does not arise out of it.

श्री दी० चं० शर्मा : युद्ध-विराम समझौता मार्च के मध्य में हो गया था परन्तु कुछ देर बाद उसका भंग किया गया । इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात से सबक सीखेगी कि युद्ध-विराम केवल आंखों में धूल डालने के लिये ही किया जाता है, तथा हम भविष्य में कच्छ सीमा तथा अन्य सीमाओं के सम्बन्ध में युद्ध-विराम की कोई बात नहीं करेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक इस विशेष युद्ध-विराम का सम्बन्ध है यह स्थानीय स्तर पर हुआ था । अन्य युद्ध-विराम के सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की मध्यस्थता से सरकारी स्तर पर बातचीत हो रही है । इसलिये इन दोनों युद्ध-विरामों की तुलना नहीं की जा सकती ।

Shri Prakash Vir Shastri: Day before yesterday I had visited our borders near Lahore. There an Indian soldier expressed his feelings with regret. He said that the Pakistani soldiers taunt them and ask them whether they have received the instructions from Government to use the rifles which they carry on their shoulders or are these just show pieces? He said that the Pakistani soldiers have told them that they have standing instructions from the Pakistan Government to make use of the weapons whenever an occasion arises. In this context, may I know for how long this weak policy of Government will continue?

Mr. Speaker: What he means to ask is whether Government have issued instructions to the soldiers not to make use of these weapons.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी स्थिति में वे शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं ।

Shri Bade (Khargone): Now when Pakistan has committed aggression in the Lathitilla-Dumabari sector, can be Defence Minister or the Prime Minister give an assurance that we will retaliate it?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं बता सकता हूं कि हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिये । निश्चय ही इन मामलों में हमारी नीति ढीली नहीं रहेगी ।

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, Pakistan has been waging a sort of undeclared one-sided war against India and has been carrying out raids on our borders. As a result of this the treaty of 1960, which is being referred to, has come to an end. May I know when will the Government of India give up this weak policy and take steps to repel the aggression?

Mr. Speaker: The same question of facing the aggression with a firm hand is being raised in a different form.

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, the treaty of 1960 has come to an end. Why does the Government not give up the policy of adopting defensive measures and embark on the policy of being aggressive to meet the challenge of Pakistani forces?

Mr. Speaker: It has been amply discussed here.

Shri Yashpal Singh: There are many brave and intelligent people in this Government. Our armymen are becoming invalid due to such firing. Have the Government considered that they cannot defend the country only by defensive action? Offensive action will have to be taken in order to defend the country.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि जब भी अवसर आयेगा, हम अवश्य ही दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे । इस सम्बन्ध में कहीं भी कोई कमज़ोरी दिखाने का प्रश्न नहीं उठता । मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं ।

Shri Brij Raj Singh: Would you do so or not?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता ।

Mr. Speaker: It is not proper for the hon. Member to ask the question in this way. Members should exercise some restraint.

Shri Kishen Pattnayak: With the occupation of Kanjarkot the problems of Assam border and Kutch border have become similar. I would like to know whether the revised British proposal suggests the vacation of Kanjarkot by Pakistan and Chhad Bet by India? If the Government accepts this, the case of that being a disputed territory will be proved.

Mr. Speaker: This does not relate to the main question.

Shri Kishen Pattnayak: What is the difference between Assam and Kutch? Both are the territories of India and both have been attacked by Pakistan.

Shri Bagri: Several calling attention notices have been received today. Others have been disallowed. May I know whether the Government is motivated by self-interest and not the defence of the country?

Mr. Speaker: Hon. Member may ask the question.

Shri Bagri: Bye-election in Nohar Constituency in Rajasthan was postponed while the elections were held in Rajkhera Constituency. It is motivated by the self-interests. . .

श्री वें० वेंकटासुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक जो कहा गया है वह सारा असंगत है । एक भी संगत बात नहीं कही गई है ।

श्री कपूर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस स्थान को कंजरकोट नाम दिया गया है उस का इस सभा में बहुत बार वर्णन किया गया है । यह शब्द असुखद है । इस का अर्थ है कंजरों के रहने का स्थान । इस शब्द के आरम्भ के बारे में मैंने जो पूछताछ की है उस से पता लगा है कि यह कंजरकोट नहीं, कंजिरकोट है । कंजिर नाम का एक डाक का हरकारा वहां विश्राम किया करता था और इसी कारण इसे कंजिरकोट कहा जाने लगा । हमें इस शब्द का ठीक उच्चारण करना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान इस का लाभ उठायेगा और कहेगा कि उसने कंजरकोट पर कब्जा नहीं किया है ।

Shri Bagri: Mr. Speaker, my question has not been completed.

Mr. Speaker: Shri Bagri may now sit down. I have not allowed his question.

Shri Bagri: Mr. Speaker, Sir, let me complete my qusetion. Only after I have completed my question, can it be decided whether it is relevant or irrelevant.

Mr. Speaker: This question could not have been completed in 15 or 20 minutes. I have, therefore, disallowed it. Mr. Bagri may sit down.

Shri Bagri: You are trying to proceed on with my question....

Mr. Speaker: You are not resuming seat in spite of my repeated requests. I now ask you to leave the House.

Shri Bagri: I will not sit in this manner.

Mr. Speaker: You are flouting the authority of the House and obstructing the proceedings of the House.

Shri Bagri: If this means obstructing the proceedings of the House, such a suppression of our feelings is murder of democracy. If it continues.....

Mr. Speaker: I name Shri Bagri to leave the House.

Shri Bagri: I am leaving because I am helpless here, but what will be your place if the democracy comes to an end in this way.

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Bagri then left the House).

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Those 70 or 80 armymen, who fired in self-defence without the permission of the Government at the time of Pakistani aggression in Kutch, have been arrested by the Government. That has caused demoralisation of our forces. Would the Government give them the power to fire in self-defence to help up their morale.

Mr. Speaker: He has answered that.

Shri Onkar Lal Berwa: Whether it is a fact that the Pakistanis have used American weapons in Lathitilla and Dumabari, as they have done in Kanjarkot? If so, whether the Government of India have received any reply to their complaint lodged with America in this regard?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने लाठी-टीला की ओर अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग किया है । केवल कल ही यह बताया गया कि अमरीका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य दो ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या उन पर सभा में चर्चा नहीं होगी ? क्या हम उनके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

(तीन) पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक ले जाने वाले पाकिस्तानी विमानों की भारतीय राज्य-क्षेत्र पर उड़ानों के समाचार

श्री अ० म० थामस : श्रीमान्, मैं पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक ले जाते हुए पाकिस्तानी विमानों के भारतीय राज्य-क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के समाचार के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।**[पुस्तकालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4396/65]**

(चार) **पाकिस्तानी विमान द्वारा राजस्थान में भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के समाचार ।**

श्री अ० म० थामस : मैं राजस्थान में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी विमान द्वारा अतिक्रमण के समाचार के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4397/65]**

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम केवल एक ही ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर हमने चर्चा कर ली है । अन्यों के बारे में उत्तर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे । जो नवीनतम घटनायें हुई हैं, उनके बारे में माननीय प्रधान मंत्री सभा को सूचित करना चाहते हैं और वह 5 बजे एक वक्तव्य देंगे ।

श्री नाथ पाई : क्या यह वक्तव्य ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में होगा ? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार आग्रह करना चाहते हैं, तो कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् वे यहां बैठ सकते हैं और स्पष्टीकरण मांगने के लिये मैं उन्हें अवसर दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज दोपहर के बाद ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: No answer has been given about seventy to eighty people who have been arrested.

Shri Onkar Lal Berwa: Mr. Speaker,....

Shri Brij Raj Singh: Mr. Speaker,....

Mr. Speaker: Shrimati Renu Chakravertty.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं । उत्तरी बंगाल में खाद्य-समस्या बहुत गम्भीर है । मैं ने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर के लिये निर्धारित अवधि के पश्चात् हम ने इस प्रकार लगभग $1\frac{1}{2}$ घंटा व्यतीत किया है । मैं सारा दिन इस प्रकार नहीं कर सकता । मैं उन वक्तव्यों को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे रहा हूं ; पिछले वर्ष भी मैंने ऐसा ही किया था । ये सभी उत्तर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे । इसके बावजूद भी यदि कोई प्रश्न पूछे जाने होंगे तो मैं आज की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् इसके लिये अवसर दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप ने मुझे मेरी बात नहीं कहने दी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस पर चर्चा छः बजे होगी ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो ध्यान दिलाने वाली सूचनायें हमने दी हैं, क्या उन के बारे एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं । इन दो ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में मैं उन्हें 5.30 बजे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह कह रही थी कि उत्तरी बंगाल, जिसे कि पाकिस्तान के इस आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है, की खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । मैं ने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय वक्तव्य देना चाहें तो मैं उन्हें अवश्य अनुमति दूंगा ।

Shri Brij Raj Singh: Mr. Speaker, I have to make an important submission.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप ने यह कहा कि 5 बजे माननीय प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे । परन्तु कार्य-सूची के अनुसार 5 बजे आधे घंटे की चर्चा रखी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । ठीक पांच बजे माननीय प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे । उसके बाद आधे-घंटे की चर्चा ली जायेगी और उसके पश्चात् यदि माननीय सदस्य इन ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं उन्हें इसकी अनुमति दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मंत्री किस सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहे हैं ? क्या यह ब्रिटिश प्रस्तावों के बारे में हैं अथवा किसी अन्य विषय पर ?

अध्यक्ष महोदय : यह कच्छ में नवीनतम घटनाओं के बारे में है ।

श्री हेम बरुआ : हमने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में सूचना दी है ।

श्री रंगा : क्या प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद हमें कुछ कहने या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दिये जा चुकने के बाद इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ?

श्री रंगा : कृपा करके इस प्रश्न की ओर उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा केवल एक निवेदन है । आज अन्तिम दिन है । जैसाकि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी कहा है, आप को ज्ञात ही है कि बंगाल में खाद्य-स्थिति बहुत गम्भीर हैं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया मुझे सुन लें ।

हमारे कुछ मित्रों ने भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये एक व्यक्ति की बंबई जेल में मृत्यु के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में लिखा है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : जबकि मैं ने उसे स्वीकार नहीं किया है, मैं उन्हें उस सम्बन्ध में कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत नज़रबन्द एक व्यक्ति जेल में मर जाता है । क्या यह मामला गम्भीर नही है ? क्या गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उन्हें सुन लिया है । श्री बृजराज सिंह ।

Shri Brij Raj Singh: Mr. Speaker, the hon. Member, Shri Kachhavaiya has put up a question regarding arrest of seventy to eighty soldiers for firing without orders. Either it should be answered whether they have been arrested or not, or this question may be expunged from the proceedings as it will create misunderstanding in the country.

Shri Bade (Khargone): The Armed Police people have been arrested for firing in Neemuch.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस आरोप में कुछ सच्चाई है कि हमारे 70 से 80 सैनिक इसलिये गिरफ्तार कर लिये गये क्योंकि उन्होंने सरकार की हिदायतों के बिना गोली चलाई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं श्रीमान् ; यह बिल्कुल गलत बात है ।

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता—मध्य) : श्री बनर्जी ने एक बात का उल्लेख किया है जो सभा की कार्यवाही के विवरण में इस समय दर्ज है । अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द एक कैदी की जेल में मृत्यु हुई है । क्या गृह-कार्य मंत्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके बाद फिर सभा की बैठक अगस्त से पहले नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि—क्या उठाया गया प्रश्न हमारे अधिकार के अन्दर है ? निस्सन्देह उसकी मृत्यु जेल में हुई तथापि इस विषय को हम यहां कैसे ले सकते हैं ? वास्तव में संसद् के कुछ कृत्य अवश्य हैं ....

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): गृह-कार्य मंत्रालय की हिदायतों के अधीन उसे गिरफ्तार किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं छान-बीन कर के अभी मालूम करता हूं कि क्या इस मामले मे केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आज ऐसा प्रकाशित हुआ है कि ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मुझ पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह केवल एक अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से कह रहा हूं कि मैं इस बारे में मंत्री से पूछूंगा, फिर भी वह बाधा डाल रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : यह प्रश्न उस ध्यान दिलाने वाली सूचना से सम्बन्धित है जो . . . . . * * *

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, I had given a Calling Attention notice today.

Mr. Speaker: How can I allow you when I have not allowed other Members?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): * * *

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Sir, you have just now stated that the Prime Minister will be informing the House at 5 P.M. today regarding the situation arising out of the continued attacks. The hon. Prime Minister is leaving tomorrow for his official visit to foreign countries while the country is facing this emergency. I want to know whether the Prime Minister is going abroad without having any consideration for the prevailing emergency in the country. In view of the present situation, I would urge upon the Government to constitute a Committee consisting of opposition Members who might be taken into full confidence by the Government from time to time.

Mr. Speaker: It is for him to decide.

विशेषाधिकार के प्रश्न

QUESTIONS OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मझे विशेषाधिकार भंग के बारे में कछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक श्री मधु लिमये की है, जो सूचनायें मुझे पहले मिलीं उन में एक श्री विद्याचरण शुक्ल और दूसरी श्री अ० सिं० सहगल से मिली है और भी कई सूचनाएं हैं । एक सूचना पर कई सदस्यों के यथा श्री गोपालदत्त मेंगी, श्री शंकर आल्वा, श्री क० ना० तिवारी तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं ।

जहां तक इन तीन सूचनाओं का सम्बन्ध है—मैं इसे पढ़ रहा हूं—श्री गोपालदत्त मेंगी, श्री शंकर आल्वा, श्री क० ना० तिवारी, तथा अन्य, श्री सहगल तथा श्री शुक्ल द्वारा दी गई सभी सूचनायें विशेषाधिकार के भंग किये जाने के सम्बन्ध में हैं जो,

---

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded.

[अध्यक्ष महोदय]

उक्त सदस्यों के अनुसार, श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों ने मामले को न्यायालय में लेजाकर और वहां कुछ विशेष आरोप लगाकर किया है, मैं इस मामले पर इस वक्त कोई निर्णय नहीं करूंगा क्योंकि मामला अभी न्यायालय के समक्ष है और न्यायालय ने उस पर निर्णय देना है। यह मामला सभा के समक्ष विचार के लिए उस समय आयेगा जब

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : मैं इस बारे में एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसके औचित्य के बारे में नहीं कह रहा हूं । मेरा केवल यही कहना है कि जिस विशेष प्रस्ताव की मैंने सूचना दी है उसका लेख्य याचिका में उठाये गये प्रश्नों के गुणावगुणों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मेरा प्रश्न बिलकुल ही भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी मैं सभा को यही सलाह दूंगा कि वह इसे निलम्बित रखे । न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये ।

जहां तक श्री लिमये की विशेषाधिकार भंग के बारे में सूचना का सम्बन्ध है उनका यह कथन है कि हमारे महान्यायवादी ने मामले की पैरवी करके, जिस ढंग से उन्होंने दलील पेश की है, विशेषाधिकार का भंग किया है, । सदस्य महोदय ने महान्यायवादी द्वारा वहां दिये गये कुछ तर्कों को आपत्तिजनक ठहराया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Not about arguments, but the picture he depicted . . .

Mr. Speaker: Whatever it is; he has taken exception to that. It is the privilege of the attorney-General to make any arguments before the court. There can be no breach of privilege in it. I have disallowed it.

Shri Madhu Limaye: Sir, if you are not taking up the privilege motion tabled against me . . .

Mr. Speaker: I have stated that I am not taking up the motion against you now, I am keeping it pending.

Shri Madhu Limaye: Then you keep that one also pending.

Mr. Speaker: That I cannot do.

Shri Madhu Limaye: On a point of order. I want to make a submission . . . .

Mr. Speaker: Matters which are discussed here are thereafter taken to the court and exception is taken to the arguments made there and they are again raised in this House. How it is possible to allow such things to go on.

Shri Madhu Limaye: Sir, Kindly allow me to state the actual position. I want to submit that whatever is stated before the court by the Attorney-General or any other Advocate is a matter of a privilege or not? May I also know the article of the Constitution under which the remarks made against me by the Attorney-General in the court are protected?

Mr. Speaker: With regard to the ground on which they are protected I am not answerable to Shri Limaye as the remedy does not lie with me.

Shri Madhu Limaye: You can take up the matter.

Mr. Speaker: I cannot take up the matter because it is still subject to adjudication by the court. I have already told you that the argument or remark made by a pleader in the court cannot form subject-matter of a privilege motion here, and I have disallowed an identical motion also notice of which was given by some other Member.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : आपने कहा है कि श्री मधु लिमये के विरुद्ध श्री शुक्ल द्वारा पेश किये गये विशेषाधिकार-भंग के मामले को निलम्बित रखा जायेगा। मैं काफी हद तक आप से सहमत हूं, किन्तु एक प्रश्न पर मेरी राय आप से भिन्न है और उस पर मेरा एक निवेदन है ।

विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि क्या श्री लिमये के असत्य तथा गलत बयानी पेश किये गये विशेषाधिकार के प्रस्ताव को केवल इस आधार पर निलम्बित रखा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में एक और मामला निर्णयार्थ न्यायालय के समक्ष है। इस मुकदमे का तथ्य के कहने से कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तविकता यह है कि श्री लिमये ने न्यायालय के समक्ष गलत बयानी की और यदि उस गलत बयानी के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि इसे निलम्बित न रखना ही उचित है और इसकी छान-बीन की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उन में कछ अन्य बातें भी शामिल हैं। इसलिए उचित यह है कि न्यायालय के निर्णय की घोषणा होने तक हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही सुझाव मैं ने सभा के विचारार्थ रखा है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : : अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध प्रस्ताव लाये गये हैं ... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye: Sir, it is alleged that I made certain false statements before the court. I charge the Attorney-General that he made a false and untruthful statement against me. If a privilege motion on the statement made by me before the court can be moved here, then the allegations made against me by the Attorney-General can also be raised here.

Mr. Speaker: I have already stated whatever I had to say, and the hon. Member may resume his seat now.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara-Banki): Sir, I wanted to raise a point under 377.

Mr. Speaker: Regarding Shri Krishnamachari?

Shri Ram Sewak Yadav: No, Sir, that will come up during the next session.

Some points have been raised and a discussion took place in this House on the Writ Petition filed by Shri Limaye in the Circuit Bench of the Punjab High Court when the House was seized of this matter, a short discussion was held and it was then decided that the Speaker of the Lok Sabha should not appear before any court. Only the Prime Minister said that they would be sending Attorney-General or somebody else to watch the proceedings there. But it has been reported in the press today that the Attorney-General pleaded in the court on behalf of the Speaker and the Lok Sabha. My submission is that the Lok Sabha was represented there, and it runs quite contrary to the decision taken by the Lok Sabha in this behalf.

Mr. Speaker: This does not mean that the Lok Sabha was represented there. ..

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चाय (दूसरा संशोधन) नियम

वाणिज्य मंत्री (श्री मनूभाई शाह) : मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत चाय (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 639 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4398/65]**

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों, आदि का साराशं

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं श्री कानूनगो की ओर से विमान निगम नियम 1954 के नियम 3 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1965–66 के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय तथा व्यय के आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4399/65]

(दो) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष 1963–64 के वास्तविक आंकड़ों, वष 1964–65 के आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों तथा पुनरीक्षित

प्राक्कलनों और पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1964–65 के बजट प्राक्कलनों के सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० टी० 4400/65]

(तीन) वर्ष 1965–66 के लिए एयर इंडिया की आय तथा व्यय के आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों का सारांश । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4401/56]** ।

(चार) एयर इंडिया के वर्ष 1963–64 के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष 1964–65 के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों, और पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1965–66 के लिए आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों के सारांश । **पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4402/65]**

निवारक निरोधक अधिनियम के कार्य के बारे मे सांख्यिकी जानकारी

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल०ना० मिश्र): मैं श्री हाथी की ओर से '30 सितम्बर 1963 से 30 सितम्बर, 1964 तक की अवधि के दौरान निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी' की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4403/65)

औद्योगिक वित्तीय निगम नियम

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) मैं औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम, 1948 की धारा 42 की उपधारा (2) के अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम [ ] 65 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4404/65]

केरल पंचायत अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसचनायें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे): मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) एस०आर० ओ० 2/64 जो दिनांक 7 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (प्रवेश तथा नरीक्षण की शक्तियों पर प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण) नियम, 1963 दिये गये हैं ।

(दो) एस० आर० ओ 19/64 जो दिनांक 21 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (घाट, विराम स्थान तथा गाड़ियों के अड्डे) नियम, 1964 दिए गये हैं ।

[श्री शिन्दे]

(तीन) एस०आर०ओ० 18/64 जो दिनांक 21 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायत द्वारा स्त्रियों के नाम निर्देशन) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(चार) एस० आर० ओ० 29/64 जो दिनांक 4 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत निर्वाचन, विवादों का विनिश्चय नियम, 1963 दिये गये हैं।

(पांच) एस० आर० ओ० 140/64 जो दिनांक 5 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायती तथा गैर पंचायती बाजार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(छः) एस० आर० ओ० 139/64 जो दिनांक 5 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (बूचड़खाने तथा मांस की दुकानें) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(सात) एस० आर० ओ० 191/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (व्यय का प्राधिकरण) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(आठ) एस० आर० ओ० 185/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (दण्डाधिकारियों द्वारा अपराधों पर विचार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(नौ) एस० आर० ओ० 201/64 जो दिनांक 23 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (पंचायती तथा गैर पंचायती शौचालयों के निर्माण तथा संधारण और निजी भवनों से कूड़ा तथा कचरा हटाना) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(दस) एस० आर० ओ० 195/64 जो दिनांक 23 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (तीर्थ स्थानों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों से अंशदान) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(ग्यारह) एस०आर० ओ० 326/64 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (लावारसी लाशों का संस्कार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(बारह) एस०आर०ओ० 328/64 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (शिक्षा का प्रसार) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(तेरह) एस० आर० ओ० 339/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (ग्राम अधिकारियों के कर्त्तव्य) नियम, 1964 दिये गये हैं।

(चौदह) एस०आर० ओ. 19/65 जो दिनांक 19 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल पंचायत (अतिसर्पण हटाना तथा अनधिकृत कब्जे के लिए दण्ड का आरोपण तथा उगाही) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(पन्द्रह) एस०आर० ओ. 5/64 जो दिनांक 7 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायत की सभाओं तथा समितियों की कार्यवाहियों) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(सोलह) एस०आर० ओ. 40/64 जो दिनांक 18 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सभापतियों के कृत्यों का न्यागमन तथा प्रत्यायोजन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(सतरह) एस०आर० ओ. 46/64 जो दिनांक 25 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (अवैधानिक संकल्पों पर कार्यवाही की प्रक्रिया) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है ।

(अट्ठारह) एस० आर० ओ. 82/64 जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(उन्नीस) एस० आर० ओ. 69/64 जो दिनांक 24 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (ग्राम संस्थायें) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(बीस) एस० आर० ओ० 81/64 जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (अभिलेखों की परिरक्षा तथा अभिलेखों के विवरण की प्रतिलिपियों का देना) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है ।

(इक्कीस) एस०आर० ओ० 95/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायत की बैठकों में संकल्पों का पेश करना) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(बाईस) एस०आर० ओ० 94/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1064 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों की संख्या का निर्धारण तथा हलकों का विभाजन) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है ।

(तेईस) एस०आर० ओ० 93/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (करारोपण तथा अपील) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(चौबीस) एस० आर० ओ० 170/64 जो दिनांक 2 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों द्वारा सभापति से प्रश्नोत्तर) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(पच्चीस) एस०आर० ओ० 184/64 जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (उम्मीदवारों एवं सदस्यों की अनर्हता) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छब्बीस) एस०आर० ओ० 211/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत लोक निर्माण कार्यों के लिए निविदाओं को आमंत्रित करना तथा उनका निपटान) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(सत्ताईस) एस० आर० ओ० 204/64 जो दिनांक 30 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (कुत्तों और सूअरों के लाइसेंस देना तथा आवारा कुत्तों और सूअरों को समाप्त करना) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(अट्ठाईस) एस०आर० ओ० 261/64 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(उनतीस) एस०आर० ओ० 292/64 जो दिनांक 22 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीस) एस०आर० ओ० 289/64 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण कार्यों के उत्पादन का तरीका) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(इकत्तीस) एस०आर० ओ० 310/64 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (लेखा परीक्षा) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(बत्तीस) एस०आर० ओ० 318/64 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (कृत्यों

सम्बन्धी समितियों का गठन) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है ।

(तेंतीस) एस०आर० ओ० 338/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (भवन कर) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(चौंतीस) एस०आर० ओ० 340/64 जो दिनांक 3 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (प्रदर्शन कर) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया है ।

(पैंतीस) एस०आर० ओ० 360/64 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (बजट) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(छत्तीस) एस०आर० ओ. 394/64 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (करारोपण तथा अपील) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(सैंतीस) एस०, आर० ओ० 395/64 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(अडतीस) एस० आर० ओ० 11/65 जो दिनांक 12 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (वृत्ति कर) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4405/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1960 की धारा 112 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 33 65 की एक प्रति जो दिनांक 26 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में केरल ग्राम न्यायालय नियम 1965 दिये हुए हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4406/65]**

(3) दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डारों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1147 के अनुपूरक प्रश्नों के 4 मई, 1965 को दिये गये उत्तरों के अनुसरण में एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4407/65]**

श्री जगन्नाथ राव : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1962–63 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन जो 16 मार्च, 1965 को सभा पटल पर रखे गये थे,

के शुद्धिपत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4408/65]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

श्री जगन्नाथ राव : श्री साहू की ओर से मैं, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत जारी की गई थी और जिनके द्वारा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 17 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 575 ।

(दो) दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 610 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4409/65]

(२) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 17 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 573 ।

(दो) दिनांक 17 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 574 ।

(तीन) दिनांक 15 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 592 ।

(चार) सीमा शुल्क बाण्डों के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 611 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) दिनांक 24 अप्रैल, 1965 का जी० एस० आर० 613 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4010/65]

संसदीय समितियां

PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्यवाही-सारांश

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कार्यवाही-सारांशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधोलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे मंत्रालय—पूर्वोत्तर रेलवे—के बारे में पैंसठवां प्रतिवेदन ।

(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय—कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के गोदी श्रमिक बोर्ड—के बारे में छियासठवां प्रतिवेदन ।

(तीन) पुनर्वास मंत्रालय—1 जनवरी, 1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले नये आव्रजकों का स्वागत, उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजना तथा उनके पुनर्वास—के बारे में इकहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(चार) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर—के बारे में तिहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(पांच) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्—के बारे में पिचहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(छः) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था, कटक—के बारे में सत्तहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(सात) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—वन अनुसन्धान संस्था तथा कालेज, देहरादून—के बारे में अठहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(2) प्रक्रिया तथा विविध विषयों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवें प्रतिवेदनों के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य-सभा अपनी 4 मई, 1965 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई कि 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक-लेखा समिति से सहयोजित करने के हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नाम-निर्देशित किये जायें और उसने समिति के लिये निर्वाचित किये गये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भेजे हैं :—

(1) श्री एम० पी० भार्गव

(2) श्री चन्द्र शेखर

(3) श्री एस० सी० देव

(4) श्री आर० एस० पंचहजारी

(5) श्री राम सहाय

(6) श्री निरंजन सिंह

(7) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(दो) कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, 1965 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 5 मई, 1965 को पारित किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुह (बारसाट) : मैं परिवहन मंत्रालय--परादीप पत्तन--के बारे में प्राक्कलन समिति की सतरवीं रिपोर्ट पेश करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मैं सिविल, प्रतिरक्षा तथा वित्त लेखों के बारे में सोलहवीं, सत्रहवीं अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीसवीं, बाईसवीं, तेईसवीं, चौबीसवीं, पच्चीसवीं, और छब्बीसवीं रिपोर्टों में दी गई समिति की अवशिष्ट सिफारिशों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक-लेखा समिति की चालीसवीं रिपोर्ट पेश करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट पेश करता हूं ।

ई० एम० ई० वर्कशाप में श्रमिकों की छंटनी के बारे में विवरण
RETRENCHMENT OF WORKERS IN E.M.E. WORKSHOPS

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा 14 मार्च, 1965 को सभा पटल पर रखे गये विवरण से संबंधित एक ओर विवरण, जो ई० एम० ई० वर्कशाप में श्रमिकों की छंटनी के बारे में है सभा-पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4420/65)

महाराष्ट्र के आदिवासियों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ADIVASIS IN MAHARASHTRA

Shri D. S. Patil (Yeotmal): Sir, I had given a calling attention notice, indicating short notice question and half-an-hour discussion regarding Adivasis problem and the Memorandum submitted in this connection. But whereas a reply was given in Rajya Sabha, I have been told that the Minister is unable to accept my short notice question.

अध्यक्ष महोदयय : विधि मंत्री ।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : श्रीमान्, राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था, परन्तु यहां अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया था । मैं भूल गया क्योंकि मेरे पास दोनों प्रश्न नहीं थे ताकि मैं उन्हें मिला कर देख सकता और दोनों के विषयों में भी अन्तर था इसलिये मंत्रालय ने सचिवालय को सूचित किया कि राज्य सभा में दिया गया उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर मान लिया जाये । अन्य मामलों के बारे म उत्तर न दिया जा सका क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से उस समय तक सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । परन्तु मैंने सर्वश्री पाटिल तथा वासनिक को बताया था कि आज बारह बजे तक महाराष्ट्र सरकार से जितनी भी सूचना प्राप्त हुई है, सभा पटल पर रख दी जायेगी । इस बात की सूचना मैंने सचिव को भी दे दी थी । जब सदस्य महोदय खड़े हुये मैं वक्तव्य देने जा ही रहा था । हुआ यह कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जबकि तीन ज़िलों के छः तालुकों में 32 जनजातियां अनुसूचित हैं, परन्तु अन्य जिलों में यही जनजातियां अनुसूचित नहीं मानी जाती । इस त्रुटि का सुधार विधान द्वारा ही हो सकता है । हम सभी राज्यों में ऐसी सभी जनजातियों को प्रस्तावित विधान द्वारा अनुसूचित करना चाहते हैं । हम हर क्षेत्र अथवा हर राज्य के लिये पृथक पृथक विधान नहीं बना सकते और यही बात मैंने उस प्रतिनिधिमंडल को भी बता दी है जिसमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल हैं । सर्वश्री पाटिल तथा वासनिक ने मुझे बताया है कि भूख-हड़ताल आदि की कुछ घटनायें हुई हैं परन्तु यह तो आश्चर्यजनक है जबकि उनके प्रतिनिधिमंडल को मैंने बताया था कि उनकी मांग उचित है और इस त्रुटि का सुधार होना चाहिये ।

श्री वासुदेवन नायर : केरल में भी ऐसे मामले हैं ।

श्री अ० कु० सेन : कई राज्यों में ऐसा है । विधि सचिव की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति बनाई गई है जो उन सभी मामलों पर विचार करेगी जिनके बारे में मतभेद है और इसकी

[श्री अ० कु० सेन]

सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधान तैयार किया जायेगा । जब हम पहले ही मानते हैं कि यह त्रुटि दूर होनी चाहिये तो भूख हड़ताल अल्प सूचना प्रश्न तथा ध्यान दिलाने की सूचना आदि को जान कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । हमने महाराष्ट्र सरकार को जो तार भेजा था उसके उत्तर में उन्होंने केवल यही लिखा कि विवरणात्मक जानकारी भेजी जा रही है । फिर भी मुझे खेद है कि भख हड़ताल हुई और मुझे उन लोगों से जिन्होंने हड़तालियों को ऐसा करने के लिये उकसाया है, यही कहना है कि वह हड़ताल समाप्त कर दें क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनके मामले की सिफारिश कर दी है और हमने उसे मान लिया है ।

Shri D. S. Patil: Sir, I request that such legislation should be brought forward as to give them concessions in imparting education, grant of scholarship etc.

श्री अ० कु० सेन : कानून द्वारा उन्हें अनुसूचित करने के पश्चात ही सुविधायें देने पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं जानना चाहती हूं कि क्या अब सरकार का विचार अखिल भारतीय आधार पर जांच समिति बनाने का है क्योंकि कई राज्यों में काफी त्रुटियां हैं । और क्योंकि महाराष्ट्र में इन जनजातियों को बहुत कठिनाईयों का सामना काफी समय से है इसलिये इस पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिये । सरकार इतना अधिक समय क्यों ले रही है ?

श्री अ० कु० सेन : जैसा कि मैंने पहले कहा पूर्व सूचना कल ही तो प्राप्त हुई है और यह प्रश्न हमारे समक्ष अभी-अभी आया है । कई संसद सदस्यों द्वारा यह मामले उठाये जाने पर मैंने स्वयं जांच करवा कर सारे मामले की, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अखिल भारतीय आधार पर जांच करवाने का निश्चय किया है ।

श्री वसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही यह प्रश्न 3 करोड़ आदिवासियों को चिन्तित करता आया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बनाये जाने वाले अधिनियम में इन्हें भी शामिल किया जायेगा ?

श्री अ० कु० सेन : किसे शामिल किया जाये और किसे नहीं--प्रस्तावित समिति का यही कार्य होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सभा के आगामी अधिवेशन में यह विधेयक पेश किया जायेगा ?

श्री अ० कु० सेन : जैसे ही इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, तुरन्त ही ऐसा किया जायेगा ।

इलायची विधेयक
CARDAMON BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्र के नियंत्रणाधीन इलायची उद्योग के विकास को व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्र के नियंत्रणाधीन इलायची उद्योग के विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मनुभाई शाह : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

नाविक भविष्य निधि विधेयक

SEAMEN'S PROVIDENT FUND BILL

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाविकों के लिये एक भविष्य निधि स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाविकों के लिये एक भविष्य निधि स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक

DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राज बहादुर : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प—(जारी)

RESOLUTION RE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE—contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब रेलवे अभिसमय समिति संबंधी संकल्प पर चर्चा जारी रखेगी। श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): कल मैं निवेदन कर रहा था कि अन्तिम रेलवे अभिसमय समिति द्वारा जो निधियां आवंटित की गई थी व न्युनाधिक नहीं रहनी चाहिये। रेलवे द्वारा लाभांश की एक निश्चित दर ही दी जानी चाहिये। पिछली बार लाभांश 4.25 बताया गया था परन्तु अन्त में इसे बढ़ा दिया गया था। इस तरह की चीज़ों से लोगों में शक पदा हो जाता है। मैं समझता हूं कि यदि एक बार लाभांश की दर निर्धारित कर दी जाती है तो पांच वर्ष तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। यदि रेलव को अधिक लाभ हो जाता है तो उसे रेलवे की जरूरतों के लिये ही दे दिया जाना चाहिये क्योंकि रेलव भी और विभागों की तरह जरूरतमंद रहती है और विश्व बैंक से ऋण लेती रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जहां तक उन लाइनों का संबंध है जो युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमें उनको बनाना चाहिये। इसके लिये रेलवे को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। विकास निधि में भी वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि वह तो रेलव की नींव है और उस पर रेलवे का दारोमदार है। श्रम कल्याण कार्यों की राशि में भी वृद्धि की जानी चाहिये। गत वर्ष यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिये केवल 3 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी। यात्रियों की सुखसुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

समिति ने सिफारिश की है कि यात्रा भाड़े के भाग के रूप में 12.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्यों को दिये जाने चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह रकम राज्यों को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिये। रेलव सारे भारतवर्ष के लोगों की सेवा करती है इसलिये इस रकम को राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में मान लिया जाना चाहिये और इस संबंध में जो विधेयक पास किया गया था उसको रद्द कर दिया जाना चाहिये।

रेलवे की तरह उर्वरक कारखानों, इस्पात के कारखानों और अन्य राष्ट्रीय उपक्रमों के लिये भी पांच वर्ष में एक बार अभिसमय समितियां नियुक्त की जानी चाहिये। इससे वे भी रेलवे की भांति अधिक लाभ अर्जित करने लगेंगी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

श्री प्रभात कार (हुगली) : श्रीमन्, श्री शर्मा का जो अन्तिम सुझाव है वह एक अच्छा सुझाव है। न केवल रेलवे के लिये ही अपितु सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिये भी अभिसमय समितियां बनाई जानी चाहियें ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार को उनसे कितनी आमदनी हो सकती है। लाभांश के भुगतान की दर में क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, इस समिति को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

रेलवे से हम अधिक से अधिक आमदनी की आशा करते हैं, परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्योगों के विकास को दृष्टि में रखते हुए अधिकाधिक लाइनों की आवश्यकता है। सामान्य राजस्व में रेलवे के अंशदान को निर्धारित करते समय रेलवे के सेवा के इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिये। लाभांश की दर निर्धारित करते समय अभिसमय समिति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आसाम और दक्षिण में अधिक रेलवे लाइनों की आवश्यकता है।

यह देखते हुए कि यात्री भाड़े और मालभाड़े में वृद्धि की गई है कर्मचारियों और यात्रियों को अधिक सुखसुविधाएं दी जानी चाहिये। सामान्य राजस्व में अंशदान निर्धारित करने से पूर्व इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। सामान्य राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये हमें रेलवे की सारी ही आमदनी को नहीं ले लेना चाहिये। अभिसमय को डिब्बों आदि के बदलने की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिये। सरकारी और माल यातायात में वृद्धि के कारण रेलवे की आमदनी में वृद्धि हुई है और इसीलिये लाभांश को बढ़ाना संभव हो सकता है। परन्तु मैंने जो सुझाव दिये हैं, लाभांश दर निर्धारित करते समय, अभिसमय को उनको ध्यान में रखना चाहिये।

हो सकता है एक नई लाइन से तुरन्त ही लाभ न हो। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये कि नई लाइनों से जो हानि हो क्या उसे सामान्य राजस्व के खाते में डाला जाये। इस अभिसमय को यात्रियों तथा कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपनी नीति बनानी चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : जब कोई नई लाइन बिछाई जाती है तो उसके बिछाने के 1 वर्ष या इससे भी अधिक समय बाद तक भारी खर्च किया जाता है जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिये, उस हद तक प्रत्येक लाइन के लिये लाभांश की गणना पूंजी व्यय पर नहीं की जानी चाहिये क्योंकि यह लाभांश इस पर व्यय की गई पूंजी पर अर्जित नहीं किया जा सकता था।

दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं 1947 में देश के विभाजन के कारण हज़ारों माल डिब्बे, सवारी गाड़ी के डिब्बे और इंजन बहुत ही खस्ता हालत में पड़े हैं। कार्यशालाओं में बहुत अधिक काम है और इंजन और डिब्बों की मरम्मत अच्छी तरह और ठीक समय पर नहीं की जाती है। फालतू पुर्जे भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये सामान्य राजस्व में रेलवे का पैसा देने से पूर्व रेलवे को रोलिंग स्टाक की टूटफूट और मरम्मत के लिये पैसा दिया जाना चाहिये।

तीसरें, रेबवे संगठन विकासशील है। केवल वाणिज्यिक दृष्टि से ही हमने इसको नहीं देखना हैं। हमारी सीमाएं हैं और हमें पूर्वोत्तर रेलवे को जारी रखने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के पूर्वी भाग में, पश्चिम की सीमाओं और दक्षिण में भी नई रेलवे बिछाना बहुत आवश्यक है। रेलवे 1935 में कम्पनी प्रबन्ध या भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी जबकि अंग्रेज यहाँ पर थे। उस समय उनका मुख्य उद्देश्य सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही था। परन्तु आज देश के विकास के लिए रेलवे लाइनें बहुत ही जरूरी हैं। इसलिए जो फालतू पैसा है उसको रेलवे को दे देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को नई लाइनों के निर्माण के मामले में बहुत उदार होना चाहिए।

[श्री प्रिय गुप्ता[

अब कर्मचारियों का प्रश्न आता है । काम के घंटों और अन्य बातों के संबंध में रेलवे देश के कानूनों का बड़ी चतुराई से उल्लंघन करती रही है । आपात के नाम में कार्यालयों और कर्मशालाओं में काम के समय में आधा घंटा बढ़ा दिया गया है । उसके बदले में मजदूरों को कुछ भी नहीं दिया जाता है । जहां काम के घंटे 6 होते थे वहां अब आठ कर दिये गये हैं और जहां 8 होते थे वहां 12 कर दिये गये हैं । जब भी कर्मचारियों को बढ़ाने का प्रश्न उठाया जाता है, मितव्ययता को बीच में लाया जाता है । यह रेलवे की विचित्र नीति है । किसी महाप्रबन्धक (जनरल मनेजर) को, जिसे 3,500 या 4,000 रुपये मिलते हैं, यह अधिकार नहीं है कि वह एक क्लर्क की नियुक्ति के लिये पद बनाये जाने की स्वीकृति दे सकें । दूसरी ओर राजपत्रित अधिकारियों के पद पहले से दस गुने कर दिये गये हैं । तीन मंत्री हैं । आखिर किस लिये ? ऊपर के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता । यदि नीचे का हिस्सा कमजोर होगा तो सारे प्रशासनिक ढांचे के गिर जाने का डर है । अधिकांश अनुभागों में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों की कमी है । अधिकांशत: नैमित्तिक श्रमिकों का शोषण किया जाता है । और उनसे नियमित श्रमिकों के स्थान पर काम लिया जाता है । लगभग 3 लाख व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहे हैं । इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये और जो खराबियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिये ।

जब भी नई लाइनें बिछाई जाती हैं तो इसके लिये वहां पर कर्मचारियों को भेजा जाता है । वहां पर उनके लिये स्कूलों, चिकित्साल्य सहायता और क्वार्टरों की आवश्यकता है । बंगाल की पूर्वी भागों, आसाम, उत्तर बिहार और दक्षिण के दूर दराज़ स्थानों में रेलवे का विस्तार किया गया है जहां पर कि किराये के मकान नहीं मिलते हैं । वहां पर एक क्लर्क को 40 से 60 रु० एक कमरे का किराया देना पड़ता है । केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि 40 या 50 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं ।

तीन अग्रिम पेशगियां देने के लिये सरकार ने अजीब सा तर्क दिया हैं । यदि कोई राजपत्रित अधिकारी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पांडू नामक स्थान में जाता है और वहां पर काम करता है । तो उसको 3 अग्रिम वृद्धियां दी जाती हैं । परन्तु श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को नहीं दी जाती । अधिकारियों की यह राय है कि वे बाहर से आते हैं । श्रेणी तीन और चार का तो कहना ही क्या हमने खल्लासियों तक को देखा है जो केरल और मद्रास से आसाम में काम करने के लिये आते हैं । उनको सीमा पर काम करने का सीमा भत्ता दिया जाना चाहिये । चिकित्सा सहायता, आवास और स्कूल की सुविधाएं भी दी जानी चाहिये ।

श्री मोहसिन (धारवाड़) : श्रीमन्, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । रेलवे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है और यह आवश्यक है कि यह सामान्य राजस्व में अधिक से अधिक अंशदान दे ; परन्तु, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हम यात्रियों के आराम के लिये अधिक से अधिक क्या कुछ कर सकते हैं । हम रोज़ाना देखते हैं कि रेलों में कितनी भीड़ चलती है । हमें बताया जाता है कि और गाड़ियां चलने के लिये अतिरिक्त डिब्बे और इंजन नहीं हैं । परन्तु रेलवे से जो लाभ हम अर्जित करते हैं उसको इनके निर्माण में लगाया जा सकता है ।

हुबली में एक बड़ी कर्मशाला है जहां पर प्रति दिन लगभग 4 000 मजदूर काम करते हैं । डिब्बे और इंजनों के निर्माण के लिये इस कर्मशाला का विस्तार किया जा सकता है । यहां पर श्रमिक

सस्ती मज़दूरी पर मिल जाते हैं और दक्ष श्रमिक भी उपलब्ध हैं । यदि इसका विस्तार कर दिया जाये तो यह अतिरिक्त डिब्बों और इंजनों की मांग को पूरा कर सकती है ।

इस समय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का फासिला लगभग 12 मील और कहीं कहीं 20 मील तक है । स्थानीय गाड़ियां चलाने के लिये अधिक स्टेशनों और हाल्टों की आवश्यकता है ।

जहां तक यात्रियों की सुखसुविधाओं का संबंध है ये द्वितीय श्रेणी के यात्री की अपेक्षा तृतीय श्रेणी के यात्री को अधिक उपलब्ध हैं । तीसरी श्रेणी का यात्री स्लीपरकोच में जा सकता है और रात को आराम से सो सकता है परन्तु एक द्वितीय श्रेणी के यात्री के लिये, जो कि अधिक किराया देता है, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । जब हम रेलगाड़ियों में सफर करते हैं तो बहुत धूल आती है जो कि स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है । वातानुकूलित (एयर कन्डीशंड) गाड़ियों में ऐसी खिड़कियां होती हैं जिनमें से धूल नहीं आ सकती । यदि ऐसी खिड़कियों की व्यवस्था कर दी जाये तो इस पर कोई बहुत अधिक व्यय नहीं आयेगा । यदि हमें एक या दो दिन सफर करना पड़े तो धूल के कारण हमारी तबियत इतनी खराब हो जाती है कि सफर समाप्त करने के पश्चात एक या दो दिन तक आराम करना पड़ता है ।

प्रत्येक स्थान पर हम देखते हैं कि श्रेणी तीन और चार के सभी कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं । रेलवे को बड़ी आमदनी हो रही है । अतिरिक्त निधियों को इन कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये व्यय करना चाहिये ।

श्रेणी चार के हजारों कर्मचारी नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं । 8 या 10 वर्ष की कुल सेवा के पश्चात् भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया है । हर छै महीने के बाद उन्हें हटा दिया जाता है और 15 दिन न रखकर फिर से रख लिया जाता है । इस प्रकार उन को निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है । हुगली डिवीज़न में इस तरह के सैंकड़ों श्रमिक हैं । इन लोगों का कष्ट निवारण किया जाना चाहिए ।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण): रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को पर्याप्त लाभांश दिये जाने पर कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता है । क्योंकि हमें अपनी योजनाओं के लिये काफी संसाधनों की आवश्यकता है । परन्तु अच्छी दर पर लाभांश देने के पश्चात् रेलवे को यह भी देखना चाहिये कि उसके विकास कार्य के लिये उस के पास प्रति वर्ष 35 से 40 करोड़ रुपया बच जाये ।

समिति का काम काफी कठिन है । जब तक रेलवे की आमदनी काफी होती है तब तक तो कोई कठिनाई नहीं होगी । परन्तु निर्धारित की जाने वाली नई दर पर लाभांश देने के पश्चात् यदि रेलवे के पास अपने कामों के लिये काफी पसा नहीं बच रहता है तो वह यात्रि किराये और माल भाड़े में वृद्धि करेगी और फिर कठिनाई आरम्भ हो जायेगी । अभिसमय समिति को यह सिफारिश देनी चाहिये कि रेलवे को सामान्य राजस्व से अस्थायी पेशगियां देने की व्यवस्था जारी रहे ।

[श्री व० ब० गांधी]

सामान्य राजस्व को लाभांश की अधिकतम दर पर भुगतान किया जाने और दूसरे किराये भाड़े में वृद्धि किये बिना ही रेलवे की वित्तीय सम्पन्नता को बनाये रखा जाये, इन दोनों दावों में झगड़ा न हो इसके लिये समिति को न्यायपूर्ण हल निकालना होगा ।

गत वर्षों में रेलवे में यात्रियों के किरायों और माल भाड़े में कई बार वृद्धि की गई है । ऐसा करने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका बहुत ही अवांछनीय प्रभाव पड़ा है ।

इस विषय पर मेरे बोलने का लब्बे लुबाब यह है कि रेलवे उपक्रमों के दावे को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वित्तीय मामलों में रेलवे उपक्रमों की शोधन क्षमता का सब से पहले ख्याल रखा जाना चाहिये। और इसके पश्चात् यह निर्णय करना चाहिये कि लाभांश की दर क्या होनी चाहिये। लाभांश देने का एक तरीका यह हो सकता है कि पिछले पांच वर्षों की औसत दर पर लाभांश दिया जाय और यदि इस के अतिरिक्त कुछ देना हो तो वह रेलवे की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करना चाहिये।

यात्रियों के किराये और माल भाड़े में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि इस से प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति होती है । कर लगाने के सरकार के पास अनेक अन्य तरीके हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana): The election to this Committee should be by way of single transferable vote otherwise the senior-most Members will prevent junior Members from coming into the Committee.

The terms of reference of this Committee should also include the suggesting measures for reducing the number of accidents. The Director of Accidents has been placed in Simla which is most annoying. A big number of accidents occur in Bihar and at the border of Bihar. It takes long time for the information to reach to him. Then the Director first comes to Delhi and then goes to place of accident. He should be placed in some Central place like Delhi or Lucknow or at a place where there are more accidents.

Our railway lines are pretty old and if latest engines run at full speed accidents can be feared. The Railway Minister himself said in this House that the trains in Japan run at the speed of 160 miles per hour. I want that the trains here also should run at fast speed. We have given to Shri Patil the best cream of India and yet we do not understand why lakhs of people miss the trains daily. The Minister says that 45 lakhs of people travel by train daily. My suggestion is that the tickets in excess of the seating accommodation should not be issued.

Dehradun is an important place. The Military Academy is here. Forest Institute and the biggest office of petroleum are located here. Yet it is surprising to note that there is no retiring room at its station. There should be atleast 50 retiring rooms there.

In Roorkie we have Building Research Institute and world's greatest Engineering University.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है . . . अब गणपूर्ति है ।

Shri Yashpal Singh: There are no tonga and rikshaw sheds there in Roorkie which are a must.

The condition of R.M.S. employees is very pitiable. They remain completely neglected. P. and T. thinks that they are Railwaymen while Railway thinks them to be belonging to R.M.S. They are neglected by both the Departments. These people have to go to distant places on duty, but there exists no arrangement for their resting and bathing which should be provided at least.

Even today good many a number of Railway employees is without quarters. The Government should arrange housing for every employee.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने कई वक्तव्यों को बड़े ध्यान से सुना है । श्री बड़े ने कुछ प्रश्न उठाये । सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश में 4.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत तक वृद्धि का कारण यह है कि आपात काल की स्थिति में सरकार को अधिक निधि की आवश्यकता है । इसी कारण से सरकार स्वयं अधिक दर पर ऋण ले रही है । अतः हमें लाभांश में वृद्धि करनी पड़ी है ।

इस समिति की नियुक्ति अन्य समितियों की तरह की जाती है इस बारे में जो यह सुझाव दिया गया है कि मतदान एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट) द्वारा होना चाहिये, इस बारे में यह सभा को निर्णय करना है कि मतदान की कौन सी प्रणाली अपनाई जानी चाहिये ।

श्री गांधी ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं । यह सही है कि रेलवे को अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार अप्रत्याशित व्यय करना पड़ जाता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता । उदाहरणार्थ दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को हमें 29 करोड़ रुपये देने पड़े और अब चूंकि निर्वाह व्यय में वृद्धि हो गई है अतः अब हमें 13 करोड़ रुपये का और भुगतान करना पड़ेगा । इसी प्रकार विनियामक सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क के रूप में हमें 5 से 6 करोड़ रुपये तक का खर्चा करना पड़ा । यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है । अतः किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें 30 से 35 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व मिलना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों में यह भ्रम हो गया है कि नई लाइन का उत्पन्न बनाया जाना अथवा न बनाया जाना लाभांश पर निर्भर है । यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है । नई लाइनें जो बनाई जाती हैं उन के लिये पूंजी की व्यवस्था सामान्य राजस्व से की जाती है और न कि लाभांश देने के पश्चात् हमारी आय से । लाभांश की

[श्री स० का० पाटिल]

दर में वृद्धि करने के फलस्वरूप किसी एक लाइन पर भी प्रभाव नहीं पड़ा है । इस समिति का काम यह देखना है कि क्या लाभांश की दर 7.05 प्रतिशत होनी चाहिये अथवा नहीं और क्या इस में कोई तब्दीली की जानी चाहिये तथा क्या एक समान दर होनी चाहिये ।

रेलवे की शोधन क्षमता को सभी जानते हैं । यह एक गर्व की बात है कि सरकारी क्षेत्र में यह सब से बड़ी व्यापार संस्था है जिसकी शोधन क्षमता बहुत अधिक है और यही कारण है कि जहां भी कहीं रेलवे के लिये ऋणों के सौदे होते हैं उन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती है । रेलवे एक व्यापार संस्था है और इसका लाभ तथा हानि इस सभा द्वारा निर्धारित किये गये किरायों तथा वस्तु भाड़ा की दरों पर निर्भर करते हैं। यदि हम मुनाफा नहीं कमायें और उसे राजकोष में न दें तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि हमें अधिक कर लगाने होंगे । अतः हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे कि अधिकाधिक लाभांश राजकोष में दिया जाये जिस से करों का भार लोगों पर अधिक न बढ़े ।

कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के मामले में रेलवे किसी भी अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रम की तुलना में सबसे आगे है । हम कर्मचारियों को न केवल मकान ही दे रहे हैं परन्तु स्कूलों, कालेजों, तथा क्रीड़ा आदि की सुविधायें भी उपलब्ध कर रहे हैं। हम उन्हें यह सब सुविधायें देने के इच्छुक हैं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हम यथासम्भव हर प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में इस समय ऐसे प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहियें क्योंकि यह समिति के क्षेत्र में नहीं आते फिर भी सभी प्रश्न जो यहां उठाये गये हैं उन पर समिति विचार करेगी ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । विकास निधि तथा मूल्य अवेक्षण निधि के लिये राशि देने का प्रश्न रेलवे अभिसमय समिति के क्षेत्र में आता है और इसी प्रकार कर्मचारियों के लिये सुविधायें उपलब्ध करने तथा उन के कल्याण का प्रश्न भी इस समिति के कार्य-क्षेत्र में आता है । इसलिये मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि यह सब बातें समिति पर संकल्प के अन्तर्गत नहीं आती हैं ?

श्री स० का० पाटिल : निःसन्देह यह सभी बातें समिति के कार्य-क्षेत्र में आती हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि लाभांश की दर में 4.25 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि न की जाये। इन सभी प्रश्नों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा । लाभांश की दर में जब भी वृद्धि की जाती है तो ऐसा सभा की अनुमति से किया जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि यह सभा संकल्प करती है कि :—

(1) सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रमों द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से संबंधित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने और 30 नवम्बर, 1965 तक उन पर सिफारिशें करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिस में अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम-निर्देशित इस सभा के 12 सदस्य हों; और

(2) कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह अपने 6 सदस्यों को समिति से सहयोजित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1965

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1965

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्रीमान् जी, में श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक सरल तथा अविवादग्रस्त विधेयक है । संविधान के अनुच्छद 171(3) के अधीन एक राज्य की विधान परिषद् के चुनाव के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वर्गों में से एक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(2) के अनुसार स्थानीय प्राधिकारों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक गुणों में उक्त अधिनियम के चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य शामिल हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है कि आन्ध्र प्रदेश से संबंधित स्थानीय प्राधिकारों की सूची में से, जिसका उल्लेख उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किया गया है, मद संख्या 4 अर्थात् "नगर तथा उपनगर (टाउन) समितियां" को हटा दिया जाये क्योंकि इस राज्य की नई नगरपालिका विधि के अन्तर्गत 'नगर समितियां' नगरपालिका प्राधिकार के पृथक वर्ग के रूप में कार्य नहीं करेंगी और 18 जनवरी, 1964 को आन्ध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 के लागू हो जाने के फलस्वरूप उपनगर समितियों का अन्त कर दिया गया है ।

[श्री जगन्नाथ राव]

मैसूर सरकार ने उस राज्य से सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारों की सूची में एक और मद "उपनगर (टाउन) पंचायतें" जोड़ने का प्रस्ताव किया है जिससे पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य स्थानीय प्राधिकार निर्वाचिन क्षेत्रों से राज्य विधान-परिषद् के निर्वाचन में भाग ले सकें ।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट उस राज्य से सम्बन्धित सूची में संशोधन करने का यह सुझाव दिया है कि उस सूचि में "ज़िला परिषद्" तथा "आंचलिक परिषद्" के स्थान पर क्रमशः "ज़िला बोर्ड" तथा "स्थानीय बोर्ड" शब्द रखे जांये । पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि उस सूचि में एक नई मद "नगर समितियां" जोड़ दी जाये।

क्योंकि उक्त राज्यों से सम्बन्धित सूचियां सम्पूर्ण नहीं हैं इसलिये स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से विभिन्न राज्य परिषदों के उप-चुनाव रुक गये हैं। अतः निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि अधिनियम में शीघ्र संशोधन किये जायें । सरकार निर्वाचन आयोग के इन सुझावों से सहमत है । यह औपचारिक रूप के संशोधन हैं। अतः मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीयकरण करने से विभिन्न राज्यों में कई स्थानीय प्राधिकार स्थापित हुए हैं, यद्यपि उन के नाम भिन्न-भिन्न हैं जैसे ज़िला परिषद्, पंचायत समिति, आंचलिक परिषद्, पंचायत इत्यादि । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थानीय प्राधिकारों का उल्लेख है । जब कि कुछ राज्यों से सम्बन्धित सूचियों में पंचायतों को शामिल किया गया है, परन्तु अन्य राज्यों की सूचियों में पंचायतों को शामिल नहीं किया गया है । मेरा निवेदन यह है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी राज्यों की सूचियों में एक ही प्रकार के स्थानीय प्राधिकारों को शामिल किया जाये। अतः उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया गया । इस विधेयक का सम्बन्ध केवल आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तथा पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित सूचियों में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य राज्यों से सम्बन्धित सूचियों में भी संशोधन करने की भी आवश्यकता है ।

विधान परिषदों के गठन के बारे में मेरे विधेयक को लोक राय जानने के लिये परिचालित किया गया था । यद्यपि कुछ राज्यों ने मेरे विधेयक के उपबन्धों से असहमति प्रकट की है, परन्तु उन्होंने यह सुझाव दिया है, कि विधान परिषदों के गठन के बारे में कुछ संशोधन करने आवश्यक हैं ।

यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु मैं यह भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। ताकि विकेन्द्रीकरण करने के फलस्वरूप स्थापित हुए सभी आवश्यक स्थानीय प्राधिकारों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व मिल सके ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : हमारे समाज में नई शक्तियां पैदा हो गई हैं । संविधान के सारे ढांचे तथा विधान परिषदों के गठन को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिये इन नई शक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । उदाहरणार्थ निर्वाचक-गणों में पहले सभी प्रकार के स्नातक शामिल होते हैं यह प्रतिनिधित्व काफी नहीं है । भारतीय चिकित्सा परिषद्, चिकित्सा स्नातक, वकील परिषद्, कालेजों के प्राध्यापकों, तथा अध्यापकों, वैज्ञानिककर्मचारियों और अन्य ऐसी सभी संस्थाओं को अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

हमारे आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में मज़दूर संघ बहुत अधिक महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं। अतः इन्हें भी हमारी विकास परिषदों तथा अन्य अर्ध-शासकीय अथवा परामर्शदात्री परिषदों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। किसान संघों अथवा सहकारी समितियों जैसे कुछ संगठनों को प्रतिनिधान अवश्य मिलता है परन्तु मेरे विचार में, ऐसी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व मिलने की बजाय कुछ व्यापार मण्डलों आदि को प्रतिनिधित्व देने का वह पुराना ढंग अब भी जारी है, हालांकि यह पुराने ढंग की संस्थायें अब समाज में कोई विशेष कार्य नहीं करतीं । उदाहरणार्थ खण्ड विकास समितियों में पुराने जमीदारों को प्रतिनिधित्व मिलता है हालांकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । और यदि कोई किसान संघ हो तो उसे प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता ।

सरकार को इस प्रकार का ढंग अपनाने की बजाये लोकतंत्रात्मक ढंग अपनाना चाहिये और ऐसा करने के लिये सरकार को सारे देश के लिये एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये जो विकासशील तथा परिवर्तनशील समाज में लोगों की मांग को पूरा कर सके, चाहे इसके लिये हमें संविधान में ही संशोधन क्यों न करना पड़े ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक का बहुत सीमित उद्देश्य है । इसका सम्बन्ध केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधान से है । इस में अन्य मामलों को नहीं उठाया जाना चाहिये । फिर भी श्री श्रीनारायण दास तथा श्री वारियर द्वारा उठाये गये मामलों पर भी किसी अन्य समय विचार किया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय जी को बताना चाहिये कि आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित सूची से "उपनगर समितियां" शब्द क्यों हटाये जा रहे हैं । तथा पश्चिमी बंगाल तथा मैसूर से सम्बन्धित सूचियों में उपनगर समितियों को क्यों शामिल किया जा रहा है । यह दोनों संशोधन असंगत से प्रतीत होते हैं । एक ओर तो उपनगर समितियों को प्रति-

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

निधित्व दिया जा रहा है और दूसरी ओर उनको प्रतिनिधित्व देने से वंचित किया जा रहा है । यदि इस विधेयक का उद्देश्य स्थानीय निकायों का निर्वाचन क्षेत्रों को नियमित करना है तो मैं श्री श्रीनारायण दास के इस सुझाव से सहमत हूं, कि, जहां तक सम्भव हो सके, सभी राज्यों के एक समान निकायों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): There are different local authorities in different states as a result of which we have to amend the Fourth Schedule every time whenever there is any change in the name of a local authority in a State. I would like to suggest that we should have some kind of the local authorities in all the States so that whenever any change is to be brought about, it should relate to all the States alike. Instead of doing such sort of patch work, a comprehensive bill amending the Fourth Schedule should, therefore, be brought forward so that the same kind of local authorities in every State could be given representation in the Council.

Shri Bade (Khargone): Mr. Deputy Speaker, I extend my full support to this bill. There is nothing in this bill which I can oppose. I am, however, surprised to note as to why this sort of patch work is being done by the administration. A comprehensive bill relating to all the States should have been brought forward, so that the local authorities in every State could be given representation in the Council. In Rajasthan and Madhya Pradesh, there are no Upper Houses and as such the local authorities there are not being represented. It is against the spirit of our Constitution. It is the duty of the Government to see that the State Governments are functioning in accordance with the provisions of the Constitution and as such the Government should write to the Government of Madhya Pradesh in regard to this matter and ask them as to why there is no Upper House in their State. There should be an Upper House in that State, so that *Zila Parishads* there are represented in the Council.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : संसद् के समक्ष बहुत से विधेयक पृथक पृथक रूप से लाये जाते हैं, इससे अच्छा तो यह है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाये जैसा कई सदस्यों का सुझाव है ।

हमें सब से पहले यह विचार करना है कि विधान परिषदों में किन-किन हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाये । राज्य सरकारें समय-समय पर अपने स्थानीय निकायों संबंधी अधिनियमों में संशोधन करती रहती हैं । इससे मतभेद तो उत्पन्न होते ही हैं साथ ही हर बार सभा में एक विधेयक पेश करना पड़ता है जिससे बहुत समय लगता है इसलिये मेरे विचार में एक सामान्य उपबन्ध किया जाना चाहिये जिसके द्वारा अधिनियम में परिवर्तन स्वतः शामिल कर लिये जायें । या एक समिति हो जो पूरे प्रश्न की जांच करे ।

इस समय कुछ राज्यों में विधान परिषदों तथा उनकी गठन प्रक्रिया को निरर्थक समझा जाता है । अध्यापकों की कुछ श्रेणियों को तो मताधिकार दिया गया है परन्तु कुछ को वंचित रखा गया है । ये त्रुटियां दूर होनी चाहियें । जैसा कुछ सदस्यों ने कहा, सहकारी समितियों, श्रमिकों, अध्यापकों, विश्व विद्यालयों आदि को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): In my opinion the second chamber in all the States, where it exists at present, should be abolished. I am not in favour of indirect elections also for they are meant to accommodate those persons who have lost the general elections. Corruption and favouritism are rampant in these indirect elections. Since local bodies, Co-operative Societies, Panchayats etc. are themselves elected through indirect elections and they represent a limited number of people, therefore they should not get representation in Legislative Council. This will deal a big blow to Democracy and this system compares more or less to that prevalent in Pakistan *i.e.*, Basic Democracy, which we rightly criticize.

I, therefore, oppose the Bill.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho): I would like to congratulate the hon. Law Minister for taking such a step towards democratic decentralisation. But I feel that a Bill like the one he has introduced in respect of Andhra should have been brought for the whole country.

Shri Yashpal Singh (Kairana): Today we do not find that much of awakening and that atmosphere which is necessary for the development of democracy in India and I fail to understand how such a small Bill will serve the purpose. I do not think that in those States where Upper House does not exist the conditions are any different from those having it. Without laying down certain qualification, it is meaningless to give representation and right of vote to certain bodies and professions. So much of money is being wasted on these councils, therefore these may be abolished and the number of members in Parliament and Legislative Assemblies should also be drastically reduced.

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain): The Representation of the People Act should be amended to include the provision of a Legislative Council for Madhya Pradesh.

Certain Members have spoken against the utility of Upper Houses but it should be borne in mind, that though democratic set up is costlier than other systems, yet it provides proper opportunities to all the available talents in the country. That is why, Upper Houses have been created where representation is given mainly to persons who have special knowledge and experience. I would, therefore, suggest the Government to examine the question from all angles and then bring forward a comprehensive bill for the purpose.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): Legislative Councils are useless and therefore unnecessary. The system of indirect elections which is corruption-ridden should also be abolished. Instead a Bill pro-

[Shri Sarjoo Pandey]

viding for direct election should be introduced to amend the Representation of the People Act.

Shri K. K. Verma (Sultanpur): It will not be wise, in my opinion, to wait for a comprehensive Bill, till the difficulties regarding by-elections from local bodies constituencies, for which the present Bill has been brought before the House. The present Bill is, therefore, very necessary and should be passed.

श्री गोरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैं माननीय सदस्य श्री श्री नारायण दास द्वारा प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी विधेयक की ओर निर्देश करूंगा । इसमें सामान्यतया परिषदों के गठन के बारे में कहा गया है । वर्तमान विधेयक को कुछ राज्यों तक ही सीमित रखा गया है जहां उप-चुनाव होने वाले हैं । मेरे विचार में अब समय आ गया है कि सरकार विभिन्न राज्यों में परिषद् गठित करने के बारे में एक यापक विधेयक लाये ।

संविधान बनाने के पश्चात कई निकाय अर्थात् श्रमिक संघ तथा सहकारी संस्थायें स्थापित हो गई हैं जिन्हें विधान परिषद् में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इस बारे में संविधान में कुछ शर्तें रखी गई हैं परन्तु इनका पालन नहीं किया जाता । संविधान की भावना यह भी नहीं थी कि राज्य सभा के लिये सदस्यों का नाम-निर्देशन किया जाये और फिर उन्हें मंत्री बनाया जाये । सरकार को संविधान-निर्माताओं की भावना के अनुसार एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये । मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि परोक्ष निर्वाचन कर के संविधान के उपबन्धों का दुरुपयोग किया गया है । यह सत्तारूढ़ दल तथा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है । इसलिये यदि सरकार परिषदों तथा राज्य सभा को जारी रखना चाहती है तो इसके गठन के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये तथा सहकारी समितियों और श्रमिक संघों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये ।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सभा की चारों ओर से इस विधेयक का सर्वसम्मति से जो समर्थन किया गया है मैं उसके लिये आभारी हूं । क्योंकि पुराने निकाय अब बन्द हो गये हैं इसलिये हम यह चाहते हैं कि नये निकायों को भी प्रतिनिधित्व मिले ।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री यशपाल सिंह ने बहुत व्यापक बातें कहीं हैं परन्तु इन बातों पर किसी दूसरे अवसर पर चर्चा हो सकती है । यह एक अविवादास्पद विधान है । इसका सीमित उद्देश्य चौथी अनुसूची में स्थानीय अधिकारों की सूची में आवश्यक परिवर्तन करना है क्योंकि नये निकाय बन गये हैं और कुछ पुराने निकायों को स्थानीय विधियों द्वारा समाप्त कर दिया गया है । इस सूची को नवीनतम रखना होगा ताकि निर्वाचनों तथा अन्य प्रबन्धों में कोई कठिनाई न हो ।

व्यापक विधेयक लाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे राज्यों के कानून द्वारा स्थानीय प्राधिकारों में नये निकाय शामिल किये जाते हैं और पुराने निकाय हटा लिये जाते हैं, हम विधियों में संशोधन करते हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डशः विचार करेंगे । इस पर कोई संशोधन नहीं हैं । इसलिये प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री च० का० भट्टाचार्य : श्रीमान्, इस विधेयक को पारित किया जा रहा है । इस समय मैं वही प्रश्न करूंगा जो मैं ने पहले किया था । जहां तक आन्ध्र का सम्बन्ध है, नगर तथा उप-नगर समितियों को नहीं रखा जा रहा है जबकि मैसूर तथा पश्चिमी बंगाल के बारे में इन्हें शामिल किया जा रहा है । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है । द्वितीय सदन के लिये निर्वाचित क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राज्यों में अन्तर क्यों रखा जा रहा है । मुझे आशा थी कि इसका उत्तर दिया जायेगा परन्तु अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री अ० कु० सेन : स्थानीय विधियों के अनुसार जिन निकायों को बन्द कर दिया गया है उनको हम निकाल देते हैं और जो नये निकाय स्थापित किये जाते हैं, उन्हें हम शामिल कर लेते हैं । क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने स्थानीय प्राधिकारों के एक से नाम नहीं रखे हैं और एकसी प्रणाली नहीं अपनाई है इसलिये निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में आवश्यक तौर पर अन्तर रहेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बीज विधेयक

SEEDS BILL

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : श्रीमान, श्री सुब्रह्मण्यम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ प्रकार के बीजों की बिक्री के लिये उनकी किस्म के विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री बड़े (खारगोन) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमें बीज विधेयक की प्रतियां मिल गई हैं परन्तु इनके साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं है । प्रक्रिया नियम 69 के अनुसार इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये था । यह विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित हुआ था ।

हो सकता है कि राज्य सभा में बांटी गई प्रतियों के साथ यह ज्ञापन संलग्न हो परन्तु यह यहां नहीं है । इसलिये हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते । जब तक वित्तीय ज्ञापन न हो, इस विधेयक पर ठीक प्रकार आलोचना नहीं हो सकती ।

सभापति महोदय : मुझे जो प्रति दी गई है उसके साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न है । माननीय सदस्य ने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जिससे व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो ।

श्री बड़े : क्या हमें इस बात का पता नहीं लगना चाहिये कि जो प्रतियां, हमें दी गई हैं, उनके साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न क्यों नहीं है ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मूल विधेयक के साथ यह ज्ञापन लोक सभा के सदस्यों में परिचालित किया गया था ।

सभापति महोदय : उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

श्री बड़े : हमें किस प्रकार पता लगेगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ?

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उसमें बिलकुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री की बात को स्वीकार करता हूं । उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । यह मेरा विनिर्णय है । माननीय मंत्री ।

श्री शाहनवाज खां : हमने विगत काल में कोई 4000 बीज फार्म स्थापित करने का प्रयत्न किया जहां हमारा इरादा किसानों को बढ़िया किस्म के बीज देने का था । परन्तु हमने अपने अनुभव से यह देखा है कि हमने प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में जो छोटा फार्म स्थापित किया है उससे हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं । इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है ।

हमने प्रविधिक सहकार मिशन सहायता कार्यक्रम के अधीन इस क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रो० ए० एस० कार्टर की सेवायें प्राप्त की हैं । अपनी रिपोर्ट में प्रो० कार्टर ने अन्य बातों के अतिरिक्त दो बातों की सिफारिश की है । पहली सिफारिश यह है कि वितरणाधीन सभी बीजों पर बीज-नियन्त्रण लागू किया जाये । इस नियन्त्रण का उद्देश्य बीजों के उत्पादन तथा उनकी शुद्धता के लिये निम्न स्तर निर्धारित करना है । दूसरी सिफारिश बीजों के प्रमाणीकरण के बारे में है । इसका उद्देश्य बीजों की किस्म का निम्न स्तर निर्धारित करना है और इसमें बढ़ोतरी के प्रत्येक उत्तरोत्तर प्रक्रम में बीज की नस्ल का पता लगाने तथा पूरी जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि बीज शुद्ध किस्म के हों ।

इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को इस बैठक में पारित करे ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर सकें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कुछ प्रकार के बीजों की बिक्री के लिये उनकी किस्म के विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : आरम्भ में ही मैं इस विधेयक के बारे में माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और इस से हमारे देश के कृषकों को काफी लाभ होगा ।

जिस रूप से विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, उससे समूचे तौर पर कृषकों की आवश्यकता पूरी नहीं होती । कृषि-कार्य में बीजों का बड़ा महत्व है । कृषकों ने कई बार देखा है कि अच्छे बीज न होने के कारण उनकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं निकलते । राज्य सरकारों ने छोटे-छोटे बीज फार्म स्थापित किये हैं परन्तु उनसे कृषकों की भारी आवश्यकता पूरी नहीं होती । इसलिये जब तक कि हम बड़े पैमाने पर यह कार्य आरम्भ नहीं करते, इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । इस विधेयक का ध्यान-पूर्वक अध्ययन करने के लिये और कुछ सुधारों का सुझाव देने के लिये संसद सदस्यों, राज्य-सरकारों तथा सारे देश में फैले हुये बहुत बड़ी संख्या में कृषकों को कुछ समय दिय जाना चाहिये था ।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया]

चाहे कोई भी सरकारी उपक्रम हो, मैंने यह देखा है कि लोगों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का कुछ कर्मचारी लाभ उठाते हैं । मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं । जहां कृषकों को दिये जाने वाले बीज उन तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कुछ ही लोग उनका लाभ उठा लाते हैं ।

सरकार केन्द्रीय बीज निगम तथा उससे सम्बद्ध एक प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती है । सरकार द्वारा स्थापित किये जा रहे इस बहुत बड़े संगठन, और अफसरों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि के कारण अन्तिम परिणाम यह होगा कि कुछ लोगों के लिये नौकरी की व्यवस्था हो जायेगी परन्तु इससे कृषकों को कोई लाभ नहीं होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इन कार्यक्रमों को लागू करने से कहीं ऐसा न हो कि सम्बन्धित व्यक्तियों को इन से लाभ न पहुंचे । इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचें और यदि हो सके तो इस विधेयक को अगले सत्र के लिये स्थगित करें ताकि सदस्यों को इसका पूरा-पूरा अध्ययन करने का मौका मिले ।

अच्छे बीजों के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देने वाली एजेंसियों के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह स्पष्ट नहीं है । यह डर है कि विधेयक के इन खण्डों का कहीं दुरुपयोग न हो ।

जहां तक अनुसंधान कार्य का सम्बन्ध है, मेरा यह सुझाव है कि किसी केन्द्रीय स्थान पर मूलरूप से तथा समन्वित ढ़ंग से अनुसंधान किया जाना चाहिये ।

जहां तक अच्छे बीजों के सम्भरण का सम्बन्ध है, भूमि-सर्वेक्षण का कार्य सावधानी से तथा विस्तारपूर्वक किया जाना चाहिये ताकि इस बात का पता लग सके कि किस प्रकार की भूमि के लिये कौन सी किस्म का बीज उपयुक्त रहेगा । इस बारे में पूरी तरह अनुसंधान किया जाना चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं माननीय सदस्य श्री वैंकटासुब्बया से सहमत हूं कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये सभा को अधिक समय दिया जाये ।

इस विधेयक में जिस केन्द्रीय प्राधिकार के बारे में कहा गया है उसका गठन नामनिर्देशन के आधार पर होगा, यह निकाय किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । राज्यों के प्रतिनिधि भी विधान मण्डलों द्वारा चुन कर नहीं आयेंगे परन्तु राज्य सरकारें उनका नामनिदशन करेंगी । यह समिति न ही तो वैज्ञानिकों तथा न ही प्रतिनिधियों द्वारा गठित होगी । जब यह समिति बन जायेगी इसे व्यापक शक्तियां दी जायेंगी । मंत्री महोदय का यह कहना गलत है कि यह विधेयक अविवादास्पद है ।

यह ठीक है कि इस समय बीजों का उत्पादन तथा वितरण संतोषजनक नहीं है परन्तु फिर भी बीजों के उत्पादन करने वाले कृषकों को सरकारी एजेंटों द्वारा तंग करने का अवसर नहीं मिलता । हमें इस प्रकार की शिकायतें नहीं आई हैं जैसी कि सरकार द्वारा स्थापित किये गये उपक्रमों के बारे में आती है । कृषक अच्छे बीजों का उत्पादन करता है और उन्हें ईमानदारी से दूसरे कृषकों में वितरित करता है । इनका उद्देश्य किसी प्रकार का कोई लाभ उठाना नहीं होता । इस विधेयक के अन्तर्गत क्या हम इस ओर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं कि बीज निरीक्षक तथा विश्लेषक आदि दूसरे कर्मचारियों की तुलना में अच्छा व्यवहार करेंगे ? यह सुनिश्चित करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है कि वे ईमानदारी तथा दक्षतापूर्वक कार्य करेंगे और किसानों तथा अन्य लोगों के हितों की पर्याप्त रक्षा करेंगे ।

इसके बाद लालफीताशाही का भी डर है क्योंकि बीज एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने होंगे और इस सम्बन्ध में कई प्रतिबन्ध होंगे जिस के लिये लाइसेंस तथा परमिट प्राप्त करने होंगे । यह सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है कि लाइसेंस तथा प्रमाणपत्र जारी करने सम्बन्धी अधिकारों का दुरुपयोग न हो ।

मैं एक और पहलू पर भी बोलूंगा । सरकार किस संस्था द्वारा बीज उत्पादन का विकास चाहती है ? जो प्रयत्न सरकार ने इस सम्बन्ध में स्वयं किया है, उस पर काफी धन खर्च हुआ है तथा सरकार उसमें असफल रही है ।

बीज फार्मों पर लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं परन्तु उन से अधिक लाभ नहीं होता है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी बताया था कि हम ने 4000 बीज फार्मों पर जो धन व्यय किया वह सब बर्बाद ही हो गया । सरकार ने इसे मान भी लिया है । अब उस क्षेत्र में असफल रह कर सरकार निगम स्थापित करना चाहती है । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इसमें सफलता मिलेगी । मान लीजिये कि सफलता मिल भी जाती है जसा कि सरकार का विचार है परन्तु यह ऐसे सभी बीज पैदा नहीं कर पायेगी जिनकी देश को आवश्यकता है ।

सदियों से किसान अपने लिये बीज पैदा करते आ रहे हैं और जो बीज उन के पास फालतू होते थे वे उन्हे दूसरे किसानों को दे देते थे । इस प्रकार से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी । परन्तु इस विधेयक के पास हो जाने से यह काम बड़े-बड़े लोगों के हाथ में आ जायेगा क्योंकि इस विधेयक में बहुत से विनियम हैं जिनका पालन करना आम लोगों के लिये कठिन हो जायेगा ।

फिर बीजों के उत्पादन के लिये भूमि की भी आवश्यकता है । किसान अपने भूमि का ही प्रयोग कर सकते हैं परन्तु अधिकतम भूमि सीमा सम्बन्धी विधान के अनुसार वे ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसलिये सरकार को बताना चाहिये कि क्या उस विधान में संशोधन किया जायेगा ताकि उन सब व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी भूमि बीजों के उत्पादन के लिये सुरक्षित रखी है भूमि सीमा संबंधी विधान के उपबन्धों से छूट दी जाये ।

जब सरकार इस काम को अपने हाथ में ले लेगी ताकि इसका विकास किया जा सके तो बीजों के मूल्य अवश्य ही अधिक हो जायेंगे । इसलिये इस विधेयक में कुछ इस प्रकार का उपबन्ध होना चाहिये जिस के द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को समय-समय पर बीजों के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित करन का अधिकार दिया जा सके । ऐसा उपबन्ध इस विधेयक में नहीं है ।

[श्री रंगा]

इस काम को देखने के लिये बड़े-बड़े अधिकारी भी नियुक्त किये जायेंगे और उनको आय-कर अधिकारी, बिक्री-कर अधिकारी जैसी ही शक्तियां प्रदान की जायेंगी । इसका परिणाम यह होगा कि उन बेचारे लोगों के लिये बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । वे अधिकारी उनके स्थानों में जा कर उनको तंग करेंगे । वे उन्हें कभी पुंजी प्रस्तुत करने के लिये, और कभी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहेंगे और चूंकि किसान लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं इसलिये उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

अन्त में मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि प्रति एकड़ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें अच्छे बीजों की आवश्यकता है और इस प्रकार अच्छे बीज मिल भी सकते हैं परन्तु जो विधान प्रस्तुत किया गया है वह सन्तोषजनक नहीं है । यदि सरकार इस विधयेक को ऐसे ही पास करना चाहती है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनको इस का संशोधन विधयेक लाने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

Shri K. N. Tiwary (Bagahr): I agree with Prof. Ranga when he says that the seeds produced by the farmers are better than the seed produced by these 4000 seed farms. The farmers take more care in preserving these seeds than the Government servants.

The Government has not been successful in cattle breedings during the last seventeen years and I think they may not succeed in this field also. The Government have spent huge sums of money on 4000 seed farms and they have themselves confessed that it was a huge waste of money.

There would be great deal of redtapism also whoever wants to produce seeds and wishes to sell on a regular basis will have to get a licence. Not only that, he will have to fulfil so many other conditions. In this way, the whole thing will go in the hands of the bureaucrat which is not in the best interests of the farmers.

I think that the Government has not as yet assessed the requirements of the seeds in the country. The Government may not be able to meet the demand of the farmers in respect of seed in full. The fertilisers and the pecticides that are supplied these days are not pure and are mixed ones though these are Government controlled commodities. Gama pecticide is always found adulterated. When these things are not supplied in a pure form how can Government take this guarantee that the seed will be supplied to the farmer in a pure form. We have brought this thing to the notice of the District Development Committee that the seed supplied through the B.D.Os. are only from 25 to 30 per cent. germicide.

There is no doubt that the agriculturists need good seed. In order to make 'Grow More Food Campaign' a success the agriculturists must be supplied good seed. They should be supplied all improved types of seed. But the main thing is that Government should see whether they would be in a position to do all this. They should see whether the team of officials would be in a position to do all

that or not. The Government should consider over all these things before bringing a Bill before the House.

The next point is about the warehouses. We don't have sufficient warehouses in the country even to store wheat imported under P.L. 480. Then how and where these seeds will be stored. Then the medicines will also be required in huge quantity in order to save these seeds from insects. Necessary arrangement will have to be made for this and a huge amount will also be required for this purpose. The Government should, therefore, think first whether they can do all this or not. I, therefore, suggest that the farmers themselves should be encouraged to produce seed because they have a long experience in this line. A scheme of this type should be chalked out by which they can produce better seed.

The licence system is very bad and it should be done away with. The farmers also get annoyed when the inspectors get into their premises. Therefore, I think, that this Bill should be considered again.

श्री रंगा : इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया है ।

श्री रंगा : इसके बहुत सी खण्डों पर विस्तार से विचार होना चाहिये । इसलिये अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक अगले सत्र तक चलेगा ।

Shri Iqbal Singh (Ferozepur): The Bill as it has been drafted is so defective that in case it is passed as such it will not prove very beneficial to the agriculturists of our country.

Our main aim is that our agriculturists may get pure seeds. The place from which I come is one of the best from the agricultural point of view. But pure seeds are not available there, only mixed seeds are supplied. A cotton seed L.L. 54 was a very good cotton seed. But for the last five or six years it is not available in Punjab and if you can get it you will find that it is mixed one. Therefore this defective system of setting up a corporation and then appointing inspectors etc. should be done away with. It is the inspector who is responsible for this mixing. The agriculturists produce the best quality of cotton but it is the ginning factory owner who is responsible for this mixing. The mixing is done in the presence of the inspector. But there is no provision in the Bill to award him punishment. There is vested interest in the setting up of a Committee. It is good that a corporation is being set up there is no representative of the persons who have actually use these seeds.

We have more faith in what the foreigners tell us. In this connection I want to tell the hon. Deputy Minister that an American expert, Mr. A. H. Horvey was invited to India to express his opinion regarding the purification of the seeds. He submitted a report in which it was stated that the certified seeds which he examined were worse than the uncertified seeds. Therefore if we want to do some-

[Shri Iqbal Singh]

thing in the real sense then we must not have inspectors. Seed farms have failed in our country because the big officers appointed for the purpose do not come in contact with the agriculturists.

It has been said that the laboratories have been set up for purposes of analysis. It is very good because in this way the agriculturists will get good seeds. But there is no provision to get the seeds analysed if some private person wants to do so. There is bureaucratic system everywhere. One cannot go to the laboratories unless he seeks permission from the Government.

On account of these defects, I think, this Bill should be redrafted and brought before this House in the next Session.

Shri K. N. Tiwary: It should be referred to the Select Committee.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Our country is predominantly an agricultural country. There are millions of agriculturists and they themselves make arrangements for the seeds. After this Bill becomes an Act I think it may become difficult for them to get the seeds.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Because corruption will be rampant.

Shri Radhelal Vyas: The Government should, therefore, think again whether there is necessity of this Bill or not. I feel that there are many defects in it. When it is not to be passed in this Session and will be considered in the House during the next Session then it would be better if it is referred to the Joint Committee of both the Houses.

I have also noticed that there are some strange things in the Bill. One such thing is regarding the Central Seeds Committee. For the constitution of this Committee all the States have been divided into three groups, each State having a term by rotation of one year to send its representative. Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Nagaland and Uttar Pradesh have been put in one group. I don't know what is the similarity in these States that they have been put in one group. I fail to understand the criterion on which these groups have been formed. As has been said above, one representative from one such State will go in a committee for one year. In this way the representatives of many States will have to wait for years to get their turn. I would suggest, therefore, that if at all the Committee is to be appointed then one representative from each State especially from such big States as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra etc. who make use of the seeds to a great extent must be taken.

After this Bill is passed there will be three types of seeds—certified seed, notified seed and the registered seed. Anybody who is not a licence-holder will not be able either to sell the seeds or to store them—I think therefore that it will be very troublesome for the agriculturist to get the seeds if these are available only with the

licence-holders. Licences are issued only to such persons who will be certified by the inspectors. In case this Bill is passed hurriedly in this way, I think, it will create troubles.

The agriculturists make arrangements for the seeds from one source or the other. They will be put to trouble if they are asked to purchase seeds only from the licence-holders.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*)

It will also increase corruption and sometimes it may be difficult for them to get seeds in time. Consequently they will shift to harvests. I feel, therefore, that this Bill should be considered once again.

We have a plan under consideration to set up co-operatives in every nook and corner of the country. The seeds should be supplied through these co-operatives.

Again I would submit that this Bill should be considered once again

Shri Bade: I do not approve this Seeds Bill. There are so many kinds of seeds. There is a breeder seed, certified seed, foundation seed, hybrid seed, notified seed, registered seed etc. I think...

Mr. Speaker: You may continue next time.

कच्छ-सिंध सीमा सम्बन्धी स्थिति तथा प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION ON KUTCH-SIND BORDER AND PRIME MINISTER'S VISIT TO THE U.S.S.R.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : 28 अप्रैल, 1965 को वक्तव्य देने के पश्चात कच्छ-सिंध सीमा की स्थिति के बारे में मैं सभा को समय समय पर अवगत कराता रहा हूं ।

कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री विल्सन ने जो सुझाव दिये थे उन पर कार्यवाही जारी रखी गई थी तथा धीरे धीरे ठोस प्रस्ताव बनाये गये हैं ताकि इस समस्या का सन्तोषजनक हल हो सके । हमने प्रत्येक अवसर पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि युद्ध-विराम केवल तभी सम्भव हो सकता है जब 1 जनवरी, 1965 जैसी यथापूर्व स्थिति कायम करने के लिये एक साथ समझौता किया जाये । हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब यथापूर्व स्थिति कायम हो जायेगी तब ही हम उन प्रक्रियाओं पर कार्यवाही करेंगे जिन पर सीमा निर्धारण करने के लिये दोनों सरकारों में पहले समझौता हो चुका है ।

हमें ब्रिटिश सरकार से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं । उन में उन्होंने ऐसी बातों का उल्लेख किया हुआ है जिन पर दोनों सरकारों को विचार करना है । परन्तु अभी तक न तो कोई समझौता तैयार हुआ है और न ही प्रस्तुत किया गया है । मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि हमने इस सभा में जो निर्णय किया है हम उस पर स्थिर रहेंगे । पहले पूर्व-स्थिति कायम होनी चाहिये, उसके पश्चात हम

मंत्री स्तर पर बातचीत करने को तैयार हैं और यदि आवश्यकता हो तो मामला मध्यस्थ निर्णय से भी तय किया जा सकता है ।

हमारी नीति तथा हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं । हम इस बात में विश्वास नहीं रखते कि एक ओर तो हम शांति की बात करें और दूसरी ओर आक्रमण करें ।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारी सेनायें तैयार हैं और देश की प्रादेशिक अखण्डता के लिये दृढ़ संकल्प हैं । इस देश के लोगों ने जो समर्थन दिया है उससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है ।

मैं कल प्रातःकाल मास्को जा रहा हूं और अपने मित्र देश रूस के लिये, जिसने इतने संकट में हमारी सहायता की है, शुभ कामनायें तथा दोस्ती की भावना अपने साथ ले जा रहा हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो आज सुझाव दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री ने उस पर अब तक विचार कर लिया होगा और मास्को जाने से पहले वह हमें बता सकेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में सरकार के वरिष्ठतम सहयोगी उनकी ओर से उसी प्राधिकार में काम करेंगे । इस विशिष्ट मामले के संबंध में मुझे खुशी है कि प्रतिरक्षा सेना को समय और वर्तमान संकट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जोश में रखा जायेगा । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि उनकी अनुपस्थिति में जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे मामला और पेचीदा हो जाये ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : रूस ने बड़ आड़े समय में हमारा साथ दिया है और मुझे आशा है कि श्री शास्त्री को भारत के लिये और भी अधिक सहायता मिलेगी, अब जबकि हम कुछ कठिनाई में हैं ।

मैं मानता हूं कि ब्रिटिश सरकार के रवये के संबंध में मुझे कुछ शक है क्योंकि मैं यह नहीं भूल सकता हूं कि अमरीका के साथ साथ उन्होंने भी काश्मीर और अन्य विषयों के संबंध में हर बार हमारी कीमत पर पाकिस्तान को सहायता दी है । मुझे शक है कि वे चालाकी से कुछ ऐसा फैसला करेंगे जिसे हम नहीं चाहते । परन्तु मैं अपनी सरकार पर विश्वास करता हूं क्योंकि इस विश्वास के बिना संसदीय पद्धति कार्य नहीं कर सकती । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध हो ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैंने प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुना और सुनकर मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई । वहां जाकर वह जो कुछ कहें उसमें बहुत सावधानी बर्तें और बहुत सोच विचार कर कहें । कोई ऐसी बात वहां पर अपने मुंह से न निकालें जिससे अन्य देशों से हमारे संबंधों पर, जो पहले से ही कुछ अच्छे नहीं हैं, बुरा प्रभाव पड़े । हम बहुत कठिन समय में से गुजर रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि रूस में हमारे अच्छे मित्र हैं । परन्तु हमारे आसपास कुछ और भी अच्छे मित्र हैं जिनका वर्तमान रवैया बहुत सहायतापूर्ण नहीं रहा है । उनके अपने कारण हो सकते हैं, परन्तु हमें उन कारणों को समाप्त करने के लिये पूरे प्रयत्न करने हैं और उनके साथ फिर से मित्रता गांठनी है ।

मैं निश्चय ही उनकी सफलता चाहता हूं, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि देश इस समय संकट में है और उनको वह सभी कुछ करना चाहिये जो देश के हित में है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : देश इस समय चिंताजनक स्थिति में है और इसके देखते हुए प्रधान मंत्री यदि रूस के अपने इस दौरे को स्थगित अथवा रद्द कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि कच्छ के रण के संबंध में बातचीत चल रही है और अभी कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं चाहता हूं कि सरकार ब्रिटिश प्रधान मंत्री को बता दे कि प्रधान मंत्री के लौटने तक, अर्थात, एक सप्ताह के अन्दर २ हमको अन्तिम निर्णय से सूचित कर दिया जाना चाहिये। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे साथ बातचीत को लम्बा करने की चालें चली जा रही हैं क्योंकि अब वर्षा ऋतु आने वाली है और उस क्षेत्र में पानी भर जायेगा और हमलावर को भगाने के लिये हम जो कार्यवाही करना चाहते हैं, नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक सप्ताह की समय सीमा दी जाये।

श्री फ्रैंक एथनी (नाम-निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : प्रधान मंत्री ने कहा कि जब तक 1 जनवरी, 1965 से पूर्व की स्थिति बहाल नहीं की जायेगी तब तक मध्यस्थ निर्णय की कोई बात नहीं की जायेगी। मैं किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करता, परन्तु प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य कि कुछ ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं कहीं हमारे लिये जाल में फंसने वाली बात न बन जाये। जब तक प्रधान मंत्री यह साफ साफ नहीं कह देते कि कंजरकोट, छदबेट और वियरबेट प्रादेशिक विवाद के विषय नहीं हैं, मुझे डर है हमें सीमा विवाद के चक्कर में फंसा दिया जायेगा।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : आज हमारे मित्र अधिक नहीं हैं, परन्तु उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमें आशा है प्रधान मंत्री की यह यात्रा मित्रता के बन्धनों को और भी मजबूत करेगी।

आज पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि युद्ध के होने में कोई कसर नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान, आसाम सीमा, आसाम--लाटीटीला सीमा पर जो स्थिति है और काश्मीर में जो कुछ हो रहा है जहां कि 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' और 'चीन जिन्दाबाद' के नारे लगाये जाते हैं, जनता उससे बहुत असन्तुष्ट है और केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि अब शान्ति होगी या युद्ध। सरकार की सब्र की सीमा चाहे न हो परन्तु लोगों के सब्र की हमेशा सीमा होती है और सरकार को इस पहल पर ध्यान देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It is a matter of great happiness that the Prime Minister is going on a visit to Soviet Union. Russia is a country which had fallen a prey to an aggressive demoniacal Government. I want the Prime Minister to put before the Soviet leaders that we have fallen a prey to the *aggressive demoniacal*, China of the present age and that country has also claimed some of the Russian territory. The Prime Minister should try to present before the Soviet leaders the real picture of China.

The amended proposals of Britain regarding Kutch dispute have appeared in today's 'Times of India'. It is proposed that India should withdraw its forces from Chad Bet and other areas and that Pakistan should withdraw its forces from Kanjarkot etc. Its practical outcome will be that the area above the 24th parallel will become a disputed area and that is what Pakistan is demanding. We are very much concerned about it and want the Prime Minister to pay special attention to it.

[Shri Madhu Limaye]

The Prime Minister should say in unequivocal terms that India will have the right to keep her forces and not police alone in Chad Bet, Biar Bet and Kanjarkot areas.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The Prime Minister might recall that when China had attacked our country in 1962, we were in similar circumstances as we are in today. While leaving by air our late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru announced at the Madras air port that the forces had been ordered to drive away the Chinese from our borders. In his absence a terrific aggression was made on our borders as a result of which the enemy is still occupying a part of our territory. It would be better if before leaving, the Prime Minister indicates as to who will discharge his responsibilities in his absence in case some serious situation arises.

Today is the last sitting of this Sesion and we will meet after a pretty long time. In this big intersession period there are bound to be some big ups and downs and which are quite natural fro. In such a critical time when the Parliament is not in session there should be some sort of machinery which may convey the feelings of the people to the Government and Government's policy to the people. Therefore I suggest that a small committee should be constituted of the Members of the Ruling Party and those of the opposition which should meet the representatives of the Government once every week, get all the information from the Government and convey it to the people.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : श्रीमन् हम बड़े कठिन समय में से गुजर रहे हैं और जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने बताया प्रधान मंत्री को जाने से पूर्व देशवासियों को बता देना चाहिये कि उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर किसको निर्णय लेने का अधिकार है ।

आक्रमण के संबंध में प्रत्येक स्थान पर एक ही तरीके को अपनाया जाता है ; पहले हमला किया जाता है ; फिर युद्धविराम के लिये पेशकश की जाती है और फिर शांति वार्ता आरम्भ होती है । और युद्धविराम की स्थिति वर्षों तक बनी रहती है । मैं इससे बचना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि सरकार युद्धविराम के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सारे पहलुओं पर विचार करे ।

Shri Mourya (Aligarh): I wish the Prime Minister in this mission. As my other hon. friends have suggested I would urge upon the Prime Minister to some one from the Cabinet who will discharge the functions of the Prime Minister in his absence as we are passing through critical times and facing dangers on all sides. Side by side the representatives of the Opposition Parties should also be kept informed.

I would would also suggest him to keep in mind the sentiments of countrymen and honour of the country whenever the atmosphere regarding dispute of Rann of Kutch and Kashmir is created.

श्री हिम्मत सिंहजी (कच्छ) : प्रधान मंत्री ने बताया कि यथापूर्व स्थिति होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाजन से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जायेगा ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मैं सभा को बता दूं कि मैंने आवश्यक प्रबन्ध कर दिये हैं और सारी जिम्मेवारी कबिनेट के मेरे वरिष्ठ साथियों पर होगी । वे सामूहिक रूप से सारे कार्य के प्रभारी होंगे और मंत्रिमंडल की बठकें सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री नन्दा की अध्यक्षता में होंगी ।

श्री मुकर्जी ने कुछ मामलों के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं । जैसा कि मैंने बताया मैंने ब्रिटिश प्रधान मंत्री की ईमानदारी पर आपत्ति नहीं उठाई है और न ही मैं ऐसा करने का विचार रखता हूं । परन्तु मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि आधारभूत बातों के बारे में कोई समझौता नहीं किया जायेगा । ऐसा कभी नहीं होगा ।

जहां तक श्री द्विवेदी की टिप्पणियों का संबंध है हमने पहले से ही इस बात पर काफी बल दिया है कि जो कुछ किया जाना है शीघ्र किया जाना चाहिये । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री निश्चय ही इस कार्य को शीघ्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो यथासंभव शीघ्र लिया जाना चाहिये ।

कंजरकोट, वियरबट और छदवेट के संबंध में जहां तक श्री ऐन्थनी की टिप्पणियों का संबंध है हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है व कच्छ के हिस्से हैं और हम इस नीति से पीछे नहीं हटेंगे ।

यह सत्र काफी समय से चल रहा है और इस सभा में जो विभिन्न सुझाव और मंत्रणा दी गई है हमें उनसे काफी लाभ हुआ है । मैं आश्वासन देता हूं कि हम सामान्य पृष्ठभूमि से अवगत हैं । सरकार की नीति की मोटी मोटी बातें इस सभा में बता दी गई हैं और सभा ने उनको सामान्य रूप से स्वीकार किया है । मैं चाहता हूं कि यह सभा और माननीय सदस्य सरकार पर कुछ भरोसा करें ।

श्री हिम्मत सिंहजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आध घंटे की चर्चा । श्री नाथ पाई ।

श्री हिम्मत सिंहजी : प्रधान मंत्री स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या यथापूर्व स्थिति का अर्थ उसी स्थिति से है जो विभाजन से पूर्व थी ।

अन्तर्धा

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

*BOKARO STEEL PLANT

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सभी सहायता के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ कहा उससे, मुझे भय है, कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है । कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि मैंने रूस के साथ करार की आधारभूत बातों की आलोचना

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour-discussion.

की है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं ने तो केवल यह कहा था कि यदि हम सहायता लेते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने अधिकारों को त्याग देंगे। भारत सरकार यह समझती है कि क्योंकि हम सहायता प्राप्त करते हैं इसलिये हम पर कुछ भी शर्तें लगाई जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में बढ़ती हुई तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में सरकार की क्या मुख्य नीति है ? हम भी यह चाहते हैं कि चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हों, विदेशी विशेषज्ञों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है।

पिछली बरसात में हमने विदेशों से गेहूं आयात किया था। बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस गेहूं को बम्बई और अन्य पत्तनों पर उतारने के लिए मंत्रणा देने के लिये हमें विदेशों से विशेषज्ञ मंगाने पड़े थे।

सरकार "आत्मनिर्भरता" शब्द की आड़ में शरण लेना चाहती है। यह कहने का कोई फायदा नहीं हैं कि वर्ष 1985 में भारत इंजीनियरिंग और तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेगा। यदि हम उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आज से ही कार्य करना आरम्भ कर देना चाहिये। हो सकता है भारतीय इंजीनियर और सलाहकार आरम्भ में कुछ गलतियां करें, परन्तु गलतियां के करने से हम को लाभ प्राप्त होता है और हम आगे के लिये सीखते हैं। आज यह हो रहा है कि अन्य बाहर का व्यक्ति गलतियां करता है और अनुभव प्राप्त करता है और हम उसको इसके लिये पैसे देते हैं। हमें इस तरीके को बदलना चाहिये और भारतीय इंजीनियरों को काम दिया जाना चाहिये।

देश में पाउडर के दूध बनाने का प्रश्न उठाया गया था। विदेशी व विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भैंस के दूध सेपाउडर का दूध बनाना संभव नहीं है। अब हमें पता लग गया है कि यह सब बकवास थी और भैंस के दूध से बहुत अच्छा और बढ़िया पौडर का दूध तैयार किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के बारे में एक विदेशी सलाहकार ने बताया था कि प्रतिवर्ष 1,000 मशीनी औजार तैयार करने में भारत को 10 वर्ष लगेंगे। उस ठेके की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर ही हम 1,000 से भी अधिक मशीनी औजार बनाने लग गये थे। रूस के साथ जो विशिष्ट करार किया गया है मैं उसकी निन्दा नहीं करता। परन्तु मझे सरकार का यह रवैया बिल्कुल पसन्द नहीं है कि क्योंकि हम सहायता प्राप्त कर रहे हैं इसलिये हमारी मर्जी तो चल ही नहीं सकती है। उनको भारतीय इंजीनियरों पर कोई भरोसा नहीं है। ये सब क्यों ? आप जानते हैं कि हाल ही में ट्राम्बे में प्लुटोनियम संयंत्र का डिजाइन भारतीय डिजाइनरों द्वारा तैयार किया गया था और भारतीय इंजीनियरों ने ही उसे पूरा किया था।

ट्रावनकोर उर्वरक कारखाने ने जो काम कर के दिखाया है हमें उस पर गर्व करना चाहिये। वहां पर एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिससे कि जिप्सम को एक बार की बजाय दो बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बाद में एक प्रमुख अंग्रेजी फर्म, पॉवर एण्ड गैस कम्पनी, ने इसे भारत से खरीद लिया।

मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं जब हमने विदेशी विशेषज्ञों से हमें यह बताने के लिए कहा कि क्या करना चाहिये और बाद में हमें पता चला कि हमारे पास देश में काफी बुद्धि-वैभव था जिसका उपयोग किया जा सकता था और भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस सरकार ने अपना यह दृष्टिकोण बनाये रखा है जो ढिंढोरा पीटती रहती है कि जहां तक औद्योगीकरण तथा तकनीकी जानकारी का सम्बन्ध है हम अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

पांचवां इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया जाये, इस बात के लिये भी हमें इंगलैण्ड और अमरीका से विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं, यह भारत का उपहास करना है, भारत को झंझट में डालना है। सरकार को विदेशी विशेषज्ञों के प्रति अपने इस पुराने दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिये। किसी न किसी प्रकार वह यह समझती है कि विशेषज्ञ यदि विदेशी हैं तो वह त्रिकालदर्शी हैं--जिसकी सलाह के कारण हम प्रायः मुसीबत में फंसे हैं। मैं यह सुझाव नहीं देना चाहता कि हमें कभी भी विशेषज्ञों को नहीं बुलाना चाहिये। हमें किसी भी साधन से इस प्रकार की जो सहायता मिल सके उसे आभारपूर्वक स्वीकार करना चाहिये। लेकिन बोकारो कारखाने के बारे में उन्हें यह बता दूं कि क्या वे एक बना बनाया तैयार खिलौना आयात करना चाहते हैं जिससे हम खेल सकें व देख व दिखा सकें कि यह हमें रूस ने दिया था अथवा क्या वे यह चाहते हैं कि यह कारखाना भारत के अपने बढ़ते हुए इस्पात उद्योग का आधार बन जाये ? यदि मंशा यह है तो मुझे इससे उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्न पूछने दें।

14 नवम्बर को प्रथम राष्ट्रीय धातुकर्मिक (मैटेलोर्जिस्ट) दिवस के अवसर पर तत्कालीन इस्पात मंत्री ने भिलाई में बोकारो की इंजीनियरिंग एक भारतीय फर्म को सौपने के सरकारी निर्णय की घोषणा की तथा कहा कि यह भारत के तकनोलाजी विकास में एक महत्वपूर्ण बात थी। क्या वास्तव में यही अभिप्राय था अथवा मंत्री जी के आडम्बरपूर्ण बातों में से एक थी ? उनसे पूर्व के मंत्री जी ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि यह काम इंजीनियरों की एक भारतीय फर्म को सौंपा जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि फिर क्या बात हो गई ?

फिर, बोकारो के इंजीनियरों को यह काम सौपने के बारे में उनसे पूर्व मंत्री जी ने इस सभा में 9 अप्रैल, 1964 को करार हो जाने की घोषणा की थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस पर विचार किया है। ये उनसे पूर्व मंत्री के शब्द हैं और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है। उन पर उद्योग के इस अत्यन्त महत्व-पूर्ण क्षेत्र में प्रारम्भिक भारतीय उत्साह को प्रोत्साहित करने, बढ़ाने व विकसित करने का दोहरा उत्तरदायित्व है तथा साथ ही संसद् तथा देश की जनता को दिये गये बचन का पालन करने की उतनी ही तथा अत्यावश्यक महत्व की बात है। श्री सुब्रह्मण्यम ने इस सभा को यह बचन 9 अप्रैल को दिया था। यह श्री इन्द्रजोत गुप्त, मेरे तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा इस सभा में उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था। उन्होंने कहा था :--

> "जैसा सभा को ज्ञात है, हमने परियोजना का आगे का इंजीनियरी का काम एक भारतीय इंजीनियरी फर्म मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को देने का निश्चय किया है, जिन्होंने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है। परामर्श देने के बारे में ठेका तय हो गया है और फर्म ने इस इस्पात कारखाने

[श्री नाथ पाई]

> के काम के पूर्वानुमान में जो पहले ही इंजीनियरी का काम आरम्भ किया, उसे वह जारी रखेगी। परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है तथा वे टेंडर के लिये विशिष्ट विवरण तैयार करने में व्यस्त हैं।"

यहां मंत्री महोदय हमें इस सभा में बता रहे हैं कि काम सौप दिया गया है, एक ठेके पर प्राथमिक रूप में लिखा-पढ़ी हो गई है और अब वे वापस लौटते हैं और कहते हैं कि इस पर तो केवल प्राथमिक रूप में लिखा-पढ़ी हुई थी; इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। क्या संसद् के साथ ऐसा व्यवहार होना है? क्या सरकार की नैतिकता कुछ-कुछ एक साधारण व्यापारी अथवा वणिक की तरह हैं? मैं नहीं समझता कि हम इस प्रकार के शब्दों की शरण ले सकते हैं।

7 अगस्त को सोवियत संघ से वापस आने पर बोकारो इस्पात कारखाने के प्रधान ने यह कहा था। मैं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से उद्धरण कर रहा हूं--सामान्यतः इन अधिकारियों द्वारा कही गई बातों को उद्धरण नहीं करना चाहिये परन्तु क्योंकि वे बोकारो इस्पात कारखाने के प्रधान होते हैं, मैं उनका उद्धरण कर रहा हूं--वे यह कहते हैं:--

> "सोवियत प्राधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि परियोजना में डिजाइन बनाने और इंजीनियरी में भारतीय क्षमता को सम्बद्ध किया जायेगा।"

हमें बताया गया था कि सोवियत पक्ष को आपत्ति थी। मैं इसका विश्वास नहीं करता। सोवियत संघ द्वारा सहयोग की अच्छी बातों में से एक यह है कि वे सभी स्तरों पर भारत द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहन देते हैं। यदि भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता दुगनी करते समय ऐसा नहीं हुआ तो इसका कारण यह नहीं था कि सोवियत संघ इससे बचने पर जोर दे रहा था बल्कि इसका कारण यह है कि हम शीघ्र झुक जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि "हम निर्माण करने जा रहे हैं और इसे हमें डिजाइन करने दो।" मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सरकार ने अपनी दृढता दिखाई होती तो संघ ने नया ढांचा जो हमने रूरकेला और दुर्गापुर में विकसित किया, मान लेता। किस प्रकार हम मामूली से विरोध के आगे झुक जाते हैं तथा फिर अन्य देशों पर उंगली उठाते हैं। लेकिन यदि सोवियत संघ जोर भी दे रहा था तो हमें कुछ आत्मसम्मान दिखाना चाहिये और कहना चाहिये, "हमें, आपकी सहायता चाहिये, लेकिन हमें इससे अधिक आवश्यकता अपनी भारतीय तकनोलाजी तथा कौशल का बिकास करने की है।" मैं समझता हूं, यदि हमने जोर दिया होता, मैं यह महसूस करने को सहमत नहीं होउंगा कि सोवियत संघ ने हमारे दावे को ठुकरा दिया होता।

अब मैं वर्तमान मंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं और उनसे एक-दो प्रश्न पूछना चाहता हूं तथा मैं उनसे ठीक-ठीक उत्तर चाहता हूं। श्रीमान्, श्री संजीव रेड्डी ने दस्तूर एण्ड कम्पनी को दिये गये बचन निभाने की बात दोहराई थी और यह कि उनको पर्याप्त भाग लेने दिया जायेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान उनके द्वारा लोक सभा में 3 अक्तूबर को कहे गये शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था :

> "इस बात को ध्यान में रखते हुए, दस्तूर एन्ड कम्पनी का क्षेत्र सीमित होगा। इस बात का निश्चय कि कितना काम रूस वाले करेंगे तथा कितना काम

दस्तूर एण्ड कम्पनी को दिया जायेगा, रूस वालों के परामर्श से किया जायेगा ।"

मैं पूरा समर्थन करता हूं कि हमें रूसियों से परामर्श करना पड़ेगा । लेकिन मैं सरकार से दो बातें जानना चाहूंगा । क्या हम बोकारो कारखाने के प्रधान, श्री संजीव रेड्डी से पूर्व मंत्री तथा स्वयं श्री संजीव रेड्डी द्वारा दिये गये बचनों को नहीं निभाने वाले हैं ? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि किस भारतीय फर्म को यह सौंपा जाना चाहिए; लेकिन मूल बात यह है कि हमें भारतीय इंजीनियरी कुशलता को बढ़ावा देना चाहिये तथा इस देश में कुछ कुशलता बहुत उच्च कोटि की है । भलाई की बात तो यह है कि इस उपनिवेशवादी नीति को छोड़ दें कि विदेशी विशेषज्ञ आवश्यक हैं । मैं बहुतेरे उदाहरण दे सकता हूं जहां भारतीय इंजीनियर, भारतीय तकनीशन, भारतीय वैज्ञानिक किसी भी देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों जितना अच्छा काम कर सकते हैं। और इस्पात एक ऐसा क्षेत्र है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री संजीव रेड्डी, जिन्होंने हमें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि इस वचन का निष्ठापूर्वक पालन किया जायेगा । रूसियों द्वारा विरोध की शरण लेंगे । मुझे पूरा-पूरा विश्वास नहीं है कि सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने किसी भी समय भारतीयों का विरोध किया । मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता । मान लो कि उन्होंने ऐसा किया जैसा रूरकेला और दुर्गापुर के विकास के अवसर पर हमने किया, यह कहना भारत के अधिकार में था कि यदि हम एक प्रकार के औद्योगिक उपनिवेशबाद से बचना चाहते हैं तो भारतीय इंजीनियरों को सम्बद्ध करना होगा ; चाहे वह अमरीकी हो, ब्रिटिश हो, जर्मन हो, जो भी हमें सहायता देता है । केवल इसलिये कि वे सहायता करते हैं हमें अपना अधिकार नहीं छोड़ देना चाहिये कि डिज़ाइन बनाने, परामर्श देने अथवा कार्य-पालन हर अवस्था पर भारतीयों को सम्बद्ध करना होगा ।

श्रीमान्, मैंने इसको विस्तृत रूप से रखने का प्रयत्न किया है और मैं विश्वास करता हूं कि उनके उत्तर में देश के दीर्घकालीन हितों तथा मैंने जो प्रश्न को जिस व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है, उसको ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : श्रीमान् जी, श्री नाथ पाई ने जो कुछ-कुछ द्विविधा पूर्वक तथा आजमाइयश के तौर पर प्रश्न उठाया है, वह मैं कुछ अधिक प्रत्यक्ष रूप में पूछना चाहता हूं । मैं इस समय मंत्री महोदय से ठीक-ठीक जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस बोकारो परियोजना के डिजाइन का प्रधान रूप से उत्तर दायित्व भारतीय फर्म दस्तूर एण्ड कम्पनी को देने के मूल विचार से पीछे हटने का कारण—सोवियत पक्ष की ओर से विरोध तथा आपत्ति का प्रचारित किया गया था—मैं तो इसे प्रचार ही समझता हूं—वास्तव में इस फर्म के प्रति रूसियों की नहीं बल्कि कुछ उच्च भारतीय अधिकारियों की प्रतिकूल भावनाओं के कारण नहीं था, जो व्यवस्था थी उसे सोवियत पक्ष के साथ बातचीत के दौरान अस्त-व्यस्त कर दिया जिससे हमारे भारतीय डिज़ाइन बनाने वालों की कार्यकुशलता तथा योग्यता को बदनाम करना तथा नीचे गिराया गया तथा जिस के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सोवियत पक्ष ने, शायद उचित रूप से, कुछ संकोच अनुभव किया । लेकिन बाद में सब प्रचार यह दिखाने के लिये

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया गया कि यह उत्तरदायित्व दस्तूर एण्ड कम्पनी को सोवियत प्राधिकारियों के हठ के कारण नहीं सौंपा जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): इस विषय पर मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय भी चर्चा हुई थी । भूतपूर्व मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य में कही गई बात कि परामर्श सम्बन्धी ठेके पर समझौता हो गया है और वह फर्म समझौते की पूर्व आशा में पहले ही आरम्भ किये गये इंजीनियरी कार्य को जारी रखेगी, सच है । मेरा भी ऐसा ही विचार है । मैं कई बार कह चुका हूं कि रूस वालों को कितना भाग सौंपा जायेगा और दस्तूर एण्ड कम्पनी को कितना भाग दिया जायेगा का निर्णय रिपोर्ट के तैयार होने से पहले नहीं किया जा सकता । इसमें किसी अधिकारी पर दोष लगाना उचित नहीं है ।

समझौते में यह बात भी शामिल है कि भारत के इंजीनियरों को बहुत बड़े अनुपात में रूसियों के साथ लगाया जायेगा । हमारे अनुभवी इंजीनियर वहां डिज़ाइन कार्य करने के लिये जा रहे हैं । वे वहां मौलिक कार्य करेंगे । केवल दस्तूर एण्ड कम्पनी ही ऐसा कार्य करने वाली संस्था नहीं है । रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में हमारे पास बहुत अच्छे 2 कार्यकर्ता हैं, और वहां पर पूरा विस्तार कार्य भारतीयों ने किया है । हमें फिर भी सीखते रहना चाहिये। हम स्वयं बहुत कार्य कर रहे हैं । हिन्दुस्तान स्टील के डिज़ाइन सेक्शन के पास पहले ही बहुत कार्य था । और रूस वालों ने कहा कि उन की कार्य प्रणाली में पिछले दस वर्षों में बहुत परिवर्तन हो गया है । हम अपने इस्पात कारखानों में विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या कम कर रहे हैं। उन के स्थान पर अपने देश के प्रविधिज्ञ कार्य संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में यह कमी 70 या 80 प्रतिशत की गई है । हमें विदेशों से नई-नई बातों को भी सीखना चाहिए। यह हमारे हित में है ।

दस्तूर एण्ड कम्पनी को सरकारी क्षेत्र में लिये जाने के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता । इस पर विचार हो रहा है । यदि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हो भी गया तो उस को न केवल बोकारो का काम दिया जायेगा बल्कि प्रतिरक्षा परियोजनाओं तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य कारखानों का काम भी इसको दिया जायेगा ।

चौथी योजना में हम इस कार्य पर बहुत धनराशि लगाने का विचार कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम आत्म निर्भर हो जायेंगे । एक समय था जब केवल 5 प्रतिशत उपकरण भारत में तैयार होते थे । अब 35 प्रतिशत यहां पर तैयार हो रहे हैं । भिलाई और रूरकेला के लिये सैकड़ों की संख्या में विदेशी इंजीनियर यहां आये थे। अब बोकारो के लिये बहुत कम संख्या में विदेशों से वे लोग आयेंगे ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र--जारी

PAPER LAID ON THE TABLE—*contd.*

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में विवरण

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं अपनी नेपाल यात्रा के बारे में एक वक्तव्य, पढ़ने के बजाय, सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4421/65]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना–जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

(तीन) पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक ले जाने वाले पाकिस्तानी विमानों की भारतीय राज्य क्षेत्र पर उड़ानों के समाचार--जारी

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या यह सच नहीं कि झूठी माल-सूची देना सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है और जिस वाहन में यह माल पाया जायेगा, उसको जब्त किया जा सकता है और अपराधी के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है; यदि हां, तो सरकार ने विमान, विमान चालक और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया था?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : इस उल्लंघन को हम निश्चय ही बहुत गम्भीर समझ रहे हैं। परन्तु क्योंकि मामला दो सरकारों के बीच में था, हमने उनको यह सूचना दी कि हम विमान को ढाका जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, हमने उनको बताया कि विमान पश्चिम पाकिस्तान को वापिस लौट सकता है। उसके अनुसरण में विमान को पश्चिम पाकिस्तान को वापिस लौट जाने दिया गया।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यही प्रश्न तो मैंने पूछा है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि यह दो सरकारों के बीच मामला था, हम ऐसी चरम कार्यवाही नहीं करना चाहते थे। परन्तु हमने विमान को पश्चिम पाकिस्तान को लौटा दिया।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : यदि पाकिस्तान से कोई सैनिक विमान हमारे क्षेत्र के ऊपर उड़ान करता है, तो इसके लिये हमारी सरकार के पास अधिकतम शक्तियां क्या हैं? क्या हमने पहले भी ऐसा विमान पकड़ा है जिसमें सैनिक पुर्ज़े पाए गए हों? क्या आप विमान को जब्त कर सकते हैं अथवा केवल रोक सकते हैं, जैसा कि इस मामले में इसे 24 घंटे के लिये रोका गया?

श्री अ० म० थामस : स्पष्टतया यह सीमा-शुल्क विनियमों का उल्लंघन है । यह हमारी इच्छा पर है कि हम विमान को जाने दें अथवा नहीं । हमने उनको बता दिया कि हम विमान को नहीं जाने देंगे और उसको पश्चिम पाकिस्तान वापिस भेज दिया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I am feeling it difficult to ask question because the statement is in English. I want to know the value of the goods that were being taken.

श्री अ० म० थामस : मूल्य से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । एक सूची में 24 चीजें थीं और दूसरी में 67 चीजें थीं । हमारा सम्बन्ध विमान में पाई गई वस्तुओं से है । उदाहरण के तौर पर हमने विमान में एक लड़ाकू विमान का धड़ और अन्य पुर्जे पाए गए थे, जो कि आपत्तिजनक है । इसीलिये हमने विमान को वापिस भेज दिया।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The hon. Minister said that because of a treaty between the two Governments they did not want to take any step which might effect our relations. Now Pakistan has already invaded our territory, therefore why did not the Government confiscate the military strategic literature and the plane in which it was loaded? Had it been confiscated, would not it have produced good effect on our public?

श्री अ० म० थामस : निश्चय ही हमने इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लिया और विरोध भी प्रकट किया, परन्तु इन परिस्थितियों में, इस कार्यवाही को पर्याप्त समझा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: My question has not been replied to properly. He has said that it was not considered necessary, but what is the reason?

Mr. Speaker: He has said that the value of the goods is not known.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Have the Government, as usual, sent a protest letter to Pakistan that they have violated the terms and conditions according to which they were allowed to fly their planes? Has any action been taken against them?

श्री अ० म० थामस : वर्तमान व्यवस्था 30 जून तक है । इस घटना को देखते हुए हम पूर्ण स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पाकिस्तानी विमान चालक की गल्ती से हमें पता चला था कि विमान में निषिद्ध सामान था । उसके पास दो सूची पत्र थे ; एक तो वास्तविक था जिसमें ले जाने वाले सामान की सूची थी, और दूसरा झूठा था जो भारतीय अधिकारियों को दिखाने के लिये था । परन्तु इस समय उसने गल्ती कर दी । इससे पता चलता है कि हमारी सैनिक जासूसी कितनी कमजोर है । पाकिस्तानी, भारतीय क्षेत्र पर उड़ान के अधिकार को, सैनिक और सैनिक सामान ले जाने के लिये प्रयोग करते रहे हैं। और यदि वह इस प्रकार का उल्लंघन करें तो भारतीय वायु सेना को क्या स्थायी आदेश हैं ?

श्री अ० म० थामस : इनके लिये हमें सीमा शुल्क अधिकारियों को बधाई देनी चाहिये ; क्योंकि जब उन्होंने जांच आरम्भ की तो विमान चालक ने पाया कि वह धोखा नहीं दे सकता अतः उसने पूरी सूची दिखा दी ।

श्री नाथ पाई : मेरा दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था । यदि पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र के ऊपर, सैनिक सामान और अन्य हथियार लेकर, उड़ान करते रहे तो भारतीय वायु सेना को क्या स्थायी आदेश हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस मामले में यह अनधिकृत उड़ान नहीं थी । दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार से यह अधिकृत उड़ान थी और यह करार 30 जून को समाप्त हो जाएगा । अतः यह अधिकृत उड़ान थी ।

श्री नाथ पाई : यह मेरे प्रश्न का उतर नहीं हैं ।

श्री अ० म० थामस : किसी भी अनधिकृत उड़ान के बारे में वायु सेना को यह निश्चित आदेश हैं कि वह विमान को गोली मार कर गिरा सकते हैं ।

Shri Daljit Singh (Una): Has it been mentioned anywhere in the statement that Indian Government does not know whether military material is being carried over Indian territory. It has also been mentioned that it has been stopped now. I want to know whether any arrangement has been made to stop such flights.

श्री अ० म० थामस : मैंने विवरण में पहले ही बता दिया हैं कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने जांच के दौरान यह पाया था कि विमान में सैनिक सामान था जो करार के अन्तर्गत निषिद्ध है । मैंने यह भी बताया कि आपत्ति जनक चीजें लड़ाकू विमान का धड़ और अन्य पुर्जे थे ।

(चार) पाकिस्तानी विमान द्वारा राजस्थान में भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण के समाचार—जारी

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Was it not the duty of the Government to shoot down the Pakistani plane which intruded into Rajasthan? Has it also come to the notice of the Government that sometimes back a helicopter landed in the same place. It stayed there for five hours and mapped the place. What has the Government done in the matter?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : हमें हेलीकाप्टर के बारे में कोई सूचना नहीं है । हमारी जांच के अनुसार वहां कोई हेलीकाप्टर नहीं उतरा था फिर भी समाचार पत्रों के समाचारों के अनुसार हमने वहां जांच की है । सूचना में जो तीन उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है, यह उल्लंघन 6 या 7 मील हमारे क्षेत्र में था और इसके लिये केवल कुछ सेकंड लगते हैं । और सभा इस बात से सहमत होगी कि कोई भी कार्यवाही करने के लिये यह समय पर्याप्त नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Why was it not shot down?

Mr. Speaker: He has already replied that it is not possible to shoot down the plane within five seconds.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The helicopter remained there for 4 or 5 hours.

Mr. Speaker: Regarding the helicopter he says that newspaper reports are wrong.

श्री वेंकटासुब्बया (अडोनी) : सिंध–कच्छ सीमा पर आक्रमण करने के पश्चात् अब पाकिस्तान राजस्थान सीमा पर कब्जा करने का भी प्रयत्न कर रहा है और न केवल हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है बल्कि पाकिस्तानी रेंजरों ने राजस्थान क्षेत्र में घुसने का भी प्रयत्न किया है । क्या सरकार पाकिस्तान की ओर से इस खतरे से अवगत है और यदि हां, तो सरकार ने सुरक्षा के विचार से क्या प्रभावकारी उपाय किये हैं ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि हाल ही में राजस्थान सीमा पर कुछ घटनाएं हुई थीं। वायु सीमा के उल्लंघन के अतिरिक्त, 8 मई को 10 सशस्त्र पाकिस्तानियों ने एक गांव पर हमला करने का प्रयत्न किया था । 10 मई को रेंजरों की सहायता से मजूरों का एक दल हमारे क्षेत्र में 5 मील घुस आया, परन्तु हमारे गश्ती सैनिकों को आते देख अपने क्षेत्र में घुस गया । इस सीमा की सुरक्षा के लिये बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: He has not told anything about the photos taken by them.

Mr. Speaker: He says it is wrong that pictures were taken from the helicopter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Those pictures were taken from an aeroplane.

श्री अ० म० थामस : हेलीकाप्टर के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने पूछ ताछ कर ली है, और कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कोई चित्र लिये गये थे ?

श्री अ० म० थामस : हमारी सूचना के अनुसार कोई चित्र नहीं लिये गये थे, क्योंकि विमान बहुत ऊंचाई पर था और विमान की केवल आवाज सुनी जा सकती थी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The hon. Minister said that this plane remained on our territory for 5 or 7 seconds. Had our plane intruded into Pakistan for this much time the story would have been different I want to know whether this plane came to the area where our troops are camping. Besides, would the Govern-

ment inform the country, through this House, about troops movement by Pakistanis near Rajasthan border.

श्री अ० म० थामस : हवाई जहाज़ उस क्षेत्र में नहीं आया जहां हमारी सेनाओं का पड़ाव है । यह उस क्षेत्र में आया जहां पुलिस का दल है और उस क्षेत्र की सुरक्षा सशस्त्र पुलिस द्वारा की जाती है ।

Shri Prakash Vir Shastri: What have the Government to say about troops deployment near Rajasthan border.

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री अ० म० थामस : हमें उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पता है, परन्तु उसे बताना लोक हित में नहीं होगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उन उल्लंघनों और सीमा के उस ओर सैनिक जमाव को देखते हुए, जब राजस्थान के क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ, तो सरकार को सभा को यह बताना चाहिये था कि क्या सरकार को इस क्षेत्र में पाकिस्तान के जासूसी अड्डों का पता लगा है? मंत्री महोदय हमें बताएं कि पाकिस्तानी उल्लंघनों को देखते हुए, क्या सरकार सारे क्षेत्र की सुरक्षा और गश्त का कार्य सेना और वायु सेना को सौंप रही है और क्या राजस्थान सीमा, जो कि कच्छ सीमा के निकट है, की पूर्ण सुरक्षा के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : 4 मई को पाकिस्तान के 10 सशस्त्र सैनिकों ने आक्ली गांव में घुसने का प्रयत्न किया । 10 मई को रेंजरों की सहायता से मूजरों का एक दल हमारे क्षेत्र में 5 मील अन्दर घुस आया। मैं ने यह भी कहा था कि जब तक हमारे गश्ती दस्ते वहां पहुंचे, वे पाकिस्तानी क्षेत्र में बच निकले ।.

निस्संदेह, हमें उस क्षेत्र में पाकिस्तान की सैनिक जासूसी कार्यवाहियों का पता है, परन्तु लोक हित में मैं इसे बताना नहीं चाहता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य को गिरफतार किया गया है । सरकार सब कुछ कर रही है, परन्तु लोक हित में इसे छिपा रही है ।

श्री अ० म० थामस : सेना सीमा के प्रत्येक इंच की रक्षा नहीं कर सकती है । परन्तु जब आवयश्कता पड़ती है तो हम केवल सशस्त्र पुलिस पर ही निर्भर नहीं रहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : विवरण से पता चलता है कि दो प्रकार के विमान थे–एक तो पाकिस्तानी प्रावेक्षण (रिकोनेसेंस) विमा और दूसरा पाकिस्तानी एयर आबजरवेशन पोस्ट विमान । इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध कर रहा है, क्या भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना को यह आदेश दे दिये हैं कि जो पाकिस्तानी विमान हमारी सीमा का उल्लंघन करें उनको गोली मार कर गिरा दिया जाये ? यदि उनको यह आदेश नहीं दिये गये तो क्यों नहीं दिये गये ?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही बता दिया है कि विमान को गिराने का हमारा अधिकार है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या हम इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस मामले में विमान केवल 6 या 7 मील अन्दर आया था ।

श्री हरि विष्णु कामत: 'केवल' शब्द का फिर प्रयोग किया गया है । उल्लंघन उल्लंघन ही है ।

श्री नाथ पाई : हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान ने हमारे कैनबरा विमान को गिरा दिया थ जो पाकिस्तान प्रदेश में केवल 8 मील अन्दर गया था । और वहां केवल 3 मिनट रहा था । उनके 'केवल' नहीं कहना चाहिये ।

श्री अ० म० थामस : मैंने 7 मील इस लिये कहा था जिससे यह अन्दाज़ा लगाया जा सके 25, 000 अथवा 30, 000 फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को कितना समय लगेगा । और विशेषतया इस क्षेत्र की रक्षा पुलिस कर रही थी । अत: आवश्यक कायवाही करन के लिये कुछ समय तो लगना ही था । और तब तक विमान गायब हो गया ।

श्री हरि विष्णु कामत: वह इस बात को स्पष्ट करें कि किस प्रकार पाकिस्तान ने हिमारे विमान को गिरा दिया और हम उसके विमान को नहीं गिरा सके ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विवरण में यह बताया गया है कि पाकिस्तानी विमानों ने राजस्थान के ऊपर भारतीय वायु सीमा का 2, 3 और 8 मई को उल्लंघन किया । क्या यह सच है कि जब दो मई को पाकिस्तान के विमान ने पहली बार उल्लंघन किया तो इसके दोबारा होने से रोकने के लिये कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई थी और जब 3 और 8 मई को फिर उल्लंघन हुआ तो इसे क्यों नहीं गिराया गया ।

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही बता दिया है कि उल्लंघन केवल कुछ ही मीलों के अन्दर हुआ था और इतने समय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : तीसरे दिन क्या हुआ, आठवें दिन क्या हुआ और उसके पश्चात् क्या हुआ ?

श्री अ० म० थामस : जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि इसके पश्चात् भी वे छ: से आठ मील तक घुस आये थे तथा ऊंचाई 25,000 से 30, 000 फुट तक थी ।

Shri Madhu Limaye: Air violations have come to light. But we have also been getting information from Rajasthan about land intrusions by the smugglers as well as by the Police. They come and go. I had drawn the attention of the Minister of Defence towards it. The hon. Minister has just now said that our borders are so long that it is very difficult to guard them. But it is a question of policy. We should resolve to face them at any cost. Are Government contemplating to frame a comprehensive policy in this connection?

श्री अ० म० थामस : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि सरकार सभी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती है । मैंने केवल यही कहा था कि कुछ क्षेत्रों की रक्षा केवल सशस्त्र पुलिस द्वारा ही की जायेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना भेज दी जायेगी ।

श्री कर्णी सिंह जी (बीकानेर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कच्छ क्षेत्र में आक्रमण करने के पश्चात् अब राजस्थान की बारी आ सकती है तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जब 1956 में कच्छ में आक्रमण हुआ था तो "कैमल रेजीमेंट" ने आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से निकाल भगाया था । क्या सरकार का विचार उस में वृद्धि करने का है ताकि रेगिस्तानी क्षेत्रों की भली प्रकार से रक्षा की जा सके क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में तो जीपें आदि भी नहीं जा सकती हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि धोलीपुर के स्टेशन-मास्टर को जोकि भारतीय मुस्लिमान है इसलिये मुअत्तिल कर दिया गया है क्योंकि वह पाकिस्तान को ऐसी जानकारी देते हुए पकड़ा गया था जो देश की सुरक्षा के विपरीत थी ।

श्री अ० म० थामस : जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जासूसी के मामले वहां हो रहे हैं परन्तु उनके बारे में यहां कोई बात बताना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In order to escape from public criticism Government always does like that.

श्री प्रभात कार : दूसरों को बताने दीजिये ।

Shri Nath Pai: What the world knows, Government does not like to disclose that to the Lok Sabha.

श्री अ० म० थामस : जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, कच्छ के आक्रमण के पश्चात्, राजस्थान की सीमाओं के सम्बन्ध में हम राजस्थान सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं । रक्षा मंत्रालय राजस्थान के मुख्य मंत्री से लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है और हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम स्थिति से अवगत हैं तथा हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री कर्णी सिंह जी : "कैमल कोर" में वृद्धि करने के लिये कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री अ० म० थामस : केवल "कैमल कोर" ही नहीं है, अन्य कोर भी हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाये । हाल ही के अनुभव से पता चलता है कि सीमाओं को केवल राज्य की पुलिस पर छोड़ने से काम नहीं चलता है । इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस विशेष मामले में किसी अन्य संगठित तरीके पर विचार करें। केन्द्रीय रेलवे पुलिस तथा राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय होना चाहिये । यदि कहीं अधिक खतरा दिखाई दे तो वहां की देखभाल सेना को भी सौंपी जा सकती है । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीमाओं की रक्षा करने का काम पहले ही सेना को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि ऐसा करने से तो जिस प्रयोजन के लिये सेना बनाई जाती है वह प्रयोजन ही नहीं रहता है। इसलिये हमें ऐसे संगठित तरीकों को अपनाना पड़ेगा ताकि यदि खतरा दिखाई दे तो उस स्थिति को उस संगठित तरीके से स्वयं ही सम्भाला जा सके । इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । हम बीकानेर के महाराजा द्वारा ऊंट सवारों की सेना बनाने के लिये दिये गये सुझाव को भी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे ।

Shri Yashpal Singh: We have always failed in shooting down have such apparatus with us which can shoot down the aircraft. have such apparatus with us which can shoot down the aircraft. Will Government be in a position to tell the number of such apparatus in the country and if it is not possible to give the figures will they be in a position to tell whether we are self-sufficient in this respect or not?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरा विचार है कि हवाई अतिक्रमणों के बारे में भी हम कई बार इस सभा में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । जहां तक सीमा उल्लंघन करने वाले जहाजों का सम्बन्ध है उस के लिये हमने स्थायी आदेश दिये हुए हैं कि उनको गिरा दिया जा सकता है । परन्तु कई बार ये जहाज़ ऐसे स्थानों पर आ जाते हैं जहां पर वे महसूस करते हैं कि उन पर आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता । हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होता है । इस के अतिरिक्त, एक ही तरीका रह जाता है कि हम वैसा ही करें जैसा वे करते हैं । परन्तु ये ऐसा मामला हैं जिस के बारे में यहां पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है । उदाहरण के तौर पर जैसा कि सभा को विदित ही है जब पाकिस्तान ने कच्छ की खाड़ी में ए०आर०पी० का प्रयोग किया था तो हमने भी वैसे ही अपने ए०आर० पी० का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था ।

श्री जसवंत मेहता (भाव नगर) : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने तो स्पष्टीकरण दे ही दिया था परन्तु माननीय राज्य मंत्री ने राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर अतिक्रमण को इस तरह कह कर टाल दिया कि यह केवल दो तीन मिनट के लिये ही था तथा इसके पश्चात् वे वापिस चले गये थे । इससे इस सभा के मन में तथा सारे देश के मन में गलत भावना पैदा हो गई है । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री एक वक्तव्य दें ताकि लोगों के मन में विश्वास पैदा हो जाये कि हमारी सेना को भी ऐसी स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि यदि पाकिस्तान का कोई भी जहाज़ सीमा पार करके घुस आता है तो उसको देखते ही गिरा दिया जाय । मैं प्रतिरक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह लोगों के मन में एसा विश्वास पैदा कर दें कि भविष्य में कोई अतिक्रमण सहन नहीं किया जायेगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि मैं ने इस प्रश्न का उतर दे दिया है । मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने स्थायी आदेश दिये हुए हैं कि यदि कोई जहाज़ सीमा का उल्लंघन करता है तो उस को गिरा दिया जाये । इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, आपने हवाई अतिक्रमण के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दे दी है परन्तु हम में से अधिकांश ने राजस्थान में भू-सीमा अतिक्रमण के बारे में सूचना दी थी । क्योंकि आज अधिवेशन का अन्तिम दिन है इसलिये सभा को अवश्य ही आश्वासन दिया जाना चाहिये कि राजस्थान में स्थिति कच्छ की खाड़ी की स्थिति की अपेक्षा अच्छी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय भू-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भी कोई सामान्य वक्तव्य देने को तैयार हैं ? मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछने दूंगा ।

श्री अ० म० थामस : जिन दो अतिक्रमणों की सूचना हमारे पास आई थी मैं ने उनका उल्लेख कर दिया था ।

Shri P. L. Barupal: Pakistan is getting encouraged day by day. We have been tolerating all these things patiently but now our

patience has been exhausted. Why a clearcut assurance is not given that if any Pakistani aircraft violates our boundary it will be shot at sight? As we have not done so uptil now hence people feel that we cannot do anything. I am an ex-soldier and if my services are required I am prepared for that.

श्री दी० चं० शर्मा : जब अमरीकी यू-2 रूसी भूमि पर उड़ा था तो श्री ख्रशोव ने कहा था कि याद इसकी एक भी अन्य उड़ान हमारी भूमि पर हो गई तो उस देश का सर्वनाश कर दिया जायेगा। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम भी पाकिस्तान को अपनी शक्ति के बल पर कहने को तैयार हैं या कि सदा की तरह साधारण तरीके से ही कहेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन चीज़ों के साधारण तरीके से लेने की बात नहीं है। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि दो महीने पूर्व पंजाब तथा काश्मीर में कुछ वायु सीमा के उल्लंघन हुए थे। उस समय हमने भी अपने लड़ाकू जहाज उड़ा दिये थे तथा उससे स्थिति शान्त हो गई थी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा विश्वास लोगों में न पैदा होने दें कि हमारी सेना अथवा वायु-सेना कमजोर है।

सभा का स्थगन

ADJOURNMENT OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष के सबसे लम्बे अधिवेशन की समाप्ति पर आ गये हैं। यह अधिवेशन इतिहास में घटनाओं से पूर्ण अधिवेशन लिखा जायेगा। इस सारे अधिवेशन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसलिये हम सब को बहुत परिश्रम करना पड़ा ? इस की समाप्ति पर हमें कुछ आराम की आवश्यकता थी परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि अब भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन के कारण कोई आराम नहीं मिल सकता चाहे हम अपने अपने घरों को क्यों न चले जायें। दुश्मन हमारी भूमि पर आकर आक्रमण कर रहा है अतः इसलिये हमें, सब लोगों के पास जाकर हमें यह बताना होगा कि हमें कितने खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जब हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो हमें लोगों को बताना होगा कि हमारे पर कितना संकट है तथा हमें अपने उत्तरदायित्व का कैसे पालन करना पड़ता है। मेरी यह अभिलाषा है कि हम इस काम को भली प्रकार कर सकें। मुझे आशा है कि इस अन्तरावधि के पश्चात् जब हम पुनः इकट्ठे होंगे तो हम अपने अन्य कर्त्तव्यों को भली प्रकार कर सकेंगे। संसद् में हम सब ने अपने कर्त्तव्यों को अच्छी प्रकार किया है। कई बार मुझे कुछ कहना पड़ जाता है परन्तु ऐसा हो ही जाता है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसे भूल जायेंगे। यदि कुछ किसी माननीय सदस्य को मुझे कहना पड़ा तो आशा है वह उसे अपने मन में नहीं रखेगा तथा मैं भी आश्वासन देता हूं कि मैं भी किसी चीज को अपने मन में नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब सुखी रहें। अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GMGIPND—LSIII—751(Ai)LS—11-8-65—600.